लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

18-6-92
4.1.84

सत्यमेव जयते

[खंड 50 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. L contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10—सोमवार, 28 फरवरी, 1966/9 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 10—*Monday, February* 28, 1966/*Phalguna* 9, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
238	भूतपूर्व वित्त मंत्री के विरुद्ध ज्ञापन	Memo against the Former Finance Minister	3719–23
239	काश्मीर में जनसंघियों के लिए हथियार	Arms for Jan Sanghis in Kashmir	3723–24
241	सीमावर्ती सड़कें	Border Roads . . .	3725–27
242	आसाम के पहाड़ी ज़िले	Hill Districts of Assam .	3727–31
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. Nos.			
2	पंजाब में गेहूं का इकट्ठा हो जाना	Accumulation of Wheat in Punjab	3731–34

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
243	अमरीकी मानचित्रों में जम्मू तथा काश्मीर राज्य का दिखाया जाना	Exhibition of J. & K. State in U.S.A. Maps . . .	3734–35
244	पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीयों की आस्तियां और सम्पत्ति का अपने अधिकार में लिया जाना	Take over of Assets and Properties of Indians by Pak. Authorities	3735–36
245	सशस्त्र सेनाओं में डाक्टरों तथा इंजीनियरों की कमी	Shortage of Doctors and Engineers in Armed Forces . .	3736
246	आकाशवाणी से टेलीविज़न को अलग करना	Separation of T.V. from A.I.R.	3736–37
247	चीन सरकार से मुआवजा मांगना	Claim of Damages from Chinese Government	3737
248	आणविक हथियारों का फैलाव	Proliferation of Nuclear Weapons	3737
249	पाकिस्तान को सैन्य सामान का सम्भरण	Supply of Military Equipment to Pakistan	3738

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

†The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
250	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट	Staff Artists in A.I.R. .	3738
251	हवाना में एकता सम्मेलन	Solidarity Conference in Havana	3738–39
252	पाकिस्तान में नज़रबन्द किये गये भारतीय लोगों को परेशान किया जाना	Harassment of Indians Interned in Pakistan	3739
253	बेचटेल इंडिया लिमिटेड	Bechtel India Ltd. . . .	3739–40
254	साम्यवादी चीन के विरुद्ध प्रशान्त समझौता	Pacific concord against Communist China	3740
255	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के संबंध में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तथा मिस्टर नोएल बेकर के बीच पत्र-व्यवहार	Correspondence between British Prime Minister and Mr. Noel Baker on Indo-Pak. Conflict .	3740–41
256	छोटे समाचारपत्रों सम्बन्धी दिवाकर-समिति का प्रतिवेदन	Diwakar Committee's Report on Small Newspapers . . .	3741
257	बर्मा से स्वदेश लौटे हुए लोग	Migrants from Burma	3741–42
258	तारापुर में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police Firing at Tarapore . .	3742
259	लापता सैनिक	Missing Armed Personnel . .	3742
260	भारत सिक्किम संधि	India-Sikkim Treaty . .	3743
261	भारत तथा पाकिस्तान के बीच संचार सेवायें	Communication Services between India and Pakistan . . .	3743
262	भारत और पाकिस्तान के वायु सेनाध्यक्षों की मुलाकात	Meeting of Indo-Pak. Air Force Chiefs	3743–44
263	भारत और चीन के बीच वार्ता	Talks between India and China	3744
264	पाकिस्तान में अल्प-संख्यकों की दशा	Conditions of Minorities in Pakistan	3744–45
265	भारत में मिग–21 का निर्माण	Manufacture of MIG-21 in India	3745
266	भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायु सेना का आधुनिकीकरण	Modernisation of Indian Navy and I.A.F.	3746

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1147	नागालैंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतनक्रम	Nagaland State Government Employees' Pay Scales . . .	3746
1148	ओझर में प्रशिक्षण स्कूल	Training School at Ozar . .	3746–47
1149	सरकारी उपक्रमों में निदेशक/मैनेजर के रूप में नियुक्त "सिविल" अधिकारी	Civil Servants Posted as Directors/Managers in Public Undertakings	3747

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1150	भूकम्पीय स्टेशन, मैसूर	Seismic Station, Mysore	3747–48
1151	नेताजी की रचनायें	Works of Netaji . . .	3748
1152	पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार	Business in Punjab Border Areas .	3748
1153	गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन	Defence Production in Private sector	3749
1154	अखबारी कागज का कोटा	Newsprint Quota . . .	3749–50
1155	रेडियो सेलोन से फिल्मों का विज्ञापन	Advertisement of Films on Radio Ceylon	3750
1156	बस्तियों पर किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा	Upper Limit for Expenditure on Townships	3750
1157	तारापुर अणुशक्ति केन्द्र में हड़ताल	Strike at Tarapore Atomic Power Station	3751–52
1158	कोलम्बो प्रस्ताव	Colombo Proposals .	3752
1159	काश्मीर के बारे में हाउस आफ कामन्स में वाद-विवाद	Debate on Kashmir in House of Commons	3752–53
1160	प्रसारण उपकरण	Broadcasting Equipment . .	3753
1161	पासपोर्ट सम्बन्धी नियम	Passport Rules . . .	3753
1162	पंजाब तथा मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि	Land for Ex-servicemen in Punjab and M.P.	3753–54
1163	सैनिकों के परिवारों को सहायता	Help to Families of Services Personnel	3754
1164	दक्षिण अफ्रीका पर व्यापार रोक	Trade Embargo on South Africa.	3754–55
1165	आकाशवाणी के कार्यक्रम	A.I.R. Programmes . . .	3755
1166	संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा श्री सी० वी० नरसिन्हन को भोज पर निमन्त्रण	Invitation to Shri C. V. Narasimhan or Lunch by U.N. Secretary-General . . .	3755
1167	भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियां	Submarines for Indian Navy	3756
1168	श्री एडवर्ड हीथ की यात्रा	Visit of Mr. Edward Heath .	3756
1169	विदेश मंत्री की रूस यात्रा	Foreign Minister's Visit to U.S.S.R.	3756–57
1170	अखबारी कागज का कोटा	Newsprint Quota . . .	3757
1171	शक्तिशाली ट्रांसमिटर	High Power Transmitter . .	3758
1172	सीमाओं का सुदृढ़करण	Fortification of Borders . .	3758–59
1173	ल्हासा-अकसाई चिनी सड़क	Lhasa-Aksai-China Road . .	3759
1174	सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार	Publicity in Border Areas . .	3759

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1175	सिपाहियों के लिये रसोईघर	Kitchens for the Soldiers	3759-60
1176	शिमला के लिये ट्रांसमिटर	Transmitter for Simla	3760
1177	पूर्वी पाकिस्तान में तूफान से पीड़ितों के लिए सहायता	Help for Victims of Typhoon in East Pakistan . .	3760
1178	हिन्द महासागर में विदेशी सैनिक अड्डे	Foreign Military Bases in the Indian Ocean . .	3761
1179	रंगभेद नीति के पीड़ितों के लिए न्यास निधि	Trust Fund for victims of 'Apartheid' Policy	3761
1180	मित्रतापूर्ण संबंधों तथा सहयोग के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विधि	International Law Relating to Friendly Relations and Co-operation	3761-62
1181	धार्मिक स्थानों के लिए वक्फ बोर्ड	Wakf Boards for Religious Shrines	3763
1182	प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन	Defence Research and Development Organisation . .	3763-64
1183	छावनी बोर्ड कर्मचारी	Cantonment Board Employees	3764
1184	छावनी बोर्डों में भविष्य निधि अंशदान	Provident Fund Contributions in Cantonment Boards . .	3763-65
1185	आकाशवाणी के वार्षिकोत्सवों के कार्यक्रम	A.I.R. Anniversaries Programme . .	3765
1186	पूर्वी पाकिस्तान में परमाणु शक्ति कारखाना	Nuclear Power Plant in East Pakistan	3765
1187	हिन्दुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड, कानपुर के प्रशिक्षणों द्वारा हड़ताल	Strike by Apprentices of HAL, Kanpur	3766
1188	बम्बई रेडियो स्टेशन से मराठी में प्रसारण	Marathi Broadcasts from Bombay Radio Station . .	3766
1189	ढाका रेडियो से प्रसारण	Broadcast from Dacca Radio	3766-67
1190	श्रीलंका रेडियो को विज्ञापन ठका	Advertising Contract to Ceylon Radio	3767
1191	अफ्रीकी-एशियाई देशों के केडेट	Cadets from Afro-Asian Countries	3767
1192	प्रतिरक्षा कर्मचारियों को उदार रियायतें	Liberal Concessions to Defence Personnel	3768
1193	राष्ट्रीय रक्षा कोष में राज्यों के मंत्रियों का अंशदान	State Ministers' Contributions to National Defence Fund .	3768
1194	पूर्वी पाकिस्तान से तथा पूर्वी पाकिस्तान को लोगो का आना जाना	Migration from and to East Pakistan	3768

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1195	भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मारे गये सैनिकों के बकाया वेतनों का भुगतान	Payment of arrears of salary of Soldiers killed in Indo-Pakistan Conflict	3768–69
1196	नेफा (उपूसी) में भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना	I.A.F. Accident in N.E.F.A.	3769
1197	आकाशवाणी की पत्रिकाओं का मुद्रण	Printing of A.I.R. Journals	3769–70
1198	बिहार में सूचना केन्द्र	Information Centres in Bihar .	3770
1199	तारापुर अणु शक्ति केन्द्र के मजदूरों पर गोली चलाए जाने के बारे में जांच	Enquiry into Firing on Labourers of Tarapore Atomic Engery Plant	3771
1200	पाकिस्तनान युद्ध कोष के लिए अंशदान	Contributions to Pak. War Fund	3771
1201	भारतीय सैनिकों द्वारा चीनी सिपाही का पकड़ा जाना	Chinese Soldiers Captured by Indian Troops . . .	3772
1202	सीमा के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों का बसाया जाना	Rehabilitation of Ex-Servicemen along the Border . . .	3772
1203	जाली पार-पत्र	Forged Passports . . .	3772
1204	सिक्किम क्षेत्रों में सैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति	Posting of Army Personnel in Sikkim Areas	3772–73
1205	ब्रिटेन के लिए पारपत्र	Passports for U.K. . . .	3773
1206	ब्रिटेन के निरस्त्रीकरण मंत्री का चीन के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement by the British Minister for Disarmament about China	3773
1207	भारतीय स्थल सेना के आरक्षित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते	Pay and Allowances of the Indian Army Reservists . . .	3773–74
1208	संसद् सदस्यों के शिष्टमंडल का प्रतिवेदन	Report of Delegation of M.Ps. .	3774
1209	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान शहीद हुए जवानों के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधायें	Education facilities for Children of Jawans killed during Indo-Pak. Conflict	3775
1210	दिल्ली में जवानों के आश्रित बन्धु	Dependents of Jawans in Delhi .	3775
1211	सात सूत्री निरस्त्रीकरण कार्यक्रम	7-Point Disarmament Programme	3775–76
1212	केन्द्रीय सूचना सेवा	Central Information Service .	3776
1213	अफ्रीकी देशों में प्रचार	Publicity in African Countries .	3776

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1214	चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष के कारण हुई विधवाओं तथा उनके अनाथ बच्चों के लिये सहायता	Assistance to Widows and Orphans due to conflict with China and Pakistan . .	3776–77
1215	प्रधान मंत्री के सचिवालय का पुनर्गठन	Reconstitution of Prime Minister's Secretariat . . .	3777
1216	केरल में सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements in Kerala	3777–78
1217	प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान की आवश्यकता	Requirements of Defence Material	3778
1218	अमरीका में स्मारक भवन	Memorial in U.S.A. .	3779
1219	भारत-चीन सीमा	China-India Border . .	3779
1220	बंगाली फिल्म पर प्रतिबन्ध	Ban on Bengali Film . .	3779–80
1221	लन्दन में रबड़ कारखाने में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों की हड़ताल	Indian Workers on strike in RubberFactory in London .	3780
1222	पाकिस्तानी और चीनी प्रचार	Pakistani and China Propaganda	3780
1223	विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिए हिन्दी समाचारपत्र	Hindi Newspapers for Indian Embassies abroad . .	3781
1224	उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि	Land to Ex-Servicemen inU. P.	3781
1225	संसद् सदस्यों के शिष्ट मण्डल	Delegations of M.Ps.	3781
वीर सावरकर का निधन		Demise of Vir Savarkar . .	3782–83
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
केरल में भारत प्रतिरक्षा नियम के अधीन निरोध के एक मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय		Supreme Court Judgement on a DIR detention case in Kerala	3783, 3795–3800
ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में (प्रक्रिया)		Re. Calling Attention Notice (Procedure) . . .	3783
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table . .	3783
रेलवे बजट, 1965–66 पर चर्चा के दौरान उठायी गयी बातों के बारे में वक्तव्य—		Statement re: Points raised during discussion on Railway Budget, 1965-66—	
श्री स० का० पाटिल		Shri S. K. Patil . . .	3784
स्वर्गीय प्रधान मंत्री की बर्मा यात्रा के बारे में वक्तव्य—		Statement re: The late Prime Minister's Visit to Burma—	
श्री स्वर्ण सिंह		Shri Swaran Singh .	3784–85

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
युगोस्लाविया से ट्रांसमिटरों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 371 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य—	Statement Correcting Answer to S.Q.No. 371 re. Transmitters from Yugoslavia—	
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur . .	3786
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—	Motion on President's Address—	
श्री मलाईछामी	Shri M. Malaichami .	3787–88
श्री चांडक	Shri Chandak . . .	3788
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya . . .	3788–89
श्री अब्दुल गनी गोनी	Shri Abdul Ghani Goni .	3789–90
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh . .	3790–91
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair . .	3792
डा० चन्द्रभान सिंह	Dr. Chandrabhan Singh .	3792–93
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee .	3793–94
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav . .	3794–95
श्री अ० शं० अल्वा	Shri A. S. Alva . . .	3800–01
श्रीमती जयाबेन शाह	Shrimati Jayaben Shah .	3801–02
श्री लिंग रेड्डी	Shri Linga Reddy .	3802–03
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain . .	3803–05
प्रधान मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Prime Minister's Visit to U.S.A.—	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	3800
सामान्य आय-व्ययक, 1966–67—उपस्थापित—	General Budget 1966-67—Presented—	
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachindra Chaudhuri .	3805–22
वित्त विधेयक, 1966—पुरःस्थापित	Finance Bill, 1966—Introduced.	3822–23

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 28 फरवरी, 1966/9 फाल्गुन, 1887 (शक)

Monday, February 28, 1966/Phalguna 9, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हूए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Memo. against the Former Finance Minister

+

*238. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bade :
Shri S. M. Banerjee :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Vishram Prasad :
Shri Yashpal Singh :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Inderjit Gupta :
Shri Warior :
Shri Prabhat Kar :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri P. C. Borooah :
Shrimati Ramdulari Sinha :
Shri S. V. Ramaswamy :
Shri Sivamurthi Swamy :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Members of Rajya Sabha and Lok Sabha made certain allegations against the former Finance Minister;

(b) whether it is also a fact that the late Prime Minister had stated that these charges would be enquired into; and

(c) if so, the result of the enquiry held, if any?

The Parliamentary Secretary to the Prime Minister (Dr. Sarojini Mohishi) : (a) Yes.

(b) and (c). A statement is attached.

Statement

In his letter dated December 29, 1965 addressed to Shri T. T. Krishnamachary the late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, had expressed the view that he was not obliged to hold an enquiry unless there was a *prima facie* case for such a step being taken. He had proposed that with a view to obtaining an dependent and objective opinion as to whether any enquiry was called for at all, he would request the Chief Justice of India to study the papers and give him an opinion confidentially.

2. Shri T.T. Krishnamachari considered that the action which the late Prime Minister proposed to take was wrong and tendered his resignation from the Office of the Finance Minister. In view of this, no further enquiry is considered necessary.

Shri Onkar Lal Berwa : The late Prime Minister had written a letter for enquiring into the allegations made against the Finance Minister and through that letter the Chief Justice had been requested to conduct an enquiry. If those allegations were true then why the resignation was tendered and do the Government now propose to hold an enquiry into those allegations?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : He thought that he had lost the confidence of the Prime Minister and therefore he tendered his resignation. The Prime Minister was not holding any enquiry. He had only made a reference to the Chief Justice for a private enquiry.

Mr. Speaker : Will that enquiry be now held or not?

Shrimati Indira Gandhi : Since he has given his resignation, it is not considered necessary.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: In view of the fact that allegations have been made against him throughout the country and by the Members of Parliament what are the reasons for not holding an enquiry?

Mr. Speaker : In the statement it is given that there was no *prima facie* case against him and now it as been answered that since he had tendered his resignation no enquiry was considered necessary.

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Chief Justice will be consulted in future or not in similar cases for ascertaining if there is *prima facie* case against the person concerned?

Shrimati Indira Gandhi : It depends upon the facts of each case. I do not know as to what was the point of view of Shastriji in referring this case to the Chief Justice. For the rest of the cases he has already stated the position here.

श्री बड़े : क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी से विभिन्न आरोपों पर, जो कि उन पर लगाये गये थे टिप्पणी करने के लिये कहा गया था, क्या उन्होंने उन आरोपों के संबंध में अपना उत्तर दे दिया है और यदि हां, तो क्या केबिनट उनके दिये गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट है ? क्या उस स्पष्टीकरण की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह मामला केबिनेट के सामने नहीं आया था। सारी लिखापढ़ी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई थी ।

श्री बड़े : श्रीमन्, आपने पहले कहा था कि हमें समाचारपत्रों की खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार समाचारपत्रों में छपी खबर से सहमत है तो वह खबर सत्य है। हम यह नहीं कहते कि समाचारपत्रों में सभी बातें गलत छपती हैं। या सभी सच छपती हैं।

श्री बड़े : समाचारपत्रों में आरोपों और उनके उत्तर का उल्लेख नहीं किया गया है . . . (**अन्तर्बाधा**)

श्री जोकीम आल्वा : हमें तो बोलने का अवसर ही नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : हस्तान्तर करने वालों में भी आल्वा का नाम ही कमी होता है। इसलिये मैं क्या कर सकता हूं।

श्री शिंकरे : क्या आप उत्तर से संतुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

Shri Madhu Limaye : Even if no answer is given, you will be satisfied.

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये का अन्तिम वाक्य क्या था ?

वाक्य अध्यक्ष महोदय को पढ़कर सुनाया गया।

The sentence was read out to the Chair.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यह एक आक्षेप लगाया है और मुझे इस पर आपत्ति है। यह उचित नहीं है। माननीय सदस्य को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिये। आपने मुझे एक पत्र लिखा है और उसमें भी इस प्रकार का आक्षेप लगाया है।

Shri Madhu Limaye : I had written a personal letter to you and if you want to place that before the House, you may do so.

Mr. Speaker : Do you want to withdraw what you have said about me?

Shri Madhu Limaye : If you think that it pertains to you, I withdraw it, but I had not meant that for you.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री इससे संतुष्ट हैं कि किसी न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है और क्या वह इसको अग्रेतर जांच के लिये लोक लेखा समिति या प्रवर समिति जैसी किसी समिति को सौंपेंगी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं इस मामले को किसी समिति को सौंपना आवश्यक नहीं समझती। इनमें से कुछ आरोप श्री त० ति० कृष्णमाचारी के विरुद्ध हैं ; अन्य आरोप उनके लड़कों के विरुद्ध हैं; उनमें से कुछ पहले ही भटनागर के मामले में न्यायालय के समक्ष हैं। क्योंकि ये मामले न्यायालय के समक्ष हैं, इनका यहां उल्लेख नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : श्री किशन पटनायक।

Shri Kishen Pattnayak : The allegations against Shri T. T. Krishnamachari is that he was businessman and was appointed Minister. He had transferred his business to his sons and was showing favour to them. This thing has been there during the last 18 years in our politics (*Interruptions*)

Mr. Speaker : I would request him to put his supplementary in short form. He should see that inferences, arguments, pleadings and conclusions do not come under questions. He is putting all these together.

Shri Madhu Limaye : We should get information.

Mr. Speaker : He should put his question straight away.

Shri Kishen Pattnayak : When late Shri Shastri had thought of referring this to the Chief Justice of India, he must have some purpose behind this. I want to know whether that purpose has been fulfilled? Snri T. T. Krishnamachari had objected to this procedure. I want to know whether that purpose has been served.

Shrimati Indira Gandhi : When he has resigned, that purpose has been served.

Shri Vishram Prasad : The Prime Minister has said that some charges against him while some others were against his sons. I want to know whether that a copy of the Memorandum submitted to the President and reply thereto by Shri T. T. Krishnamachari would be placed on the table of the House? I have got a copy with me. If you want? I can place it on the table.

Mr. Speaker : If you have got, you can place it.

[Shri Vishram Prasad placed a copy of the Memorandum on the table of the House. Please see No. L. T. 5785/66].

Shri Yashpal Singh : A memorandum was submitted to the President. It contained some charges. Without investigating into the matters resignation has been accepted. In this way some leniency has been shown.

Mr. Speaker : It is your opinion.

Shri Yashpal Singh : Government must have considered this.

श्री ही० ना० मुकर्जी : प्रधान मंत्री ने कहा है कि भूतपूर्व वित्तमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है अतः मामला खतम हो गया। आरोपों को ध्यान में रखते हुए, जो कि जिम्मेदार लोगों ने लगाये हैं और जिनकी भूतपूर्व प्रधान मंत्री न्यायिक जांच कराना चाहते थे क्या श्री कृष्णमाचारी को इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिये। यहां पर पहले ही परम्परा है कि जब अस्थायी संसद् के एक सदस्य जब संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये थे तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। मैं मानता हूं कि कुछ लोग श्री कृष्णमाचारी को बदनाम करने में लगे हुए थे, परन्तु यदि एक न्यायाधिकरण इसे सिद्ध करे तो और बात होती। श्री शास्त्री इस विषय को न्यायाधीश को सौंपना चाहते थे। इस प्रकार उनके केवल त्यागपत्र देने से वह मुक्त नहीं हो जाते। इस सदन के सदस्य के रूप में भी यह उचित नहीं है। प्रधानमंत्री को इस बारे में क्या कहना है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह सभी आरोप बहुत पहले के हैं। मेरे विचार में इन पर पहले ही विचार हो चुका है। कुछ दिन पहले राज्य सभा में एक सदस्य ने कहा था कि इन आरोपों पर अदालती फैसले हो चुके हैं और इन को अदालतों में साबित नहीं किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि किसी गम्भीर आरोप की जांच न करायी गयी हो। इस पर विचार हुआ था और श्री शास्त्री ने इस विषय को समाप्त कर दिया था।

श्री ही० ना० मुकर्जी : बात यह है कि श्री शास्त्री ने इन आरोपों—चाहे वे गलत हैं या ठीक हैं—पर एक प्रकार की कानूनी राय लेनी चाही थी। श्री कृष्णमाचारी इससे सहमत नहीं हुए और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। क्या मामले को यहीं पर मामला समाप्त हो गया। नियम संख्या 389 के अन्तर्गत आप को अधिकार प्राप्त है कि क्या यदि किसी सदस्य के विरुद्ध जब आरोप लगाये गये हैं—चाहे वे गलत हों, यहां मैं मान सकता हूं कि श्री कृष्णमाचारी के विरुद्ध आरोप गलत होंगे—तो क्या यह उचित है कि उनको स्पष्ट किये बिना ही वह यहां पर रह। मैं चाहता हूं कि श्री कृष्णमाचारी स्वयं स्थिति स्पष्ट करें। मैं आप का इस पर विनिर्णय चाहता हूं।

श्री हेम बरुआ : यहां पर श्री शास्त्री ने आश्वासन दिया था कि यदि कि मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाये गये तो वह स्वयं जांच करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अब प्रधान मंत्री ने कहा है कि

मामला खतम हुआ क्योंकि श्री कृष्णमाचारी ने है त्यागपत्र दे दिया और आरोपों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी परन्तु श्री बीजू पटनायक के मामले में उनके त्यागपत्र के बाद जांच हुई थी। एक समान मामलों में दो प्रकार की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिये। मैं इसको समझ नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विनिर्णय देने को कहा गया है। मैं समझ नही सका कि मेरा इसमें कैसे संबंध है। नियमों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री शिंकरे : आप इसके औचित्य पर अपना विचार बता दें।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस पर सरकार को विचार करना है कि कौन सा मामला कैसे तय होना है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार ने भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये संथानम समिति के इस शिफारिश को न मानने का अन्तिम निर्णय कर लिया है जिस में केन्द्रीय तथा राज्यों के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप पर जांच कराने को कहा गया है? समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ 103 पर 'सामाजिक वातावरण' शीर्षक के अन्तर्गत ऐसी कोई बात नहीं कहीं गई है कि त्यागपत्र देने पर जांच नहीं होगी। यदि सरकार ने इसे नहीं माना है तो क्या प्रधान मंत्री जांच के बारे में अपने पूर्वाधिकारी श्री शास्त्री और गृह-कार्य मंत्री श्री नन्दा की भांति कार्य करेंगी। क्या वह आज यहां पर एक स्पष्ट वक्तव्य देगी कि क्या वह इस मार्ग पर अडिग हो कर चलेंगे और हाल की बिहार की मुख्य मंत्री की धमकी के कारण प्रभावित नहीं होंगी कि . . .

अध्यक्ष महोदय : अब उत्तर सुनने दीजिए

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ। आपने अन्य माननीय सदस्यों को पूरे प्रश्न करने दिये और बहुत अच्छा किया। इसी प्रकार मुझे भी अपना प्रश्न पूरा करने दीजिये . . .

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार उस आश्वासन पर दृढ़ है और क्या श्री कृष्णमाचारी के कांग्रेस पार्टी के नेता चुनने की बैठक में विशेष निमन्त्रण द्वारा शामिल होने के कारण उन्हें इस मामले में छूट दे दी गयी है?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : यह क्या है?

श्री हरि विष्णु कामत : आपने तो उत्तर नहीं देना है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कई बातें उठाई गयी हैं। जहां पर किसी मंत्री के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से कोई कोई आरोप सिद्ध होता हो वहां अवश्य ही जांच करायी जायेगी। ऐसा मालूम किया गया था कि इस मामले में ऐसी बात नहीं है (**अन्तर्बाधाएं**) श्री शास्त्री ने इस पर विचार किया था। आप पत्रों से देख सकते हैं कि वह अपने राय की पुष्टि चाहते थे। इसी कारण वह मुख्य न्यायाधीश की राय चाहते थे। उनके बैठक में शामिल होने संबंधी को मैंने समझा नहीं है। मेरे विचार में वह इससे नहीं उत्पन्न होता।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आपके विचार में उत्तर पूरा है? (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री की बात सुनी नहीं जाती है और अध्यक्ष की आज्ञा का पालन नहीं होता है। नियमों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस प्रश्न पर आधा घंटा लग गया है। अभी और भी सदस्य है।

Arms for Jan Sanghis in Kashmir

+

***239. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have contradicted the allegation made by the Pakistani representative, Shri Amjad Ali, in a letter to the U.N. Secretary General, that arms have been given to only Jan Sanghis in Kashmir; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) On October 24, 1965, the Permanent Representative of India, in a letter addressed to the President of the Security Council, denied the totally false and baseless allegations made by the Permanent Representative of Pakistan in his letter of October 18, 1965.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Pakistan Radio has been propagating that I want to know as to how long it took to Kashmir Government to give reply to this?

Shri Swaran Singh : It is not necessary to give reply to all the propaganda. Our Prime Minister in his reply had made it clear. He had said "Pakistan's propaganda that Jan Sangh volunteers had been give weapons was absolutely wrong and baseless and without foundation." There cannot be better contradiction than this.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : At the time of Pakistan's invasion the Kashmir Government had distributed weapons among people in border areas. About 1200 rifles were given. Out of them about 172 rifles were given to Hindus and the remaining rifles were given to those people who had helped the infiltrators or to those who had contacts with Pakistanis. Is the Government aware of that?

Shri Swaran Singh : It is wrong. The Government of Kashmir has never given any rifle to that person who had helped the infiltrators.

Before making such allegations hon. Members should make sure whether there is any substance in that. It is not proper to make such allegation.

Shri Bade : The hon. Minister has stated that it is wrong. Shri Shastri had denied this. When Pakistan Radio was propagating that weapons are being distributed to Jan Sanghis, I want to know, as to why it was not denied by our Radio?

Shri Swaran Singh : I do not think we should contradict whatever they say. Sometimes by contradicting many people learn that wrong thing. I am surprised why Jan Sangh members attach so much importance to the broadcasts of Radio Pakistan.

Shri U. M. Trivedi : Our hon. Minister always by passes the question by taking it lightly. The question that was put was that inspite of Shri Shastri's denying, the propaganda that people belonging to one community were killing the people of other community, there was no denial of this allegation on Radio. What were the causes for this?

Shri Swaran Singh : I think our Radio reported the statement of Shri Shastri. I do not known for how long the publicity was carried on?

सीमावर्ती सड़कें

+

*241. श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पूर्व क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण कार्य को सर्वोच्च वरीयता देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या उन पर होने वाले व्यय तथा उस काम में लगाने वाले समय के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय मे राज्यमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां। उत्तर पूर्वी सीमा, असम, नागालैण्ड और मिजों पर्वतमाला में कई सड़कों को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(ख) निर्माण कार्यक्रम रक्षा और विकास तथा असैनिक प्रशासन की आवश्यकताओं का विचार करते हुए निर्धरित किया जाता है। निर्माण की प्रगति और संबंधित प्राथमिकता उपरोक्त घटकों के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। उनका समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

(ग) लक्ष्य नियत किये जाते हैं। सड़कों का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत अनुमानों के अनुसार किया जाता है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार ने इस क्षेत्र के सब महत्वपूर्ण स्थानों को मिलाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है अथवा इसके केवल एक भाग पर निर्माण कार्य किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अ० म० थामस) : पूर्वी क्षेत्र में लगभग 2291 मील लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है। सब मिला कर यह 3,028 मील है जिस में से 2,170 मील लम्बी नई सड़कें बनायी जायेंगी। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है अब तक कामेंग, सुबनसिरी तथा सियांग में तीन महत्वपूर्ण राजनैतिक अधिकारियों के मुख्यालयों को आसाम के मैदानी क्षेत्र से मिलाया गया है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं क्या सड़क निर्माण कार्य के बारे में जो योजना बनाई गयी थी, उस की नवीनतम स्थिति का पुनरीक्षण किया गया है और क्या अन्य क्षेत्रों में निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है अथवा यह सूचना सही है कि निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार संतोषजनक ढंग से प्रगति नहीं कर रहा है ?

श्री अ० म० थामस : निर्माण कार्य बिल्कुल संतोषजनक ढंग से चल रहा है।

Shri M. L. Dwivedi : The Chinese have constructed roads along with the western border and they are in a position to attack at any point at any moment may I know whether Government of India keeping this position in view have developed the road in such a way that our forces may be sent at any point to meet the Chinese attack ?

श्री अ० म० थामस : चीन द्वारा संचार व्यवस्था में किये गये सुधार के बारे में जो विस्तृत ब्यौरा हमारे पास है, उस से सभा को सूचित कर दिया गया है। हम चीन द्वारा संचार व्यवस्था में किये गये सुधारों पर बराबर दृष्टि रखते हैं तथा सीमा के इस ओर हमने भी पर्याप्त कार्यवाही की है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या नई सड़कों के विकास का निर्माण कार्य सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है अथवा प्रतिरक्षा मंत्रालय के किसी अभिकरण द्वारा किया जाता है ?

श्री अ० म० थामस : यह कार्य सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड के नियंत्रण में है जो एक सर्वोच्च प्राधिकार है। वास्तव में प्रधान मंत्री स्वयं इसकी सभापति हैं तथा प्रतिरक्षा मंत्री, संचार

मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति इस के सदस्य हैं। निर्माण कार्य पर इस बोर्ड का समुचित नियंत्रण है। इस कार्य को राज्य लोक निर्माण विभाग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। रिजर्व इंजीनियरिंग वर्क्स फोर्स द्वारा भी यह कार्य कराया जा रहा है। तथा इस बारे में यह मुख्य संगठन है, जिस के द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि इन सड़कों को ठीक हालत में रखा जाये तथा समय समय पर इसकी मरम्मत की जाये तथा क्या इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि मौसम के कारण समय समय पर जहां कहीं बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, उनकी तुरन्त मरम्मत की जाये ?

श्री अ० म० थामस : निःसंदेह दरारों तथा अन्य बातों का ध्यान रखा जाता है अन्यथा ये सड़कें बिल्कुल बेकार हो जायें। 3,028 मील लम्बी सड़कों में से 2,291 मील लम्बी सड़कों का निर्माण और सुधार जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स को सौंपा गया है। इस 3,028 मील में से 858 मील मौजूदा सड़क के सुधार के लिये हैं तथा 2,170 मील नव निर्माण के लिये।

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकार को उपूसी तथा तिब्बत की सीमा तक पहुंचने वाली सड़कों का निर्माण कब तक पूरा होने की आशा है ; तथा नागालैंड और बर्मा को प्रस्तावित सीमावर्ती सड़क के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक उपूसी का संबंध है वर्तमान अनुमानों के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में 1831 मील में सड़कों का निर्माण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हो रहा है। इन सड़कों के महत्व को देखते हुये हम ने यथा संभव कम से कम समय में इन्हें पूरा करने की कोशिश की है। धन के अभाव के कारण इन के निर्माण में कोई बाधा नहीं आई।

श्री प्र० चं० बरुआ : नागालैंड तथा बर्मा के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री अ० म० थामस : नागालैंड के बारे में यह लगभग 282 मील है।

श्री प्र० र० चक्रवर्ती : इन सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करते समय सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन सड़कों का लाभ उठाकर पाकिस्तान से असम तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठिये न आ सके क्या अकार्यवाही की है ?

श्री अ० म० थामस : तीन तीन मील लम्बी पट्टियां बनाने तथा अन्य बातों के बारे में विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। इस पर भी ध्यान रखा जा रहा है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : चालू वर्ष में पूर्व तथा पश्चिमी क्षेत्रों में नई सीमावर्ती सड़कें बनाने के लिये कितना धन निर्धारित किया गया है ? क्या यह सच है कि पश्चिमी क्षेत्र में सरकार की योजना के अनुसार सड़कों के निर्माण में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है ?

श्री अ० म० थामस : यह प्रश्न पूर्वी क्षेत्र के बारे में है। चालू बजट में इस के लिये 12 89 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। आज सांय पांच बजे प्रस्तुत किये जाने वाले बजट में निर्धारित धन राशि का मैं पूर्वानुमान नहीं लगाऊंगा परन्तु आशा की जाती है कि उतनी ही धनराशि निर्धारित की जायगी। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि धन के अभाव के कारण कार्य में बाधा नहीं पड़ेगी।

श्री नि० रं० नास्कर : पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या किया गया है ?

श्री अ० म० थामस : इस प्रश्न पर भी ध्यान दिया गया है। यह प्रश्न मुख्यता असम, उपूसी, नागालैंड तथा मिज़ो पहाड़ी क्षेत्र को मिलाने वाली उन सड़कों के बारे में है जो सीमावर्ती सड़क संगठन के प्रशासनिक तथा नीति नियंत्रण में है।

श्री हेम बरुआ : 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उपूसी में टसकर द्वारा बनाई गई सड़कों का कोई अस्तित्व नहीं है, वे केवल मानचित्रों में ही दिखाई गई हैं। सरकार उन सड़कों के वास्तविक निर्माण के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अ० म० थामस : सभा को पता है कि सीमावर्ती सड़क संगठन 1960 में तब स्थापित किया गया था, जब यह पता लगा कि मैदानों में तो संचार व्यवस्था अच्छी है, परन्तु यह सीमावर्ती क्षत्रों में ठीक प्रकार से जुड़ी हुई नहीं है। इसी कारण से यह संगठन बनाया गया और इस के कार्य को उच्चतम प्राथमिकता दी गई। चीनी आक्रमण के बाद इस कार्य की अविलम्बनीयता पर ध्यान दिया गया और आवश्यक सड़के बनाई जा रही है। यह सच है कि कुछ सड़कें केवल खच्चरों के चलने के लिये थीं, और अच्छी हालत में नहीं थी।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार को पता है कि मिज़ो जिले में पत्थर उपलब्ध नहीं हैं तथा मिज़ो जिले से असम को मिलाने वाली सड़क पर अभी रोड़ी नहीं बिछाई गयी है? मैं जानना चाहती हूं कि इस कठिनाई को कैसे दूर किया जायेगा?

श्री अ० म० थामस : मिज़ो पहाड़ी क्षेत्र में माननीय सदस्य द्वारा बताई गई कठिनाई का मुझे ज्ञान नहीं है। यह केवल इस क्षेत्र के लिये ही विशेष बात नहीं है। जहां तक वर्तमान सड़कों के सुधार का सम्बन्ध है 23 मील में सोलिंग कार्य किया गया है, 23 मील में रोड़ी डाल दी गयी हैं तथा 23 मील में तारकोल बिछा दिया गया है। मिज़ो जिले में 915 मील लम्बी नई सड़कें बनाने का काम शुरू किया गया है, जिसमें से 46 मील पर 20 फुट से 80 फुट तक कटाई आदि का कार्य किया गया है। माननीय सदस्य से जो कठिनाई बताई गयी है, उसकी जांच की जायेगी।

Shri Kashi Ram Gupta : The amount earmarked for construction of roads is not utilised with expediency resulting in misappropriation of material. May I know whether the hon. Minister has any information in this regard? For example it so happened in Kutch that donkeys were not available there so their prices rose and the prices of horses declined. This was reported in NEFA also. May I know whether the hon. Minister will try to improve the working of this organisations?

श्री अ० म० थामस : निस्संदेह प्रत्येक संगठन के कार्य में सुधार की गुंजायश होती है, परन्तु हमारा अनुभव है कि सीमावर्ती सड़क संगठन संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। किसी मंत्रालय की ओर से भी हमें कोई कठिनाई पेश नहीं आ रही है, क्योंकि विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि सीमावर्ती सड़क संगठन के सदस्य हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं प्रधान मंत्री इस संगठन की सभापति हैं, तथा प्रतिरक्षा मंत्री इस के उपसभापति है। इसके अन्य सदस्य परिवहन मंत्री, थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव, प्रतिरक्षा सचिव, वैदेशिक सचिव, गृह-सचिव, वित्तीय सलाहकार, महानिदेशक तथा कुछ अन्य व्यक्ति हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां गधे उपलब्ध नहीं थे। वह जानना चाहते हैं कि मंत्री महोदय ने गधे उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

श्री अ० म० थामस : गधों की उपलब्धता के बारे में तथा अन्य कठिनाइयों के बारे में मैं पहिले ही बता चुका हूं।

\+ **आसाम के पहाडी जिले**

*242. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय जिला आयोग के प्रधान ने प्रधान मंत्री को इस आशय का पत्र लिखा है कि नागा विद्रोहियों के साथ बातचीत का क्रम लम्बा हो जाने का आसाम के पर्वतीय जिले पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या उक्त आयोग ने सरकार को यह भी सूचित किया है कि विद्रोही नागाओं के प्राय: प्रत्येक पर्वतीय जिले में अड्डे बने हुए हैं और वे अपने उपद्रवी रवैये को सक्रिय बनाये रखते हैं; और

(ग) वहां के निवासियों का ध्यान राजनैतिक विवादों तथा विध्वंसक कार्यवाहियों से हटाने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्रों के लिये विकास योजनायें कहां तक क्रियान्वित की गई हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पहाड़ी क्षेत्र कमीशन के अध्यक्ष ने असम के नागालैंड राज्य से लगने वाले सीमांत इलाकों में नागाओं की सरगर्मियों के बारे में स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री को लिखा था।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) असम सरकार सभी पहाड़ी जिलों में व्यापक विकास कार्यक्रम चला रही है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुए कि नागा विद्रोहियों के रवैये के कारण श्री जय प्रकाश नारायण जैसे महान पुरुष का भी धैर्य समाप्त हो गया है और उन्होंने नागा शांति मिशन से त्यागपत्र दे दिया है। क्या सरकार ने माइकल स्काट को भी इंग्लैंड वापस जाने को कहा है ?

श्री दिनेश सिंह : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या उन्होंने उसे वापस जाने को कह दिया है। उत्तर 'हां' या 'नहीं' में होना चाहिये ।

श्री दिनेश सिंह : उनको वापस जाने को नहीं कहा गया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नेता रानी गिडिलु प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को बधाई देने के लिये हाल ही में दिल्ली आई थीं। क्या सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाकर विद्रोही नागा समस्या का कोई सम्मानजनक हल निकालने का प्रयत्न किया है ?

श्री दिनेश सिंह : प्रधान मंत्री की रानी गिडिलु से बहुत उपयोगी वार्ता हुई है।

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister has given a negative reply to part (b) of the question. May I know if the Commission has not furnished its report, whether the Government have the information that the hostile elements have pockets in each village in a sector in the hilly area and they are collecting taxes from every one in that area, and if any body refuses to pay them, they set his house on fire and if so, the steps taken by Government to check such activities?

Shri Dinesh Singh : The question was whether the hostile Nagas in hill districts of Assam had been keeping the agitational attitude alive. The question has been answered in negative. The Nagas have negligible population in other area and there is no agitation.

श्री हिम्मतसिंहका : इस बात को देखते हुए कि विद्रोही नागाओं की मांगें उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, क्या सरकार का उन्हें यह बताने का विचार है कि इस से कोई लाभ नहीं होगा ?

श्री दिनेश सिंह : प्रधान मंत्री पहले ही विद्रोही नागा नेताओं से हुई अपनी वार्ता के संबंध में सभा में वक्तव्य दे चुकी हैं। इन सब मामलों पर विचार किया जायेगा तथा यह भी देखा जायगा कि इस वार्ता की प्रतिक्रिया क्या होती है।

Shri M. L. Dwivedi : I think the problems of the hill districts of Assam are different from those of the hostile Nagas in Nagaland. May I know if the chairman of the Commission, which has been appointed to enquire into the matter, has not given his report, whether Government are aware of the main demands put forward by the people of hilly areas in Assam and if so, the steps taken by Government to meet those demands?

Shri Dinesh Singh : I have stated in the last part of my reply to the main question that development programmes would be executed there more intensively.

श्री भागवत झा आज़ाद : गत कुछ दिनों में तोड़फोड़ तथा हिंसा की घटनाओं में जो वृद्धि हुई है वह भूतपूर्व प्रधान मंत्री को लिखे गये पत्र से स्पष्ट हो जाती है और श्री जय प्रकाश नारायण को भी तथाकथित शांति मिशन से त्यागपत्र देना पड़ा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार शांति स्थापित करने तथा इस गड़बड़ को आसाम के पहाड़ी क्षेत्र तक न फैलने देने के लिये इस मामले पर पुनर्विचार कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : शांति स्थापित करने के लिये सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी । अन्य विद्रोही गड़बड़ के क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। शीघ्र शांति स्थापित करने के लिये हम हर प्रयत्न करेंगे ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि उपूसी क्षेत्र में ऐसी घटनायें आगे न हो एक प्रेक्षक दल नियुक्त किया है ? यदि हां, तो इस से पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदि वासियों का डर कहां तक दूर करने में सहायता मिलेगी ?

श्री दिनेश सिंह : प्रेक्षक दल पहले से ही वहां है। केवल उसे सुदृढ़ किया गया है। आशा है इससे तनाव घटेगा ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether Government are aware that non-Nagas and other tribal people of hilly areas in Assam have also started indulging in hostile and violent activities and if so, the steps taken by Government to check these activities?

Shri Dinesh Singh : Yes, Sir. It appears from the newspapers that some hostile elements are trying there to indulge in such activities. But we hope that the people living there realise their responsibilities and they will not indulge in such activities.

Shri Madhu Limaye : I want to know the places where such hostile incidents have occurred or likely to occur.

Shri Dinesh Singh : The hon. Member has himself said the hilly areas. The incidents have occurred there.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार को मिजो राष्ट्रीय फ्रंट की राजनैतिक कार्यवाहियों की जानकारी है और यदि हां, तो उन्हें दबाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या सरकार यह अनुभव करती है कि जब तक उस क्षेत्र में वन तथा खनिज पदार्थों की अधिक लाभकारी प्रयोग के लिये विकास योजनाओं को क्रियान्वित न किया जायेगा, तब तक वहां के लोगों का ध्यान ऐसी कार्यवाहियों से नहीं हटाया जा सकता ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, असम सरकार इस पर विचार कर रही है । जैसा कि मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया है वहां विकास योजनाओं को बढ़ावा देने का हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री स्वैल : क्या मैं जान सकता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र आयोग के अध्यक्ष का पत्र आयोग की जांच के उद्देश्य से किस प्रकार संगत है और क्या सरकार का यह विचार नहीं है कि यदि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू की पेशकश को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया गया तो पहाड़ी क्षेत्र में तोड़-फोड़ की कार्यवाही फिर शुरू हो जायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : यह पत्र निजी रूप से हमें भेजा गया था । जहां तक भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नेहरू के प्रस्ताव का संबंध है हम महसूस करते हैं कि वह एक प्रत्याभूति है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : आसाम के पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी शान्ति का हल निकालने के लिये विद्रोही नागाओं को बुलाया गया था। क्या दूसरे क्षेत्रों के लोगों को भी जो कि प्रभावित हैं और भी परामर्श के लिये बुलाया जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : विद्रोही नागाओं को कोई हल ढूंढने के लिये नहीं बुलाया गया था। वे प्रधान मंत्री से शिष्टाचार के नाते भेंट करने आये थे।

श्री त्यागी : पादरी माइकल स्काट जो एक विदेशी हैं और जो शान्ति मिशन के सदस्य हैं, भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं अथवा छिपे हुये नागाओं के ? क्या सरकार ने उनके इरादों की जांच करा ली है और क्या वह स्वयं ही नागाओं को उक्सा कर ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न कर रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : वह निश्चित रूप से किसी सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं। उनका नाम निर्देशन वहां हुए ईसाई सम्मेलन द्वारा किया गया था। सम्मेलनने ही उनको शान्ति मिशन की सदस्यता के लिये प्रस्थापित किया था। अतः वह यहां इसी हसियत से यहां आये थे।

श्री त्यागी : क्या मैं इसका मतलब यह समझूं कि वह नागाओं न कि हमारे प्रतिनिधि थे ?

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम निर्देशन सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों ने किया था।

श्री त्यागी : क्या वह उनका प्रतिनिधित्व करते हुये एक विदेशी थे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं और अधिक कुछ नहीं कह सकता।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सत्य नहीं है कि छिपे हुये नागाओं के साथ इस दीर्घकालीन बात-चीत के संमुखीन नागाओं द्वारा स्वतंत्रता की मांग के कारण अन्य पहाड़ी आदिमजातियों में ग़लत धारणायें उत्पन्न कर दी हैं ? क्या सरकार छिपे हुये नागाओं के नेताओं को यह स्पष्ट रूप से बताने को तैयार है कि सरकार उन से नागालैण्ड को भारतीय संघ से पृथक् राज्य मानकर बातचीत करने के लिये तैयार नहीं है और उन को यह भी बताने को तैयार है कि जैसा कि मिज़ो राष्ट्रीय परिषद् ने पाकिस्तान से सहायता मांगी है, यदि कोई भी नागाओं की भांति राष्ट्र-विरोधी कार्यवाही करेगा तो उसे कुचल दिया जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : सरकार ने विद्रोही नागाओं के पृथक् नागालैण्ड बनाने के प्रस्तावों को जिस दृढ़ता से अस्वीकार किया है और कहा है कि नागालण्ड का भविष्य भारत के साथ ही बंधा हुआ है, इसी रवैये का द्योतक है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार ने कभी पहले भी और प्रधान मंत्री ने जब वह नागाओं के नेताओं से मिली थीं यह बिल्कुल स्पष्ट बता दिया था कि भारतीय संघ से पृथक् नागालैण्ड के लिये कोई बातचीत नहीं होगी ? सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : उनसे ऐसा ही कहा जा रहा है।

श्री हेम बरुआ : उन से ऐसा नहीं कहा गया है।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सत्य है कि छिपे हुये इन नागाओं के शान्ति मिशन ने प्रधान मंत्री को प्रारम्भ में ही यह जता दिया था कि वें एक स्वतंत्र राज्य के प्रतिनिधि है ? यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने उनके इस दावे के पहलुओं को समझते हुये उनके साथ और आगे बातचीत की थी ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं। प्रतिनिधि होने का कोई प्रश्न नहीं था . . .

श्री कपूर सिंह : क्या उन्होंने यह प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया था ?

श्री दिनेश सिंह : मैंनें कहा है "नहीं जी"।

श्री हेम बरुआ : क्या यह एक प्रधान मंत्री की दूसरे प्रधान मंत्री से भेंट के बराबर थीं ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह देखते हुए कि यह बात अब खुली हुई है कि नागाओं ने यह मांग की थी कि उनसे बातचीत केवल इस शर्त पर हो कि वे भारत से पृथक् अपना स्वतंत्र राज्य बना सकेंगे, क्या सरकार उनको चम्बल के डाकुओं के बराबर मानेगी और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा कि चम्बल के डाकुओं के साथ करती है क्योंकि नागा भी उन डाकुओं की भांति लोगों को मार रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव से अधिक और क्या हो सकता है . . .

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह लोग भी प्रभुता-सम्पन्न राज्य मांगेंगे ।

श्री दिनश सिंह : नागाओं के नेता चाहे जो कहें परन्तु महत्व की बात यह है कि हमने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है ।

श्री हेम बरुआ : व्यवस्था के प्रश्न पर । राज्य मंत्री उत्तर दे रहे हैं । परन्तु वह प्रधान मंत्री व नागाओं के नेताओं के बीच बात-चीत के समय वहां उपस्थित नहीं थे ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह वहां नहीं थे । जो मंत्री वहां उपस्थित थे वही उत्तर दें ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह देखते हुये कि अभी हाल की घटनाओं से यह सिद्ध हो गया है कि नागाओं को किसी विदेशी शक्ति ने पथ-भ्रष्ट किया है और शान्ति मिशन असफल हो गया है, सरकार वहां विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने तथा उन विधि-विरुद्ध तत्वों को कुचलने के लिये जो वहां तोड़-फोड़ की कार्यवाही कर रहे हैं, क्या कायवाही कर रही हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जो क़रार विद्रोही नागाओं के साथ उनको अपनी शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों को बन्द करने के लिये किया गया था वह अभी तक जारी है । श्री जय प्रकाश नारायण के पद-त्याग के बावजूद भी शांति मिशन का अस्तित्व अभी है ।

Accumulation of wheat in Punjab

अ. सू. प्र. संख्या

2. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Bade :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Nath Pai :
Shri Hem Barua :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the news-item published in the Sunday Tribune, dated the 13th February, 1966 wherein it has been reported that lakhs of tons of wheat and coarse grains have accumulated in *mandis* in Punjab;

(b) if so, the steps being taken to transport these foodgrains to the deficit States; and

(c) whether financial losses have been estimated in case no proper arrangements are made to consume these foodgrains before the next crop?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govind Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) It has been reported by Punjab Government that the condition of the stocks with the traders is satisfactory. The Punjab Government consider that

the stocks of wheat held by the traders would be necessary for local consumption within the State till the bulk of the next rabi harvest comes into the market. The Punjab Government are purcha sing coarse grains on behalf of Government of India and these are beinge supplied to the deficit States. Since the purchases of these coarse grains are being made not only in the regulated markets but also by calling for tenders, there is no reason why traders having stocks should not be able to dispose of them by selling them to Government.

(c) Does not arise.

Shri Prakash Vir Shastri : I had drawn the attention of the hon. Minister of Food on Friday to the fact that about 15 lakh maunds of wheat, 40 lakh maunds of grams and about 25 lakh maunds of maize has accumulated in the Mandis and with the leading farmers of Punjab. All these foodgrains are worth about Rs. 16—16 crores. The hon. Minister affirmed this statement. These foodgrains are rotting because dealers of Punjab are not prepared to sell at reduced rates. These dealers had asked Government that they were prepared to sell at the rate of imported wheat. I want to know Government's reaction in the matter.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : आयात किया हुआ गेहूं बहुत कम मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य पर बेचने को कोई तैयार नहीं होगा। हमारी जानकारी के अनसार वहां पर 68,000 टन के लगभग खाद्यान्न जमा है। पंजाब सरकार अब भी 68,000 टन खरीदने को तैयार है यदि ये मिले तो। वह अन्य स्थानों को अधिक मूल्यों पर भेजना चाहते है। उन लोगों ने उत्पादकों से कम मूल्य पर खरीदें हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri : The country is facing an economic crisis and lakhs of maunds of foodgrains are rotting in the Mandis of Punjab and other places. Keeping in view all these things why is it that Government do not take a final decision on abolishing the food zones, so that foodgrains could be sent to other parts of country.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने पहले ही कहा है कि इस विषय पर एक समिति विचार कर रही है। वह मार्च के महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी। उसके बाद सरकार स्थिति पर विचार करेगी और निर्णय होगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know whether it is a fact that Punjab Government purchase grams, maize and Bajra at lower rates and sells these items at higher rates to Maharashtra and Bengal. May I know their purchase and sale price?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास वास्तविक आंकड़े नही हैं। पंजाब में अधिकतम क्रय मूल्य निर्धारित करते समय परिवहन व्यय रखने आदि पर होने वाले व्यय की ध्यानमें रखा जाता है। मेरे विचार में पंजाब सरकार इसमें अधिक लाभ नहीं उठा रही है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The notice was given on 17th and it 28th today. They have not been able to know their purchase and sale price.

Mr. Speaker : These figures would be placed on the table.

Shri Lehri Singh : I want to know whether Government is aware that if those foodgrains are allowed to rot in Mandis the farmers will not get their payment from dealers. It will result in loss to farmers and dealers both. Now next crop is also due to come shortly. Will not this situation have adverse effect on farmers? They would prefer to have cash crops instead of wheat. What steps are being taken by Government to procure these foodgrains?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : 68,000 टन का स्टाक व्यापारियों क पास है। मैं अब भी यह सब नियन्त्रित मूल्य पर लेने को तैयार हूं। परन्तू यदि ले अधिक लाभ चाहते है, जबकि उन्होंने उत्पादको से कम मूल्यपर क्रय किया है तो इस की आज्ञा नही दी जा सकती (**अन्तर्बाधाएं**)।

Sbri Bade : I want to know whether Government have got figures of the quantity of wheat of last year and the expected quantity of coming season and whether Government is aware that the rates in Maharashtra and Bengal are three times higher than those of Punjab?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पिछली फसल का लगभग 68,000 टन का स्टाक व्यापारियों के पास है। कुल उत्पादन की अपेक्षा यह ज्यादा नहीं है। अप्रैल से इस वर्ष की फसल आ जायेगी। यह अनुमान है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा 10 से 20 प्रतिशत तक उत्पादन कम होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : पंजाब में यह स्टाक खराब हो रहा है। क्या यह क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के कारण है? क्या पंजाब तथा अन्य फालतू अनाज वाले राज्यों की इस कठिनाई को दर करने के लिये क्षेत्रीय व्यवस्था समाप्त कर दी जायगी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : क्षेत्रीय पद्धति के बारे में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। वही उत्तर यहां भी लागू होता है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न गेंहू के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते है कि वही उत्तर लागू होता है।

श्री हेम बरुआ : देश की वर्तमान संकटमय खाद्य स्थिति को देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय खाद्य नीति बनाने का है जिस से फालतू वाले तथा कमी वाले राज्य में भेदभाव किये बिना खाद्यान्नों की पूर्ण वसूली और फिर उन का समान वितरण किया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खाद्य नीति के बारे में प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। यह अल्पसूचना प्रश्न केवल पंजाब की विशेष स्थिति के बारे में था जहां व्यापारियों ने खाद्यान्न के बड़े बड़े भंडार दबा रखे है और मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। जहां-तक माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध है मैं उसमें उल्लिखत बातों का वादविवाद के समय उत्तर दे चुका हूं तथा अब पुनः उन बातों को दोहराना आवश्यक नहीं है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानता चाहता हूं कि क्या सरकार ने पंजाब में खाद्यान्न की वास्तविक उपलब्ध मात्रा को जानने का प्रयत्न किया है क्योंकि श्री प्रकाश वीर शास्त्री द्वारा दिये गये आंकड़ों में तथा खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों में बहुत अन्तर है और क्या कोई स्वतंत्र प्रयत्न विशेषतः राज्य सरकार की आंकड़ों से स्वतंत्र प्रयत्न किया गया है तथा क्या इस बात का पता चला है कि राज्य सरकार खाद्यान्न की उपलब्धता के बारे में भारत सरकार को सही आंकड़े नहीं भेजती है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सब लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को सरकार को अपने स्टाकों की घोषणा करनी पड़ी है और सब घोषित स्टाकों के आधार पर खाद्यान्न की मात्रा 68,000 मीटरी टन है। यदि कुछ लोगों ने गैर-कानूनी तौर पर खाद्यान्नों को छुपा रखा है तथा अपने स्टाकों की घोषणा नहीं की है तो निस्संदेह उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Sbri Bagri : Gram in Punjab and Rajasthan was purchased by Government on the assurance that they will be given permits to dispatch 50% of the total stock to the State of Madras etc. However the dealers had not been given any permits to export their stocks of gram to any other States and a large quantity of gram

had rotten; may I know the steps Government propose to take to stop this wastage?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह तय नहीं किया गया था कि चने का कुछ भाग पंजाब सरकार को बेचने के बाद, बाकी को अन्य राज्यों को भेजने की आज्ञा दे दी जायेगी। वास्तव में व्यवस्था यह थी पंजाब से मोटे अनाज, गेहूं तथा चने का अन्य राज्यों को भेजना सरकार से सरकार पर निर्भर होगा। यदि गेहूं, चने अथवा चावल के स्टाक उपलब्ध हो तो राज्य सरकार उन्हें उचित दामों पर खरीदेगी और यदि आवश्यक हुआ तो उनका पंजाब में उपयोग करेगी अथवा अन्य राज्यों को भेजेगी। परन्तु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं यदि वे स्वयं उसे अन्य राज्यों को भेजना चाहते है तथा अनुचित लाभ कमाना चाहते है, तो इस की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

Shri Bagri : My question has not been answered.

Mr. Speaker : It has been answered.

Shri Bagri : I wanted to know regarding the gram which is going waste.....

Mr. Speaker : He has stated that they are ready to purchase it all at reasonable price.

Shri Bagri : Whatever the price may be, if gram is going waste due to some condition, will Government allow it to go waste? What steps Government propose to take in this regard? This question should be answered. If gram goes waste, who is responsible for this wastage.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या सरकार खाद्यान्न की समस्त मात्रा को खराब होने देगी, अथवा उसे सड़ने देगी या उस को वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ताकि इसका उन क्षेत्रों में वितरण किया जा सके, जहां इसकी आवश्यकता है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम इसे वसूल करने का तथा बाद में इसका उपयोग करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : मैं उन कारणों को जानना चाहता हूं जो सरकार के नियंत्रण से बाहर थे तथा जिन की वजह से पंजाब में ऐसी स्थिति पैदा हुई?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य कौनसी स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं। नीति यह थी कि एक राज्य से दुसरे राज्य में गैर-सरकार तौर पर खाद्यान्न भेजने की आज्ञा नहीं दी जायेगी, केवल राज्य सरकार ही उन्हें खरीद सकेगी तथा अन्य राज्यों को भेज सकेगी और यदि वह सरकार को बताये बिना खाद्यान्नों की छुपाये हुये है तो इस का कारण यह है कि वे आशा करते है कि क्षेत्रीय पद्धति को समाप्त किया जायेगा और वे अधिक मुनाफा कमा सकेंगे।

प्रश्नो के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अमरीकी मानचित्रों में जम्मू तथा काश्मीर राज्य का दिखाया जाना

*243. **श्री हेम राज :**
श्री दलजित सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री लाटन चौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प० ह० भील :
श्री प्र० के० देव :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री काजरोलकर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति की अमरीका यात्रा के समय अमरीका के विदेश-कार्य विभाग द्वारा पत्रकारों को जम्मू तथा काश्मीर राज्य तीन भिन्न भिन्न मानचित्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) क्या अमरीका के प्राधिकारियों से इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग) : हमारे राजदूतावास ने इस मामले को अमरीकी विदेशी विभाग के साथ उठाया था। उनके अनुसार अखबारों के संवाददाताओं के लिए प्रेस किट में दो तरह के नक्शे जारी किए गए थे, और एक अन्य नक्शा अमरीकी विदेश विभाग की लाबी में लगाया गया है।

अमरीकी विदेशी विभाग का कहना है कि इन नक्शे का उद्देश्य यह है कि कोई भी साधारण पाठक काश्मीर के प्रदेश को, भारत और पाकिस्तान के दावों के अनुसार, पहचान सके। इन सभी नक्शों पर यह भी लिखा था: "जो सीमाएं यहां दिखाई गई हैं वे जरूरी नहीं अधिकारिक ही हों"।

पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीयों की आस्तियों और सम्पत्ति का अपने अधिकार में लिया जाना

*244. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री काजरोलकर :
श्री दलजीत सिंह :
श्री रामपुरे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय राष्ट्रजनों तथा भारतीय सार्वजनिक न्यासों की आस्तियों और सम्पत्ति को अवैध रूप से अपने अधिकार में लिये जाने के विरुद्ध भारत में विरोध पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आस्तियां और सम्पत्ति उनके मालिकों को वापिस दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या उस सम्पत्ति के मूल्य का कोई अनुमान लगाया गया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। 14 दिसंबर 1965 को यहां पर पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ विरोध प्रकट किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो आस्तियां (एसेट्स) और परिसंपत्ति ले ली गई है, उसे पुनः लौटा दिया जाय।

(ख) और (ग) : पाकिस्तान सरकार ने औपचारिक रूप से हमारे विरोध-पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया है। बहरहाल, ताशकंद घोषणा के अनुच्छेद 8 के अनुसार दोनों सरकारें यह बातचीत करने पर सहमत हो गई है कि लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों ने जो परिसंपत्ति और आस्तियां ले ली थी उन्हें लौटाने के संबंध में कौनसे उपाय बरते जाय।

(घ) पाकिस्तान सरकार ने जो आस्तियां और परिसंपत्ति ले ली है, उसके बारे में भारत के शत्रु परिसंपत्ति संरक्षको भारतीय राष्ट्रिकों से दावे प्राप्त हो रहे है। जिन दावों की जांच और निर्धारण किया जाना है, वे अब भी प्राप्त हो रहे है। आस्तियों और परिसंपत्ति की कुल कीमत का अन्दाजा तब ही लगाया जा सकता है जब संरक्षक (कस्टोडिन) के पास सारे दावे भेज दिए जाएं और उनकी जांच कर ली जाए।

सशस्त्र सेनाओं म डाक्टरों तथा इंजीनियरों की कमी

*245. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री वाल्मीकी :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में डाक्टरों तथा इंजीनियरों की अत्याधिक कमी अनुभव की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक्टरों तथा इंजीनियरों की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) सरकार ने नियमित आधार पर इस कमी को पूरा करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) केवल इंजीनियरों का सख्त अभाव है, और डाक्टरों का कुछ अभाव।

(ख) जी हां। सेना में 2806 इंजीनियरों का अभाव है, वायु सेना में 306 का और नौसेना में 125 का, और तीनों सेवाओं में 374 डाक्टरों का अभाव है।

(ग) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–5606/66**]

Separation of T.V. from A.I.R.

*246. **Sbri Kishan Pattnayak :**
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Sbri Bagri :
Dr. L. M. Singbvi :
Shri Visbwa Nath Pandey :
Sbrimati Renuka Barkataki :
Sbri Bhagwat Jha Azad :
Sbri M. L. Dwivedi :
Sbri S. C. Samanta :
Sbri Subodb Hansda :
Sbri P. C. Borooab :
Sbri Jasbvant Mehta :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to separate television system from All India Radio on the basis of the recommendations of the Chanda Committee; and

(b) if so, whether a separate organisation will be set up for television or 'Go-slow' policy will be adopted in regard to the expansion of the television system?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) The matter is under consideration.

(b) Does not arise.

चीन सरकार से मुआवजा मांगना

*247. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री मधु लिमये :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी सैनिकों द्वारा 12 दिसम्बर, 1965 को मार दिये गये छः भारतीय सैनिकों का मुआवजा चीन सरकार से मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में चीन सरकार ने क्या उत्तर दिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : 14 दिसंबर 1965 को हमने चीन सरकार को एक नोट दिया जिसमें सिक्किम-तिब्बत सीमा पर हुई घटना के प्रति विरोध प्रकट किया गया था; इस घटना में सिक्किम प्रदेश में घुसपैठ करनेवाले लगभग 300 चीनी सैनिकों ने पांच भारतीय कर्मचारी मार डाले थे। चीनियों ने तीन भारतीय सिपाही भी पकड़ लिए थे, जिनमें से एक कैद में ही बाद में मर गया। इस घटना में भारतीय रक्षा कर्मचारियों ने बहादुरी से काम लिया और 30 चीनी घुसपैठिए मार डाले। चीन सरकार ने यह झुठा आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों ने तिब्बत में घुसपैठ की थी। इस विशेष घटना को लेकर मुआविज़े के विषय में कोई खास मांग नहीं की गई लेकिन भारत सरकार ऐसा करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

आणविक हथियारों का फैलाव

*248. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आण्विक हथियारों के और अधिक फैलाव को रोकने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही आरम्भ करने का विचार है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने बीसवें अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया जो भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर पेश किया था और जिसमें वे सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जिनके आधार पर परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने की संधि की जानी चाहिए। 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति, जिसका सदस्य भारत भी है, परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने के उपायों पर जल्दी ही कोई समझौता करने के विचार से आजकल इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

पाकिस्तान को सैन्य सामान का सम्भरण

*249. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की और कुछ सुचनाएं प्राप्त हुई है कि नाटों, सीटो तथा सेन्टो तथा सेन्टो समझौतों के सदस्य देशों द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सामान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में अमरीका सरकार के साथ, उसके इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, कि वह इन समझौतों में अपने सहयोगी राष्ट्रों को ऐसे सामान की सप्लाई न करने के सम्बन्ध में मंत्रणा देगा, बातचीत की गई है ; और

(ग) इस विषय में अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने पाकिस्तान को सैनिक सामान दिए जाने के बारे में समय समय पर रिपोर्ट देखी है।

(ख) और (ग) : जी हां। अमरीका की सरकार ने सितंबर 1965 के बाद पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना बंद कर दिया था और हमें आश्वासन दिया था कि उसने नाटों, सीटो और सेन्टो गटों के मित्र देशों को यह सलाह दी की वे पाकिस्तान को अमरीकी सहायता का सामान और हथियार न भेजे।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट

*250. **श्री स० मो० बनर्जी :**
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 30 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 287 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में काम करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है,

(ख) क्या इन आर्टिस्टों की सभी मांगे पूरी कर दी गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो कौन-कौन सी मांगे स्वीकार की गई हैं और कौन-कौन सी मांगे अस्वीकार कर दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जा रहा है, जिसमें यह दिखाया गया है कि आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा स्थिति सुधारने के लिये 5 अप्रल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 723 और 30 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 287 के उत्तर में बताए कदमों के अतिरिक्त और क्या कदम उठाये गए हैं (विवरण संख्या 1)। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5607/66।]**

(ख) और (ग) : एक और विवरण भी सदन की मेज पर रखा जा रहा है जिसमें बताया गया है कि स्टाफ आर्टिस्टों की क्या मांगे थीं और उन पर क्या क्या कारवाई की गई (विवरण संख्या 2)। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5607/66।]**

हवाना में एकता सम्मेलन

*251. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है क रूस द्वारा प्रायोजित आफ्रीकी-एशियाई तथा लातीनी-अमरीकी राष्ट्रों के एकता सम्मेलन में, जो कि जनवरी, 1966 में हवाना में हुआ था, भारत ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था;

(ग) कितने देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया;

(घ) सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई तथा क्या-क्या निर्णय किये गये; और

(ङ) क्या भारत ने इस सम्मेलन में कोई प्रस्ताव पेश किया था?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ङ) तक: इस सम्मेलन में भारत का सरकारी तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। भारतीय अफ्रो-एशियाई एकता संगठन ने उस सम्मेलन में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था जिसमें 82 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसका घोशित लक्ष्य था—साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध एकता को बढ़ाना।

पाकिस्तान में नजरबन्द किये गये भारतीय लोगों को परेशान किया जाना

*252. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री रा० बरूआ :
श्री हेडा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इन समाचारों के बारे में जांच-पड़ताल की है कि सितम्बर, 1965 में संघर्ष होने के बाद पाकिस्तान में नजरबन्द किये गये भारतीय राष्ट्रजनों को बहुत अधिक यातनाएं दी गई; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद पाकिस्तान में जो भारतीय राष्ट्रिक नज़रबन्द किए गए थे, उनके साथ आम तौर से असंतोषजनक बर्ताव किया गया।

बेचटेल इंडिया लिमिटेड

*253. **श्री वारियर :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभातकार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री बसुमतारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या बम्बई मजदूर संघ के प्रधान ने यह आरोप लगाया है कि बेचटेल इंडिया लिमिटेड के अमरीकी अधिकारियों ने 30 दिसम्बर, 1965 को तारापुर में हड़ताली कर्मचारियों पर अपनी रिवाल्वरों का प्रयोग किया और उन पर अश्रु गैस तथा गन्दी (सिक्कनिंग) गस के गोले फ़ेंकें;

(ख) क्या इस आरोप के संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस संबंध में उन अमरीकी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) (ख), तथा (ग) : श्रमिक नेताओं द्वारा अखबारों में लगाये गये इन आरोपी की सरकार को जानकारी है कि तारापुर मेंवैक्कटल इंडिया लिमिटेड के अमरीकी अधिकारियों ने 29 दिसम्बर, 1965 को रिवाल्वरों का प्रयोग किया और उन पर अश्रु गैस तथा गंदी (सिग्नलिंग) गैस के गोले फेंके। राज्य सरकार ने इन आरोपों की जांच की और 4 जनवरी को एक प्रेस नोट जारी किया कि यह सभी आरोप झूठे और निराधार थे। आरोपों में जिन गोलों का जिक्र किया गया है वे पुलिस द्वारा प्रयोग किये गये थे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

साम्यवादी चीन के विरुद्ध प्रशान्त समझौता

*254. **श्री कपूर सिंह :**

श्री प्र० के० देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 दिसम्बर, 1965 के "मार्च आफ़ दि नेशन" (साप्ताहिक) में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की सरकारों ने साम्यवादी चीन के विरूद्ध एक प्रशांत समझौते के विचार का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार इस तरह के रक्षा संबंधी गुटों अथवा सैनिक संधियों के पक्ष में नहीं है

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के संबंध में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तथा मिस्टर नोएल बेकर के बीच पत्र व्यवहार

*255. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दे० द० पुरी :
श्री काजरोलकर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान ब्रिटेन के रवैये के संबंध में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तथा मिस्टर नोएल बेकर और ब्रिटिश प्रधान मंत्री तथा बी० बी० सी० के अध्यक्ष के बीच हुए पत्र व्यवहार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस पत्राचार में निहित विचारों पर और हाल के भारत-पाक संघर्ष के प्रति यूनायटेड किंगडम की सरकार के आर्म रवैये पर हमारा निराश और अप्रसन्न होना स्वाभाविक है। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के पत्र में जो विभिन्न बातें उठाई गई थी हमने, राजनयिक

सूत्रों द्वारा, उनपर अपने विचार यूनाइटेड किंगडम की सरकार को बता दिए हैं। हमें बताया गया है कि इस पत्राचार का प्रकाशन श्री नोएल बेकर ही ने करवाया है और वह अनधिकृत है ।

छोटे समाचारपत्रों सम्बन्धी दिवाकर-समिति का प्रतिवेदन

*256. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे समाचारपत्रों सम्बन्धी दिवाकर समिति ने, अपना प्रतिवेदन भेजते समय, कुछ समाचारपत्रों को आंखबारी कागज का बड़ा अभ्यंश दिये जाने के बारे में आश्चर्य-जनक तथ्यों का उल्लेख किया है, जो उन समाचारपत्रों की वास्तविक बिक्री को देखते हुए युक्तिसंगत नहीं है, और अन्य मामलों में दिये गये अखबारी कागज के अभ्यंश का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है तथा कुछ मामलों में कुछ समाचारपत्रों के नाम से, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं हैं, अखबारी कागज का अभ्यंश लिया गया है, और

(ख) यदि सभी उपरोक्त मामलों में कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है और भविष्य में इस प्रकार के अवांछनीय कार्यों को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रह हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दिवाकर समिति ने अपना रिपोर्ट में कुछ अखबारों द्वारा अखबारी कागज की चोरी बाजारी करने का शिकायतों का जिक्र किया है, परन्तु उसने लिखा है कि इस प्रकार आरोपों के बारे में उसने कोई जांच नहीं की। समिति को यह भी प्रतीत हुआ कि एक राज्य के अखबारों ने अपना प्रचार संख्या बहुत बढ़ा कर बताई और उसी के आधार पर उनको अखबारी कागज का कोटा दिया गया। समिति ने एसे एक ही मामले का जिक्र किया है, जिसमें उस समय प्रचलित अखबारी कागज देने की नीति के अनुसार, कुछ कोटा एक नए निकलने वाले दैनिक को दिया गिया जो अन्ततः निकला ही नहीं। परन्तु इसने अपना कोटा नहीं लिया।

(ख) अखबारों की प्रचार संख्या की जांच के लिए भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक टोली है। इसे और बढ़ाया गया है। जब भी इसे किसी अखबार की प्रचार संख्या में गड़बड़ी का बता चलता है, उसका अखबारी कागज का कोटा घटा दिया जाता है। एसे मामले जहां अखबारी कागज के दुरुपयोग का सन्देह होता है, उपयुक्त करवाई के लिए भेज दिय जाते है। दुरुपयोग रोकने के लिए यह निर्णय किया गया है कि दैनिक पत्र को अखबारी कागज का नियमित कोटा तभी दिया जाए, जब वह तीन महीने लगातार निकल चुके और वह अपनी प्रचार संख्या, आकार, पृष्ठ संख्या आदि के बारे में चार्टर्ड अकाउन्टेट का प्रमाणपत्र पेश करे।

बर्मा से स्वदेश लौटे हुए लोग

*257. **श्री रा० बरुआ :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय:

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में बर्मा से कितने (भारतमूलक) व्यक्ति भारत में आये हैं; और

(ख) क्या सरकार ने बर्मा सरकार के साथ भारतीयों की उस चल तथा अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जिसे वे लोग भारत आते समय वहां छोड़ आये हैं, कोई करार किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1965 के दौरान कुल मिलाकर लगभग 59,700 भारतमूलक व्यक्ति बर्मा से भारत आए हैं । इसमें से करीब 8700 हवाई जहाज से आए ओर 51,000 समुद्री रास्ते से ।

(ख) अभी तक नहीं । दोनों सरकारें अब भी इस मामले पर विचार कर रही हैं ।

तारापुर में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

*258. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या 29 दिसम्बर, 1965 को तारापुर में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में भारतीय बिजली कर्मचारी संघ (इन्टक) के प्रधान और तारापुर अणु शक्ति कामगर संघ के प्रधान की अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये अमरीकी अभिकरण (यू० एस० ए० आई० डी०) के प्रतिनिधियों के साथ ई मुलाकत की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार इस घटना के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये अमरीकी अभिकारण के प्रतिनिधियों द्वारा चिन्ता व्यक्त किया जाना उचित समझती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) तथा (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये अमरीकी अभिकरण (यू० एस० ए० आई० डी०) जिसने तारापुर परमाणु विद्युत आयोजना पर व्यय के लिये 8 करोड़ डालर की विदेशी मुद्रा का ऋण दिया है, यह चाहते हैं कि प्रायोजना संतोषजनक ढंग से पूरी हो । उन्होंने अपने दो प्रतिनिधि यह जानने के लिए नियुक्त किये कि प्रायोजना को पूरा करने के काम पर हड़ताल से कितना प्रभाव पड़ा है । यह विदित हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के अधिकारियों के तारापुर दौरे का लाभ उठा कर कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधि उनसे मिले । ऋण करार की शर्तों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये अमरीकी अभिकरण को प्रायोजना पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी रखनी होती है ।

लापता सैनिक

*259. **श्री बसुमतारी** :

श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके साथ ताशकन्द में जो सैनिक सलाहकार गये थे वे अपने साथ हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में लापता बताये गये भारतीय सैनिकों की एक सूची ले गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है तथा उन को ढूंढने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न के पहले भाग का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक दुसरे भाग का संबंध है समय समय पर पाकिस्तान में अपने युद्धबन्दियों की सम्पूर्ण सूचिएं प्राप्त करने के लिए उपाय किए गए थे, और फलस्वरुप लापता भारतीय सेविवर्ग में से बहुतों का पता चला है ।

भारत सिक्किम संधि

*260. श्री हरि विष्णु कामत :
डा० रानेन सेन :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम सरकार ने 1950 की भारत सिक्किम संधि के पुनरीक्षण का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन आधारों पर;

(ग) प्रस्तावित पुनरीक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

Communication services between India and Pakistan

*261. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether direct road transport service, Posts and Telegraphs service and overflights by India and Pakistan have been restored;

(b) whether any difficulty has been experienced in the services which have been resumed so far; and

(c) whether necessary arrangements have been made with a view to ensure that these services are not misused in future?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) There has been no direct road transport service as such between India and Pakistan; the civilian road traffic to the border has not yet been restored. Post and Telegraph services have been largely restored. Overflights by scheduled commercial services across each other's territory were resumed from the 11th February, 1966. Military aircrafts will be allowed transit facilities from the 1st March.

(b) No, Sir.

(c) The services would continue to be available only for bonafide purposes.

भारत और पाकिस्तान के वायु सेनाध्यक्षों की मुलाकात

*262. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजित सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के वायु सेनाध्यक्षों की मुलाकत 16 फरवरी, 1966, को पेशावर में, दोनों देशों की सीमाओं पर आकाश में तनाव को कम करने के उपाय निकलने के सम्बन्ध में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय वायु सेना के सेनाध्यक्ष ने 16-17 फरवरी, 1966 को पाकिस्तानी वायु सेना के सेनाध्यक्ष के नियन्त्रण पर पास्कितान का दौरा किया। जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें से ये विषय भी शामिल थे; हवाई उल्लंघन को रोकने के उपाय, एक दूसरे के प्रदेश पर से होकर तथा पूर्वनिर्धारित मार्गों पर सैनिक विमानों की उड़ानों का पुनः आरम्भ किया जाना, तथा सैनिक सामग्री की परिभाषा जिसे कि एक दूसरे के प्रदेश पर से सैनिक विमानों द्वारा नहीं ले जाया जाना चाहिये। यह भी तय पाया कि वायुसेना के परिवहन तथा लड़ाकू विमान अन्तर्राष्ट्रीय रेखा तथा युद्धविराम रेखा के 10 किलोमीटर के भीतर नहीं उड़ने चाहिये, परन्तु सीमावर्ती चौकियों की सहायता के लिये उड़ाने की जा सकती हैं।

हां, हल्के और ए० ओ० पी० विमान और हैलीकोप्टर अन्तर्राष्ट्रीय रेखा और युद्धविराम रेखा 1600 मीटर तक उड़ान कर सकते हैं। यह भी तय पाया कि एक मार्च 1966 से सैनिक विमानों को भी एक दूसरे के प्रदेश से गुजरने की आज्ञा दी जानी चाहिये। अन्य विषयों पर चर्चा दोनों सेनाध्यक्षों के बीच अगली बैठक में जारी रखी जायेगी। चर्चा मैत्रिक वातावरण में हुई और दोनों वायु सेनाओं के बीच संबंधों को सामान्य बनाने में सहायक सिद्ध हुई।

Talks between India and China

***263. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Shree Narayan Das :
Shri Bibhuti Misbra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Yashpal Singh :
Shri P. C. Borooah :
Shri Shiv Charan Gupta :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether some countries are making a move to initiate talks between India and China;

(b) whether any suggestion has been received to that effect; and

(c) if so, the nature thereof and the reaction of the Government thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) The Government of India have no information of any recent move by any country to initiate talks between India and China.

(b) & (c). Do not arise.

Conditions of Minorities in Pakistan

***264. Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bade :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri C. K. Bhattacharyya :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the conditions of minorities in Pakistan have worsened further in the last few months; and

(b) whether Government have taken up the matter with the Pakistan Government for the amelioration of their conditions?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) There has been no noticeable change for the better in the condition of minorities in Pakistan during the last few months.

(b) The general question of the amelioration of their conditions has been taken up with the Government of Pakistan on a number of occasions.

भारत में मिग–21 का निर्माण

*265. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री रामसेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री रा० बरूआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्लर मीना :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री रामपुरे :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में (मिग 21 सुपरसोनिक फाइटर इन्टरसेप्टर एयर क्राफ्ट) के निर्माण करने की परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो मिग परियोजना में कब उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) यह सूचना देना लोकहित में नहीं है।

(ख) मिग-21 विमानों के संयोजन की पहली प्रावस्था के 1966 के दौरान आरम्भ होने की प्रत्याशा है।

भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायु सेना का आधुनिकीकरण

*266. श्री यशपाल सिंह :
श्री वाल्मीकी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायुसेना को सुदृढ़ बनाने तथा उनका आधुनिकी करण करने के सम्बन्ध में और क्या उपाय किये गये है अथवा किये जाने की संभवना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिये उपाय निरन्तर पुनरीक्षण अधीन रहते हैं, विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

नागालैंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतनक्रम

1147. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिये नये वेतनक्रम मंजूर किये गये हैं, जो आसाम के सरकारी कर्मचारियों के वेतनक्रम के बराबर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वे किस तारीख से लागू होंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां। नागा सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रम में संशोधन कर दिया है जिससे कि वे असम के वेतन-क्रमों के समान हो जायं क्योंकि नागालैंड के सरकारी नौकरों के वेतन और भत्ते आम तौर से असम के नमुने पर और उनसे मिलते-जुलते रहे हैं।

(ग) संशोधित वेतन-क्रम 1-4-64 से लागू है।

ओझर में प्रशिक्षण स्कूल

1148. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 29 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1427 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा महाराष्ट्र सरकार को दिये गये 3 लाख 32 हजार रुपये की अनुदान की धनराशि प्रारम्भिक प्रशिक्षण पर पूर्णत: व्यय की जा चुकी है;

(ख) इस प्रशिक्षण का किसने और कहां आयोजन किया;

(ग) कितने स्थानीय छात्रों को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षार्थियों के रुप में तकनीकी केन्द्र में खपाया गया; और

(घ) यदि उक्त धनराशि पूर्णतः व्यय नहीं की गई है तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र सरकार से शेष बची हुई धनराशि को ओझर स्कूल को तकनीकी शिक्षा संबंधी कोई पाठ्यक्रम आरम्भ करने के संबंध में दे देने के लिए कहने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) मार्च, 1966 तक प्रत्याशित खर्च 184877.00 रुपये होगा ।

(ख) प्रशिक्षिण महाराष्ट्र सरकार के निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा नासिक नगर में संगठित किया गया है ।

(ग) प्रशिक्षण अवधि 30 मास है और पहले दल ने अपना प्रशिक्षण अभी संपूर्ण नहीं किया । प्रशिक्षण के लिए चुने गए और भेजे गए पहले तथा दुसरे दल की संख्या क्रमशः 56 और 35 है ।

(घ) शेष राशि, प्रारम्भिक प्रशिक्षण योजना के अधीन तीसरे दल के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग में लाने का विचार है ।

सरकारी उपक्रमों में निदेशक या मैनेजर के रुप में नियुक्त सिविल अधिकारी

1149. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

श्री राम चन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सरकारी उपक्रमों में, 1 जनवरी, 1966 को निदेशन या मैनेजर के रूप में नियुक्त "सिविल" अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ख) किन कसौटियों के आधार पर उन्हें इन पदों के लिये उपयुक्त समझा गया; और

(ग) ऐसे पदों का कार्यभार संभालने से पहले उन्हे कितनी अवधि के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जिस बात के लिए प्रश्न किया गया है उसकी सूचना एकत्र की जा रही और पूरी होने पर सदन के पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) सामान्य कसौटी उपयुक्त योग्यता तथा अनुभव है ।

(ग) जहां समझा जाता है कि प्रशिक्षण आवश्यक है तो उम्मीदवार को निदेशक या प्रबन्धक का कार्य भार सम्भालने से पहले ही उस उपक्रम में उचित समय के लिए प्रशिक्षणार्थ भेज दिया जाता है ।

भूकम्पीय स्टेशन, मैसूर

1150. श्री राम हरख यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अभिलिखित आंकड़ों का विश्लेषण करने तथा परमाणू विस्फोटों और भूचालों में अन्तर करने के तरीके निकालने के संबंध में बंगलौर में एक अन्य भूकम्प-विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र में तत्संबंधी कार्य कब से आरम्भ हो जाएगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : परमाणू विस्फोटों का पता लगाने वाले केन्द्र ने बंगलौर के समीप गौरीविदनूर में 25 अक्तूबर, 1965 से कार्य शुरू कर दिया । अभिलिखित आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण करने के लिये एक

प्रयोगशाला बंगलौर में स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसकी स्थापना तक, अस्थायी व्यवस्था के रूप में, बंगलौर में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सांइस में एक छोटा यूनिट स्थापित किया गया है जो कार्य कर भी रहा है।

नेताजी की रचनायें

1151. **श्री बागड़ी :** **श्री यशपाल सिंह :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री बालमीकी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की रचनाओं को प्रकाशित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) सरकारने 'सुभाषचन्द्र बोस के चुनीदा भाषण' ('Selected Speeches of Subhash Chandra Bose)' के शीर्षक से सुभाषचन्द्र बोस के भाषणों का एक संग्रह निकाला है। भाषण एक सलाहकार समिति के नेतृत्व में चुने गये थे और उस समिति में प्रो० एन० के० सिद्धान्ता (सभापति) तथा सर्वश्री एस० ए० आयर, जे० के० भोंसले और एम० शिवराम शामिल थ। पहला संस्करण बिक चुका है और दूसरा संस्करण हाल ही में निकाला गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार

1152. **श्री बड़े :** **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री कोल्ला वेंकैया : **श्री लक्ष्मी दास :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल में पाकिस्तान द्वारा बमबारी किये जाने के कारण वहां पर व्यापार प्राय: ठप हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उससे प्रभावित लोगों को किसी प्रकार से सहायता देने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में पंजाब सरकार को कोई निदेश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) हाल के संघर्ष के परिणाम स्वरुप कुछ अंश तक औद्योगिक, व्यापारिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) और (ग) : पंजाब सरकार की सलाह से उद्योग तथा व्यापार को तत्काल सहायता देने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यवाही की गई।

(घ) इन कार्यवाहियों का ब्यौरा 8 नवम्बर, 1965 को पुछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर में लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन

1153. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री लाटन चौधरी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री उमानाथ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सामग्री के देश में होने वाले उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के प्रयत्न के रूप में सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं और तकनीकी जानकारी का एक सुव्यवस्थित अध्ययन आरंभ किया है;

(ख) क्या विशेषज्ञों के एक दल ने औद्योगिक संस्थापनाओं की उत्पादन क्षमताओं का मौके पर अध्ययन करने के लिये उनका दौरा किया है; और

(ग) क्या उत्पादन क्षमता और प्रतिरक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिये यदि कोई प्रोत्साहन दिया गया है तो उसके आधार पर उद्योगों की सूचियां तैयार की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) रक्षा सामान के उत्पादन की योग्यता और क्षमता निर्धारित करने के लिए रक्षा संगठनों और संभरण तथा तकनीकी विकास के तकनीकी विशेषज्ञ औद्योगिक सिब्बन्दियों का भ्रमण करते रहे/कर रहे है ।

(ग) औद्योगिक यूनिटों की संभाव्य क्षमता दर्शाने के लिए सूचियां तैयार की गई है। जहां संभव हो सके लम्बे समय के लिए उत्पादन क्षमता बुक कर लेने का प्रयास किया जाता है। मूल्यवान **खाम** पदार्थों के सम्बन्ध में अथवा जहां सामान के उत्पादन में अंतग्रस्त समय अधिक हो खाते में अथवा पेशगी अदायगी करने पर विचार किया जाता है।

Newsprint Quota

1154. **Sbri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Sbri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Executive body of the Indian and Eastern Newspapers Society has asked Government to increase the newsprint quota; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Information & Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रेडियो सेलोन से फिल्मों का विज्ञापन

1155. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री द्वा. ना. तिवारी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भारतीय फिल्म निर्माताओं के फरवरी 1966 से रेडियो सिलोन से फिल्मो के विज्ञापन बन्द करने और फिल्म संगीतों के रिकार्डों की अनुमति न देने के निर्णय के परिणामस्वरुप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : भारत के फिल्म निर्माताओं को रेडियो सीलोन के व्यापार विभाग द्वारा फिल्मों के विज्ञापन के लिए कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जा रही है। रेडियो सीलोन से फिल्मीं गीतों के प्रसारण के बदले निर्माताओं को रायल्टी मिलती है या नहीं, इसकी सूचना नहीं है। यह पता लगा है कि भारतीय फिल्म उद्योग और रेडियो सीलोन के प्रतिनिधियों में आपसी बात-चीत के बाद, भारतीय फिल्म उद्योग ने रेडियो सीलोन के बहिष्कार करने का जो विचार किया था, उसे छोड़ दिया है।

बस्तियों पर किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा

1156. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बाल्मीकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :

क्या **प्रधान मंत्री** 18 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 321 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बस्तियों पर किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा के निर्धारित करने के प्रश्न पर इस बीच पूर्ण रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नही, तो उस पर कब तक अन्तिम रूप से विचार कर लिया जायगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : यह मामला विचाराधीन है और आशा है इसका शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

तारापुर अणुशक्ति केन्द्र में हड़ताल

1157. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री दलजीत सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री उमानाथ :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री बड़े :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० के० देव :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री बागड़ी :
श्री बसुमतारी :
श्री दशरथ देव :
श्री रामपुरे :
श्री व० बा० गांधी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 दिसम्बर, 1965 से हुई लगभग 4000 कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरूप तारापुर की 400 मेगावाट की अणुशक्ति परियोजना का निर्माण कार्यबन्द हो गया था;

(ख) क्या तारापुर अणुशक्ति कामगर संघ को जो हिन्द मजदूर संघ (इंटक) से सम्बद्ध है, अमरीका की इन्टरनेशनल जनरल इलक्ट्रिक कम्पनी ने, जिसके हाथ में निर्माण कार्य है, मान्यता दे दी थी ;

(ग) क्या हड़ताल बम्बई श्रम संघ ने आरम्भ की थी जिसे मान्यता देने से इन्कार किया गया था ;

(घ) काम के बन्द हो जाने क कारण वित्त की कितनी हानि हुई; और

(ङ) झगड़े को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, ठंडे पानी के अन्तग्रहण तथा निस्सारण के काम के अलावा बाकी काम बन्द हो गया था ।

(ख) तारापुर अणुशक्ति कामगार संघ, जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा समर्थित एक संघ है, को वैक्टल इंडिया लिमिटेड ने, जो प्रायोजना के मख्य ठेकेदार इंटरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी के उप-ठेकेदार हैं, मान्यता दे दी थी ।

(ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

(ङ) 29 जनवरी, 1966 को हड़ताल समाप्त हो गई और उसी दिन बम्बई लेबर युनियन और बैक्टल-इंडिया लिमिटेड के मध्य एक समझौता होने पर कार्य आरम्भ हो गया था। इस समझौते के अनुसार बम्बई लेबर युनियन को मान्यता देने के प्रश्न तथा अन्य मांगों पर काम दोबारा शुरू होने के बाद विचार किया जायेगा।

कोलम्बो प्रस्ताव

1158. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री मधु लिमये :
श्री हेम बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के दुराग्रहपूर्व रवैये के कारण कोलम्बो प्रस्ताव अब बेकार हो गए हैं ; और

(ख) भारत और चीन के बीच सीमा विवादों को तय करने के लिये न्यायोचित आधार क्या होगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : कोलम्बो प्रस्तावों के प्रति चीन सरकार का रवैया हठीला और नकारात्मक रहा है। बहरहाल, भारत सरकार ने अपना यह निश्चय नहीं बदला है कि वे चीन के साथ कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर बातचीत करने को तैयार है।

काश्मीर के बारे में हाउस आफ कामन्स में वाद-विवाद

1159. **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 दिसम्बर, 1965 को भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में हाउस आफ कामन्स में श्री जोन फिल्ने द्वारा शुरू किये गये वाद-विवाद की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या चर्चा से मोटे तौर पर ऐसा प्रतीत हुआ कि संसद् सदस्यों का रुख, विशेषकर काश्मीर के बारे में, पाकिस्तान के पक्ष में था; और

(ग) क्या सरकार ने हल निकालने के लिये भारत पर दबाव डालने के उद्देश्य से किये गये ऐसे वाद-विवादों पर ब्रिटिश सरकार को अपनी प्रतिक्रिया बता दी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : बहस में सेक्रेटरी आफ स्टेट के अलावा केवल चार सदस्यों ने हिस्सा लिया। तीन सदस्यों ने पाकिस्तान का पक्ष लिया हालांकि

उनमें से एक, श्री जान टिलनी ने अपने भाषण को संतुलित रखने की कोशिश की। चौथे सदस्य ने वस्तुगत दृष्टिकोण अपनाकर बहस को सही दिशा दी।

(ग) सरकार का यह रुख कई बार बताया जा चुका है कि जम्मू तथा काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारतकी प्रभुसत्ता पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। इसलिए, युनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ यह मामला उठाने का प्रश्न ही नहीं उठा।

Broadcasting Equipment

1160. Shri M. L. Dwivedi : **Shri S. C. Samanta :**
Shri P. C. Borooah : **Shri Subodh Hansda :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether necessary provisions have been made to meet the expenditure involved in obtaining the broadcasting equipment required for implementing the scheme to open broadcasting stations in the border areas; and

(b) whether the requisite complement of officers and staff have since been recruited to run these stations?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir. In the draft Fourth Plan, which has yet to be approved by the Planning Commission, provision has been made for the setting up of more radio stations to serve the border areas.

(b) No, Sir. The necessary operational staff is recruited when the project is nearing completion.

Passport Rules

1161. Dr. Ram Manohar Lohia : **Shri Visbram Prasad :**
Shri Bagri : **Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have framed new rules for the issue of passports;

(b) if so, whether necessary action has been taken to enforce them; and

(c) the date from which they will be enforced?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a), (b) & (c). At an inter-ministerial meeting held on January 7, 1966, certain tentative decisions were taken to liberalise the existing passport rules. The decisions are being given final shape and new rules will be framed to regulate the issue of passports as soon as this is completed.

पंजाब तथा मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि

1162. श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान तथा मध्य प्रदेश सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों तथा सैनिक कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए कितनी भूमि देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) पंजाब के भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी भूमि दी गई है ; और

(ग) वह उनको दिये जाने के लिए कब उपलब्ध करायी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : दोनों सरकारों द्वारा पेशकश किए गए भूमिक्षेत्रों का क्षेत्रफल नीचे दिया गया है:—

राजस्थान : पंजाब के भूतपूर्व सैनिकों के लिए राजस्थान नहर क्षेत्र में 1 लाख एकड़; राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के लिए राजस्थान नहर क्षेत्र में 25000 एकड़ ; हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5000 एकड़; निर्योग्य भूतपूर्व सैनिकों और संक्रिया में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए चम्बल प्रायोजना क्षेत्र में 1000 एकड़; और उन्हीं वर्गों के लिए भाकड़ा प्रायोजना क्षेत्र में 1000 एकड़ ।

मध्य प्रदेश : अन्य राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों के लिए शिवपुरी जिला में 2000 से 3000 एकड़ ।

राजस्थान सरकार द्वारा पंजाब के भूतपूर्व सैनिकों को बांटे जाने के लिए सुरक्षित 1 लाख एकड़ भूमि के लिए उस राज्य सरकार से लिखा पढ़ी की जा रही है ।

सैनिकों के परिवारों को सहायता

1163. **श्री हेम राज :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष में, सम्पूर्ण देश में जिलेवार, कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(ख) उन सैनिकों के परिवारों को क्या सहायता दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : आवश्यक सूचना देने वाले दो अलग अलग विवरण संलग्न हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5608/66]**

दक्षिण अफ्रीका पर व्यापार रोक

1164. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर, 1965 में एक संकल्प पारित किया था जिसमें सुरक्षा परिषद से दक्षिण अफ्रीका पर पूर्ण व्यापार-रोक लगाने के लिए कहा गया था;

(ख) क्या ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमरीका ने संकल्प के पक्ष में मत दिया था ; और

(ग) उस पर भारत सरकार का रवैया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र महासभा में 22 दिसंबर 1965 को प्रस्ताव नं० 2054 (—) के रूप में जो प्रस्ताव पास किया गया था, उसके 47 सहप्रस्तुतकर्ता देशों (को-स्पन्सर्स) में भारत भी एक

था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के ऐसे विभिन्न प्रस्तावों पर पूरी तौर से अमल किया है जिनमें सदस्य राज्यों से कहा गया था कि वे दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध व्यापार संबंधी प्रतिबंध लगाएं।

आकाशवाणी के कार्यक्रम

1165. **श्री नारायण रेड्डी :** **श्री रामेश्वर टांटिया:**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने जनता की रेडिओ सुनने की आदतों का सर्वेक्षण करने के लिए और आकाशवाणी के कार्यक्रमों का गुणात्मक तथा संख्यात्मक मूल्यांकन करने के लिए राजधानी में एक अनुसन्धान संगठन स्थापित किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस संगठन ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, और

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य सुझाव क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : आकाशवाणी से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं की प्रतिक्रिया की पड़ताल श्रोता-गवेषण टुकड़ी नियमित रूप से करती है और यह काम बराबर जारी रहता है। आकाशवाणी के कार्यक्रम बनाते समय इस टुकड़ी की रिपोर्ट पर ध्यान-पूर्वक विचार किया जाता है। इस टुकड़ी को मजबूत बनाया जा रहा है और इसके लिए कुछ पद अभी हाल में स्वीकृत किए गए हैं। कर्मचारियों को भर्ती करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के बारे में कारवाई हो रही है। इन कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद, पड़ताल बड़े पैमाने पर और अधिक बार की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव द्वारा श्री सी० वी० नरसिम्हन को भोज पर निमन्त्रण

1166. **श्री नारायण रेड्डी :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री मधु लिमये : **श्री मि० सू० मूर्ति :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने "ची-फडी केबिनेट" श्री सी० वी० नरसिम्हन को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खां के सम्मान में दिये गये भोज में निमंत्रित नहीं किया ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा दिये जाने वाले ऐसे भोजों में उन्हें निमंत्रित किया जाता था?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) साधारणतः तो शेफ-द-काबिने को इस तरह की पार्टियों में बुलाया जाता है। भारत सरकार को नहीं मालूम कि श्री सी० वी० नरसिम्हन को किन कारणों से नहीं बुलाया गया था।

भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियां

1167. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री रामसेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियां प्राप्त करने के प्रस्ताव में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) ये भारत को कब दे दी जायेंगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : यह विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

श्री एडवर्ड हीथ की यात्रा

1168. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के विरोधी दल के नेता श्री एडवर्ड हीथ जनवरी, 1966 के प्रथम सप्ताह में भारत आये थे;

(ख) उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या था;

(ग) उनके साथ किस प्रकार की चर्चा हुई ; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार के नेताओं के साथ विचार-विनिमय करना; और

(ग) और (घ) : जिन विषयों पर बातचीत की गई, वे हैं—भारत-पाकिस्तान संबंध, चीन तथा भारत संबंध । ब्रिटिश श्री हीथ ने ब्रिटिश कन्ज़रवेटिव पार्टी के विचार व्यक्त किए और हमारे सुने । इस बातचीत को बताना उचित न होगा क्योंकि वे गोपनीय थीं ।

विदेश मंत्री की रूस यात्रा

1169. **श्री बागड़ी :**
यशपाल सिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :
श्री रामसेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने दिसम्बर, 1965 के अन्तिम सप्ताह में रूस की यात्रा की थी;

(ख) उनकी क्या बातचीत हुई; और

(ग) उनकी यात्रा कहां तक सफल रही ?

वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। विदेश मंत्री ने सोवियत सरकार के निमंत्रण पर 23 से 26 दिसम्बर 1965 तक सोवियत संघ की यात्रा की थी।

(ख) विदेश मंत्री सद्भावना यात्रा पर गये थे। उन्होंने सोवियत नेताओं से आपसी हित के मामलों पर तथा राष्ट्रपति अयूब और प्रधान मंत्री शास्त्री के बीच मीटिंग होने के विषय में, जो उसक कुछ समय बाद होनी थी, विचार-विमर्श किया।

(ग) यह यात्रा एक-दूसरे देश के दृष्टिकोण को समझने में सफल सिद्ध हुई। मित्र देशों के नेताओं के साथ समय-समय पर विचारों का आदान-प्रदान हमेशा लाभदायक होता है और हमारे विदेश मंत्री पुरे विस्तार के साथ ताशकंद वार्ता तथा विभिन्न विषयों पर हमारी स्थिति को सोवियत अधिकारियों को समझाने में समर्थ रहे।

Newsprint Quota

1170. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Hem Barua :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) the further progress made in regard to the supply of the required quota of newsprint to the newspapers;

(b) whether it is a fact that the number of and the demand for Indian language newspapers is increasing but their development is held up for want of adequate supplies of newsprint; and

(c) if so, whether any new measures to overcome this difficulty are under consideration?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) During the current year a total increase of 17½ per cent (including 5% given at the time of conflict with Pakistan) over their basic entitlement of newsprint was given to newspapers. To tide over the shortage of imported newsprint caused by the uncertainty in regard to the import of 9,450 metric tonnes of newsprint under the Sixth Non-Project Loan (U.S.A.) in repsect of which no agreement has been signed, Government have made available 5,000 metric tonnes of white printing paper to registered daily newspapers. Steps have also been taken to import an additional 5,000 metric tonnes of newsprint from Abitibi, Canada against the ceiling and agreement for 1966-67.

(b) Yes, Sir.

(c) In view of the stringent foreign exchange situation, which is likely to continue for some time the only solution to the problem of shortage of newsprint lies in increasing indigenous production. The following steps have been taken towards this end :—

(i) The production capacity of the Nepa mills is being expanded from 30,000 to 75,000 metric tonnes per annum.

(ii) Licences have been given to two parties in the private sector for the annual production of 60,000 and 30,000 metric tonnes respectively.

(iii) Two more schemes in private sector with a total capacity of 65,000 metric tonnes per annum have been approved in principle and letters of intent issued.

(iv) It is also proposed to have one large unit with a capacity of about 60,000 tonnes per annum in public sector and the National Industrial Development Corporation have submitted a feasibility report, which is under examination.

High Power Transmitter

1171. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri D. N. Tiwary :
Shri J. B. S. Bist :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) the progress so far made in connection with the installation of the High Power Transmitter;

(b) the causes for the delay; and

(c) when this work will be completed?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) The progress made so far in the procurement and installation of the two powerful transmitters is as follows :—

1. *Powerful medium-wave transmitter near Calcutta*

The transmitter equipment is scheduled to be delivered from USSR in the second half of 1967. The possession of a suitable site for the installation of transmitter has been taken and its soil investigations completed in collaboration with the Russian experts. Arrangements regarding power supply, telephone link, etc. are being finalised. The C.P.W.D. has been asked to commence civil works on ancillaries pending receipt of design drawings for the main transmitter building scheduled to be received from USSR in July-August 1966.

2. *Powerful medium-wave transmitter, Rajkot*

A contract has been executed between Director General, Supplies and Disposals and a Yugoslav firm on November 17, 1965 for the supply of the transmitter in the first half of 1968. A suitable site for the installation of this transmitter has been selected in Saurashtra. Clearance from Defence and other authorities for this site is being arranged.

(b) These high power transmitters are not manufactured indigenously. These have to be imported and hence this delay.

(c) The transmitters are likely to be installed in 6-8 months from the date of receipt of equipment.

Fortification of Borders

1172. Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Gokulananda Mohanty :
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to fortify some parts of the Indian borders;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the areas which have been selected for such fortification for the present?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). As stated by the Defence Minister in the Lok Sabha on the 8th November, 1965, in answer to Unstarred Question No. 316, the measures necessary for the defence of our borders are kept under constant review and various schemes in this regard are considered from time to time.

In the light of the experience gained during the recent Indo-Pakistan conflict, the question of having suitable permanent defence works along our borders, as part of the over-all defence strategy, is also kept under review. It will not be in public interest to disclose further details.

Lhasa-Aksai-Chin Road

1173. **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Lhasa-Aksai-Chin road has been completed by China;

(b) if so, the extent of danger to the security of the Indian borders as a result of the construction of this road; and

(c) the steps taken by Government to neutralize the strategic advantages that would accrue to China on account of this road?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Government are aware that the Chinese have built a road connecting Kashgar, in South Sinkiang, with Gartok in Western Tibet, througth the Indiah territory of Aksai Chin and a further road from Gartok to Lahsa.

(b) and (c). Danger to security is assessed on the basis of many co-related factors. The construction of this road by the Chinese is one such factor which has been taken into account in our defence planning.

सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार

1174. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री हेम बरूआ :
श्री ि० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने ी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावती क्षेत्रों में प्रचार कार्य को राष्ट्र रक्षा का अभिन्न अंग बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है, और

(ख) यदि हां तो इस की मुख्य बातें क्या बताई हैं ?,

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, हाँ।

(ख) सके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और जरूरी यन्त्र व सामान के लिए, आवश्यक प्रबन्ध करने का प्रस्ताव है।

Kitchens for the Soldiers

1175. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there are common kitchens and utensils for the preparation of vegetarian and non-vegetarian meals for the soldiers;

(b) whether vegetarian soldiers are supplied with ghee and vegetables in place of meat; and

(c) whether any demand for separate kitchens has been made on behalf of the vegetarian soldiers?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a)Yes, Sir. But vegetarian and non-vegetarian dishes are cooked separately after cleaning the vessels utilised for either. Due care is also taken of the sentiments of the personnel while serving the meals.

(b) Ghee or vegetables are not authorised sustitutes for meat. Milk fresh or tinned or milk powder is the authorised substitute and is issued to vegetarian soldiers in lieu of meat.

(c) No, Sir.

शिमला के लिये ट्रांसमिटर

1176. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला में स्थापित किये जाने वाला ट्राँसमिटर जो दो वर्ष पहले लिया गया था अभी तक अनउपयुक्त पड़ा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क), (ख) और (ग) : जी नहीं। ट्राँसमीटर के कल पुर्जे भिन्न भिन्न अवधियों में आने को थे और अंतिम किश्त मई, 1965 में प्राप्त हुई थी। ट्राँसमीटर मूलत: आगरा के लिए मंगाया गया था। परन्तु सीमावर्ती क्षेत्रों की विशेष आवश्यकता के कारण, मई, 1963 में, उक्त ट्राँसमीटर को शिमला में लगाने का प्रस्ताव किया था। परन्तु नेफा प्रदेश में प्रसारण का प्रबन्ध करना अब ज्यादा जरूरी है, अत: ट्राँसमीटर को डिबरूगढ़ में लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

पूर्वी पाकिस्तान में तूफान से पीड़ितों के लिए सहायता

1177. श्री बड़े :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में तूफान के कारण हुई क्षति के सम्बन्ध में, जिस में 15,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान है, भारत सरकार से कुछ सहायता देने के लिए प्रार्थना की है ?

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

हिन्द महासागर में विदेशी सैनिक अड्डे

1178. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हेम बरुआ :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती विमला देवी :
श्री किशन पटनायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सभा में तत्सम्बन्धी चर्चा किये जाने के पश्चात् हिन्द महासागर में ब्रिटेन–अमरीका द्वारा सैनिक अड्डा स्थापित किये जाने के प्रयास का संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से तथा अन्य तरीके से विरोध करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत ने हिंद महासागर में सैनिक अड्डे की स्थापना का मजबूती से विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 20वें सत्र में भारत ने भी एक प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें प्रशासनिक देशों से कहा गया था कि वे ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिससे मारिशस का प्रदेश अलग होता हो और उसकी प्रादेशिक अखंडता भंग होती हो।

इस विषय पर ब्रिटिश अधिकारियों को हमारी चिंता से अवगत करा दिया गया है।

रंगभेद नीति के पीड़ितों के लिए न्यास निधि

1179. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष राजनीतिक समिति ने हाल में दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के पीडितों की सहायता करने के हेतु एक न्यास निधि बनाने के लिए एक संकल्प पारित किया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस निधि में कितना अंशदान दिया ; और

(ग) पीड़ित लोगों की दशा सुधारने के लिए इस निधि का किस प्रकार प्रयोग किया जायेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) विशेष राजनीतिक समिति की रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस विषय पर एक प्रस्ताव पास किया है।

(ख) भारत सरकार ने अभी तक इस निधि में कोई अंशदान नहीं दिया है।

(ग) इस निधि से स्वयंसेवी संगठनों को, दक्षिण अफ्रीका के शरणार्थियों को बसाने वाली सरकारों को और अन्य समुचित निकायों को उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाएगा जो इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में बताए गए हैं; इस प्रस्ताव की एक प्रति सदन की मेज पर रखी है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5609/66]**

मित्रतापूर्ण संबंधों तथा सहयोग के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विधि

1180. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतन संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को राष्ट्रों क बीच मित्रतापूर्ण संबंधों तथा सहयोग संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिदधांतों को संहिताबद्ध करने से पहले एक ऐसा संकल्प पारित करना चाहिए जिसमें ये सिद्धान्त निहित हों ;

(ख) उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो महासभा में इस प्रस्ताव को कितनी सफलता मिली; और

(घ) कितने देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) भारत ने, 40 अन्य गुटरहित देशों के साथ मिलकर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बीसवें अधिवेशन में इसकी छठी (कानूनी) समिति में एक प्रस्ताव का मसौदा रक्खा जिसका विषय था : "संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरुप राज्यों में परस्पर मित्रता के संबंध और सहयोग से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर विचार" ।

इस प्रस्ताव के मसौदे के प्रवर्ती पैराग्राफ 3(डी) में कहा गया है कि महासभा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लिखित सिद्धांतों पर एक घोषणा स्वीकार करे "जो इन सिद्धांतो के विकास में और उनके संहिताकरण में एक महत्वपूर्ण घटना होगी" ।

(ख) इस प्रस्ताव के मसौदे में सबसे पहले राज्यों में परस्पर मित्रता के संबंध और सहयोग से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून का सख्ती से पालन किए जाने की बात कही गई है और इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि इनके उत्तरोत्तर विकास और संहिताकरण से इन सिद्धांतों पर ज्यादा अमल किया जाएगा और इनके प्रति सभी में सम्मान की भावना बढ़ेगी और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी । इस प्रस्ताव में राज्यों में परस्पर मित्रता के संबंध और सहयोग से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों की विशेष समिति (इस समिति का भारत भी सदस्य था) के काम का भी उल्लेख किया गया है जिसकी बैठक 27 अगस्त से 2 अक्तूबर 1964 तक मेक्सिको सिटी में हुई थी । प्रस्ताव के मसौदे में कहा गया है कि मेक्सिको सिटी में जिस समिति की बैठक हुई थी उसका काम आगे बढ़ाने के लिए इसी विषय पर एक विशेष समिति बनाई जानी चाहिए तांकि राज्यों में परस्पर मित्रता के संबंध और सहयोग से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून के सात सिद्धान्तों का अध्ययन पूरा किया जा सके । इन सभी बातों पर आधारित इस समिति की रिपोर्ट इस तरह तैयार की जानी थी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा अंतर्राष्ट्रीय कानून के इन सिद्धांतो पर, इनके उत्तरोत्तर विकास और संहिताकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से, एक घोषणा स्वीकार कर सकती ।

(ग) भारत और 40 अन्य गुटरहित देशों द्वारा रक्खे गए इस प्रस्ताव के मसौदे की खास-खास बातें उस प्रस्ताव में शामिल कर ली गई थीं जो महासभा ने अंत में स्वीकार किया था ; यह प्रस्ताव भी भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर रखा था । अंततः जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया वह इन प्रस्तावों के बीच का था जिनमें से एक प्रस्ताव का मसौदा तो 40 अन्य गुट-रहित देशों के साथ मिलकर भारत ने रखा था और दूसरे प्रस्तावों के मसौदे क्रमशः कुछ यूरोपीय देशों ने, कुछ लातीनी अमरीकी देशों ने और चेकोस्लोवाकिया ने रखे थे ।

महासभा द्वारा अंततः स्वीकृत प्रस्ताव में इन सिद्धांतों पर एक घोषणा स्वीकार करने की बात कही गई है । इस प्रस्ताव के प्रवर्ती पैराग्राफ़ 3 के अनुसार पुनर्गठित विशेष समिति में, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के इन सिद्धांतों का अध्ययन करेगी, पहली समिति के सभी सदस्य हैं (भारत भी) और अल्जेरिया, चिली, कीनिया और सीरिया इसके नए सदस्य हैं ।

इस प्रस्ताव के भाग (ख) के अनुसार, नई विशेष समिति उन प्रस्तावों पर भी विचार करेगी जो मेडागास्कर की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लिखित कुछ सिद्धांतों के विषय में किए हैं ।

(घ) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसमें भारत तथा 40 अन्य देशों के साथ रखे गए प्रस्ताव के मसौदे की खास-खास बातें सन्निहित हैं ।

धार्मिक स्थानों के लिए वक्फ बोर्ड

1181. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 6 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1868 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में सिक्खों के धार्मिक स्थानों की भूमि के उचित प्रबन्ध के लिए वक्फ बोर्ड बनाये गये है;

(ख) यदि हां, तो इन बोर्डों की आय किस प्रकार प्रयोग की जाती है; और

(ग) इस आय को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को न देने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) धर्मार्थ, धार्मिक और शिक्षा ट्रस्टों से संलग्न निष्क्रांत संपत्ति के प्रबंध और निपटान की जो योजना अप्रैल 1960 में लागू की गई थी, उसके अंतर्गत पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में सिक्खों के धार्मिक पूजास्थानों से संबद्ध भूमि का प्रशासन करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत, बोर्ड जिन ज़मीनों और अन्य परिसंपत्तियों का प्रशासन करता है, उनसे होनेवाली आमदनी को निम्नलिखित किन्हीं भी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है;

(i) ऐसे शिक्षा, तकनीकी और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए सहायता अनुदान, जो कि समुचित समझे गए हों;

(ii) अनाथालय, कुष्ट गृह, विधवा आश्रम, गरीब घर और शिक्षा, तकनीकी और स्वांस्थ्य संस्थान;

(iii) विज्ञान और कला के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना।

(ग) पूजास्थान संपत्ति की आमदनी का समुचित उपयोग करने की प्रक्रिया के विषय पर भारत-पाकिस्तान पूजास्थान संयुक्त समिति के ज़रिये बातचीत चल रही है; यह समिति 1965 के पंत-मिर्ज़ा करार के बाद स्थापित हुई थी। इस मीटिंग की दूसरी बैठक पर पाकिस्तान सरकार ने अभी सहमति नहीं दी है हालांकि हमने इसके लिए कई बार ज़ोर देकर कहा है।

प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन

1182. **श्री कर्णी सिंहजी** :

डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा उत्पादन को तीव्र गति देने के उद्देश्य से देश में उपलब्ध सभी वैज्ञानिक संसाधनों मानव तथा भौतिक को उपयोग में लाने की दृष्टि से क्या सरकार का विचार प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन के कार्य के सम्बन्ध में निदेश देने तथा उस की देख रेख करने के लिये एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस के कौन कौन से सदस्य होंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अ०म०थामस) : (क) से (ग) : सरकार के अधीन रक्षा मंत्री की अध्यक्षता तथा रक्षा उत्पादन मंत्री की उपाध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय रक्षा अनुसन्धान तथा विकास परिषद पहले से विद्यमान है, उसका काम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का निदेशन और देख रेख करना, और प्राप्य वैज्ञानिक संसाधनों की प्रयोग्यता में सहायता देना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त इस में सम्मिलित हैं रक्षा सचिव, सचिव (रक्षा उत्पादन), तीनों सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, महानिदेशक सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सक सेवाएं, महानिदेशक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद्, वित्तीय सलाहकार, महानिदेशक परीक्षण और मुख्य नियंत्रक अनुसंधान तथा विकास

परिषद, तीनों सेवाओं की आवश्यकता के साथ साथ औद्योगिक चिकित्सा संबंधी तथा रक्षा अनुसंधान और विकास का कार्य करने वाले संगठनों और परीक्षण संगठन से सम्पर्क और तालमेल सुनिश्चित करती हैं।

विशेष क्षेत्रों में आर०एंड०डी० कार्यक्रमों के पुनरीक्षण के लिए तथा सलाह देने के लिए, रक्षा विज्ञान जैसे कि धातु विज्ञान, हथियार बंदी, वद्युती, इंजीनियरी साज़सामान, वैमानिकी, नाविक अनुसंधान, सामान संबंधी अनुसंधान, खाद्य अनुसंधान इत्यादि के विभिन्न अनुशासनों के लिए सलाकार समितिएं और आर० एंड०डी० पेनल विद्यमान हैं। रक्षा से असंबंधित संगठनों के वैज्ञानिक भी इन समितियों में से कुछ के सदस्य हैं।

मन्त्रिमंडलीय एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक मंत्रणा समिति भी विद्यमान् है, जिसका एक सदस्य है वैज्ञानिक सलाहकार। इस समिति में देश के अन्य बड़े वैज्ञानिक संगठनों के प्रतिनिधि भी सदस्य हैं, और यह समस्त देश के व्यापक स्वरूप की समस्याओं पर विचार करती है, और सरकार को देश में प्राप्य मानवीय तथा सामान संबंधी संसाधनों की समन्वित प्रयोग्यता में सलाह देती है।

छावनी बोर्ड कर्मचारी

1183. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन ने बहुत पूर्व सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थानों से शिकायतों के बारे में सुनिश्चित प्रक्रिया अपनाने तथा उसे अपने नियमों में समाविष्ट करने के सम्बन्ध में सिफारिश की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि छावनी बोर्डों के कर्मचारी कई वर्षों से ऐसी प्रक्रिया के लिए आन्दोलन करते चले आ रहे हैं और कई अभ्यावेदन दे दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अपने भिन्न भेद निपटाने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए उद्योगपतियों और कर्मचारियों के पथप्रदर्शन के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन ने एक आदर्श शिकायत प्रक्रिया तैयार की है।

(ख) अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी संघ और कुछ स्थानीय संघ समय समय पर, कमान, निदेशालय और सरकार स्तर पर "एक त्रिसोपानिय वार्ता संगठन" के लिए मांग करते रहे हैं।

(ग) अपनी शिकायतों के लिए छावनी बोर्ड कर्मचारी संघ और स्थानीय संघों/समितियों की प्रतिनिधित्व की मान्यता के लिए नियमों में 4 स्तरों पर मान्यता का उपबंध पहले से है, अर्थात् (1) छावनी बोर्ड, (2) कमान (3) निदेशक सैनिक भूमि तथा छावनिए और (4) भारत सरकार यह शिकायतें दूर करने के लिए औद्योगिक झगड़े अधिनियम के अधीन प्राप्य वार्ता संगठन के अतिरिक्त है।

छावनी बोर्डों में भविष्य निधि अंशदान

1184. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक संशोधन लागू किया है जिस के अनुसार भविष्य निधि अंशदान की दर $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से बढ़ा कर $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत कर दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि जबकि इस परिवर्तन का सभी सरकारी विभागों में लागू कर दिया गया किन्तु इस संशोधन की छावनी बोर्ड निधि नियमों में न तो समाविष्ट किया गया है और न छावनी बोर्ड कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन ही किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। योगदत्त निर्वाह निधि नियमों द्वारा शासित कर्मचारियों के निर्वाह निधि में सरकार के अंशदान का मान 1-9-57 से सवा छै प्रतिशत से तिहाई ऊपर 8 प्रतिशत तक बढ़ दिया गया था।

(ख) तथा (ग) : योगदत्त निर्वाह निधि नियम (भारत) केन्द्रीय सरकार के पेन्शन के अनधिकारी कर्मचारियों पर लागू ह और तदनुसार छावनी बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू नहीं है। छावनी बोर्डों द्वारा निर्वाह निधि को अंशदान का दर राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्युनल 1960 के निर्णय द्वारा शासित है। इस निर्णय के फलस्वरूप निर्वाह निधि को अंशदान 1-4-1960 से साढ़े तीन प्रतिशत से सवा छै प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। इस अंशदान के अतिरिक्त छावनी बोर्ड अगर उचित समझे तो निम्न दरों पर बोनस के रूप में कर्मचारी के निर्वाह निधि में अधिक अंशदान दे सकता है :—

10 वर्ष की अनुमोदित सेवावधि के पश्चात् दो मास का वेतन।

15 वर्ष की अनुमोदित सेवावधि के पश्चात् तीन मास का वेतन।

20 वर्ष की अनुमोदित सेवावधि के पश्चात् तीन मास का वेतन।

25 वर्ष की अनुमोदित सेवावधि के पश्चात् चार मास का वेतन।

30 वर्ष की अनुमोदित सेवावधि के पश्चात् चार मास का वेतन।

ऐसे बोनस संचयी होते हैं, अर्थात् एक कर्मचारी जिस ने 10 वर्ष सेवा करने के पश्चात् दो मास की वेतन के तुल्य बोनस प्राप्त कर लिया है, पांच वर्ष और सेवा कर लेने पर दूसरा बोनस तीन मास के वेतन के तुल्य प्राप्त कर लेता है, इत्यादि।

A.I.R. Anniversaries Programme

1185. **Shri Hari Vishnu Kamath :** Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to a report in the Statesman (Calcutta Edition) dated the 30th August, 1965, captioned 'AIR Anniversaries Programme';

(b) whether the report is correct; and

(c) the basis or criteria for determining the inclusion of 'eminent Indians in the national political life' in three categories mentioned therein?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The main criteria for determining the inclusion of eminent persons in the three categories outlined in the press report are :

(1) the eminence of the persons in their respective fields of activity; and

(2) their contribution to national life.

पूर्वी पाकिस्तान में परमाणु शक्ति कारखाना

1186. **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने 'पूर्वी पाकिस्तान में परमाणु शक्ति कारखाने का निर्माण करने' के लिये स्कैंडीनेवियन देशों की सरकारों के साथ एक करार किया है;

(ख) क्या उक्त कारखाना शांति प्रयोजनों के लिये होगा अथवा अन्य प्रयोजनों के लिये; और

(ग) सरकार की इस बारे में प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) सरकार को नहीं मालम कि स्कैंडिनेवियाई देशों ने पाकिस्तान में परमाणु-बिजली प्रायोजना शुरू करने के लिए पाकिस्तान को सहायता देने का कोई वचन दिया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड, कानपुर के प्रशिक्षुओं द्वारा हड़ताल

1187. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री वसुमतारी :
श्री रामपुरे :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1965 में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कानपुर के प्रशिक्षुओं में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्या कारण थे; और

(ग) उक्त हड़ताल कितने समय तक चलती रही और किस शर्त पर हड़ताल तोड़ी गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा प्रायोजित सीधे प्रवेश पाने वाले शिक्षुओं ने प्रवेश पाने की तिथि से अपने शिशिक्षुता के पंजीबद्ध किए जाने की माँग पर ज़ोर देने के लिए हड़ताल कर दी थी, कि वह राष्ट्रीय शिशिक्षुता परीक्षा में बैठने के अधिकारी बन सकें।

(ग) हड़ताल 14-12-1965 से 13-1-1966 तक रही। शिक्षुओं की पंजीयकरण की मांग पूरी कर दी गई। हड़ताल अवधि के उत्तर भाग के दौरान प्रस्तुत की गई कई अन्य मांगों पर एच०ए०एल० में विचार हो रहा है।

Marathi Broadcasts from Bombay Radio Station

1188. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the resolution passed by the Marathi Sahitya Sammelan, Hyderabad, demanding that Marathi should be the principal language of broadcasts from Bombay Radio station; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :

(a) Yes, Sir.

(b) Marathi is already the principal language of broadcasts from Bombay Station of All India Radio. It has been the policy of All India Radio to broadcast majority of programmes from each station in the main language of the region to which it caters.

The Bombay 'B' channel, which is the strongest of the three channels of the Bombay Station, is mainly devoted to programmes in Marathi.

Broadcast from Dacca Radio

1189. **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Yashpal Singh :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. R. Chakraverti :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn the attention of the Government of Pakistan towards the broadcast from Dacca Radio in which the poems of the

national poet of Bengali language, Kazi Nasurul Islam are given out with a communal tinge; and

(b) if so, the reaction of the Government of Pakistan thereto?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

श्रीलंका रेडियो को विज्ञापन ठेका

1190. श्री उमानाथ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय निर्माता संघ ने श्रीलंका रेडियो से अपना वार्षिक विज्ञापन ठेका वापिस लेने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्रीलंका सरकार का विचार जवाबी कार्यवाही के रूप में श्रीलंका में प्रदर्शन हेतु हिन्दी तथा तमिल फिल्मों के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में श्रीलंका सरकार के प्रतिनिधियों तथा भारतीय फिल्म निर्माताओं के बीच कोई बातचीत हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क), (ख) और (घ) : ऐसी खबर थी कि रेडियो सीलोन के व्यापार-विभाग द्वारा भारतीय फिल्मी गीतों के रिकार्डों के प्रसारण के सम्बन्ध में भारत के फिल्म निर्माताओं और रेडियो सीलोन के बीच कुछ मतभद थे। पता चला है कि भारतीय फिल्म निर्माताओं और रेडियो सीलोन के प्रतिनिधियों में बातचीत के बाद ये मतभेद समाप्त हो गय है।

(ग) जी, नहीं :

अफ्रीका एशियाई देशों के केडेट

1191. श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र. चं. बरूआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री रा० बरूआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अफ्रीकी-एशियाई देशों के केडिटों को भारतीय प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण की सुविधायें देने की कोई योजना स्वीकार की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : एफ्रो-एशियाई देशों के कैडेटों को कुछ वर्ष के लिए भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई है।

इन्हें रक्षा अकादमियों में अथवा कालिजों में स्थान दिया जाता है। अधिकांश मामलों में संम्बद्ध देश ही प्रशिक्षण का कुल खर्च बर्दाश्त करता है। किंतु, कुछ मामलों में भारत सरकार की कुल खर्च या उसका कुछ भाग बर्दाश्त करती है।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों को उदार रियायतें

1192. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने प्रतिरक्षा कर्मचारियों और उन के परिवारों को उदार रियायतें दी हैं;

(ख) क्या पंजाब सरकार द्वारा किये गये व्यय का कोई भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया है;

(ग) क्या पंजाब में भूतपूर्व सनिकों को रोजगार दिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है, अथवा उसका कोई व्यय केन्द्र द्वारा भी वहन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । तदपि केन्द्रीय सरकार ने करनाल, पटियाला, और कपूरथला जिलों में भूतपूर्व सनिकों के लिए भूमि पर आवास की पुरानी योजनाओं के संबंध में अनुदानों और ऋणों के रूप में अंशदान दिया था ।

(ग) तथा (घ) : केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब के भूतपूर्व सैनिकों के पुनरावास के लिए कोई योजना नहीं बनाई है । तदपि राजस्थान सरकार ने पंजाब के भूतपूर्व सैनिकों के लिए राजस्थान नहर क्षेत्र में 1 लाख एकड़ भूमि सुरक्षित कर रखी है । भूमि देने की विस्तृत योजना अभी बनाई जानी है, और मामले पर राज्य सरकार से लिखा पढ़ी जारी है ।

राष्ट्रीय रक्षा कोष म राज्यों के मंत्रियों का अंशदान

1193. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 31 जनवरी, 1966 तक विभिन्न राज्यों के मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों ने राष्ट्रीय रक्षा कोष में कितना अंशदान दिया था; और

(ख) उक्त अंशदान के अतिरिक्त उन्होंने किस प्रकार की कटौती कराने की इच्छा प्रकट की है?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अंशदाता राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये अंशदान उन विभिन्न संग्रह संस्थानों को सीधे रूप से देते हैं, जिन्हें ऐसे अंशदान लेने के लिये अधिकृत किया गया है । अंशदानों का प्रकारानुसार कोई लेखा नहीं रखा जा रहा है, तथा खेद है कि अभीष्ट सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है ।

(ख) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

पूर्वी पाकिस्तान से तथा पूर्वी पाकिस्तान को लोगों का आना जाना

1194. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के ऐसे गरमुस्लिम शरणार्थियों की संख्या क्या है जो गत 12 मास के दौरान भारत से अपने मूल घरो को वापस चले गये हैं; और

(ख) उसी अवधि में कितने भारतीय मुस्लिम भारत से पाकिस्तान चले गये हैं और वापिस नहीं लौटे है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मारे गये सैनिकों के बकाया वेतनों का भुगतान

1195. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मारे गये सैनिक कर्मचारियो के बकाया वेतनो और भत्तो से संबंधित कितने मामलो पर अभी तक निणय नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 2735 में से केवल 475 मामले ऐसे है कि जिनमें मारे गए सैनिक सेविवर्ग के निकटस्थ सम्बन्धियो को उनके वेतन और भत्तों का अन्तिम शेष भाग की अदायगी करना अभी बाकी है।

(ख) अदायगो में विलम्ब के मुख्य कारण हैं :—

(1) यूनिटों और सैनिक लेखा अधिकरणों से हिसाब के बेबाको पत्र को प्राप्ति न होने के कारण हिसाब सम्पूर्ण नहीं हुए; अथवा

(2) असैनिक अधिकरणों की रिपोर्ट पर आधारित उनके कानूनी उत्तराधिकारी अभी निर्धारित किए जाने है; या

(3) निकटस्थ सम्बन्धियों को भेजे गये मनीआर्डर बिना भुगतान हुए वापस आ गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्थान बदल लिए हैं, और उनके वर्तमान पते ज्ञात नहीं थे।

नेफा (उपूसी) में भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना

1196. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 15 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 536 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा (उपूसी) में हुई भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना की जांच करने के लिये नियुक्त की गई जांच अदालत ने इस बीच जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस से क्या निष्कर्ष निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) कोर्ट आफ इन्क्वायरी ने निम्न निर्णय दिया :—

विमान (हेलिकाप्टर) पूरी तरह से सेवा योग्य था। विमान का कर्मी दल उड़ान के लिए सक्षम था। विमान पर उचित सामान लादा गया था, उड़ान के लिए उचित निदेश दिए गए थे। दुर्घटना रिज के ऊपर इंजन में आग भड़क उठने से लगी जिस से विमान चालक के लिए किसी साफ क्षेत्र में विमान को उतारने के स्थान ढूण्ढने के लिए पर्याप्त ऊंचाई प्राप्त न हो सकी। चूंकि इंजन के अवशेष प्राप्त न हो सके अचानक आग भड़क उठने का कारण नहीं जाना जा सका। इंजन की गती विधि में विमान चालक और सहायक विमान चालक ने कोई असाधारण बात नहीं देखी थी न हीं उन्हें किसी प्रकार के कम्पन का ही आभास हुआ था। बचाव/उत्तरजीविता/निकास संबंधी साज़सामान की क्रियाओं में कोई त्रुटि न थी। परोक्ष तौर पर विमान चालक को इस दुर्घटना का उत्तरदायी ठहराया गया है, क्योंकि उसने निदेशों की अवहेलना की और परिचालन प्रक्रिया के परिमाप पर दृढ़ न रहा। अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

आकाशवाणी की पत्रिकाओं का मुद्रण

1197. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 15 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 526 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की पत्रिकाओं के मुद्रण की शर्तों का उल्लंघन होने के बारे में की गई जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर): (क), (ख) और (ग) : जांच अभी चल रही है।

(घ) मामले में कई कानूनी मुद्दे हैं, जिन पर विचार हो रहा है।

Information Centres in Bihar

1198. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar ranks second in the country in respect of population;

(b) if so, whether it is a fact that there are more than one Information and Broadcasting Centres in the States having lesser population whereas there is only one centre in Bihar;

(c) whether it is also a fact that North Bihar has been totally neglected in this respect; and

(d) whether Government propose to set up an information centre at Motihari, District Champaran?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). At the Conference of State Ministers for Information held in January 1955 it was decided that Information Centres (not Information and Broadcasting Centres) might be set up at three levels, *i e.*, in villages, district headquarters and State capitals. At the village level, they are to be set up in Community Project and National Extension Service areas by the Community Projects Administration; at district head quarters by the State Governments and at the State capitals by the State Governments in collaboration with the Central Government.

The cost of Information Centres set up at State capitals is shared between the Central and the State Govts. concerned on a 50:50 basis. This principle of cost-sharing was later extended to a second Information Centre in addition to the one at State capital, if the State Govt. would be prepared to set up one at an important town considered suitable from the point of view of population, industry or commerce, etc. The Central Govt. would agree to meet 50% of the cost thereof on merit in each case.

The Govt. of Bihar set up an Information Centre at Patna towards the end of January 1956 for which the Central Govt. share the cost with the State Govt. on a 50:50 basis. The Govt. of Bihar has not so far made any proposal for a second Information Centre on the same basis in that State. Govt. of India are not aware whether the Govt. of Bihar proposes to set up an Information Centre at Motihari, District Champaran.

Under the scheme referred to above, there are two Information Centres run on a 50:50 cost-sharing basis in the States of Madras, Maharashtra, Madhya Pradesh, Mysore, Rajasthan and Andhra. In the State of U.P. (largest populated State in India), Bihar, Assam, Orissa, Kerala, however, there is only one Information Centre run on the same basis.

Enquiry into firing on labourers of Tarapore Atomic Energy Plant

1199. **Shri Madhu Limaye :** **Shri Daji :**
Shri S. M. Banerjee : **Shri H. C. Soy :**
Shri Hari Vishnu Kamath : **Shri M. R. Krishna :**
Shri Kajrolkar : **Shri M. L. Jadhav :**
Shri Gokulananda Mohanty : **Shri Jedhe :**
Shri Yashpal Singh : **Shri Baswant :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the police resorted to firing on the labourers of Tarapore Atomic Station, who were on strike from the 9th December, 1965 as a result of which eight labourers were killed;

(b) if so, the details of the incident and whether compensation has been given to the families of those killed and injured; and

(c) whether the State Government has been asked to hold a judicial inquiry into this firing and, if so, with what result?

Prime Minister and Minister of Atomic Engery (Shrimati Indira Gandhi) : (a) & (b). The facts are reported to be as under :—

The workers of M/s. Bechtel India Ltd., one of the sub-contractors of International General Electric Company, the main contractor for the construction of the Tarapur Atomic Power Station struck work on December 9, 1965. The situation at the Project site was peaceful till December 28. The situation deteriorated on December 29, when a scuffle started at the canteen in Bechtel's labour camp. During the disturbance, the canteen was ransacked and glassware and crockery broken by the strikers. It is reported that the efforts of the police to pacify the mob having failed and even a lathi charge and the use of tear gas proving ineffective, the police were compelled to open fire. As a result of the firing, 8 persons were killed and 12 injured, one of whom died later in hospital. 52 police officers and men were also injured. The situation was brought under control the same day late in the evening. No further incidents were reported thereafter till the end of the strike on January 29, 1966. No compensation has been paid by the State Government to the families of the persons killed or injured in the firing.

(c) A magisterial inquiry into the firing is being held.

Contributions to Pak. War Fund

1200. **Shri Bagri :** **Shri Yashpal Singh :**
Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Rajdeo Singh :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1482 regarding contributions to Pakistan War Fund on the 29th November, 1965 and state :

(a) whether the enquiry in this connection has been completed;

(b) if so, the number of defaulters; and

(c) the action taken by Government against those persons?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) Enquiries are still under way.

(b) & (c). On completion of enquiries, appropriate action will be taken.

Chinese soldier captured by Indian Troops

1201. Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bade :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri D. D. Puri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a Chinese soldier has recently been taken prisoner by the Indian troops in the Central Sector of the Northern border;

(b) whether this Chinese soldier has expressed his desire to go to Formosa; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

सीमा के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों का बसाया जाना

1202. श्री गोपालदत्त मैंगी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को पाकिस्तान के साथ लगती हुई सीमा के साथ साथ विशेष कर आसाम और जम्मू तथा काश्मीर में किसी योजनाबद्ध ढंग से बसाने का कोई अब तक प्रस्ताव है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों के पुनरावास के सुझाव प्राप्त हुए थे, और वह सरकार के विचाराधीन है।

Forged passports

1203. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have apprehended a gang engaged in making forged passports;

(b) if so, whether some Government employees are also involved therein; and

(c) if so, their names and the departments to which they belong?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Two individuals were arrested on December 21, 1965 on the charge of being involved in the forgery of passports.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

सिक्किम क्षेत्रों में सैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति

1204. श्री हेम राज : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1962 में हुए चीनी आक्रमण से पूर्व तथा उसके पश्चात् सिक्किम क्षेत्र को सामरिक क्षेत्र माना जाता था;

(ख) क्या वहां पर नियुक्त सैनिक अधिकारियों को सिक्किम प्रतिकर भत्ता दिया जाता था और यदि हां, तो उसकी दर क्या थी और क्या उनको मुफ्त राशन भी दिया जाता था ;

(ग) क्या अधिकारियों को वर्ष 1962 से उपभोग में लाये गये राशन का मूल्य भुगतान दरों पर चुकाने के लिये कहा गया है, जो कि राशन के धन से तीन गुना है;

(घ) क्या बहुत से सम्बन्धित अधिकारी इस बीच मर चुके हैं, मारे गये हैं, जख्मी हो गये हैं, अपाहिज हो गये है अथवा लापता हैं; और

(ङ) कुल कितने अधिकारियों पर इसका प्रभाव पड़ा है और उनमें व्याप्त असन्तोष को दुर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ) तक : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5610/66]**

ब्रिटेन के लिए पारपत्र

1205. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 नवम्बर, 1965 से आज तक ब्रिटेन के लिए कितने पारपत्र दिये गये है ;

(ख) इस अवधि में कितने प्रार्थना-पत्र आये; और

(ग) इस अवधि में कितने प्रार्थना-पत्र नामंजूर किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 3409 (31-1-66 तक)

(ख) 3583

(ग) 32।

ब्रिटेन के निरस्त्रीकरण मंत्री का चीन के सम्बन्ध में वक्तव्य

1206. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन के निरस्त्रीकरण (डिसआर्मामेंट) मन्त्री द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि चीन आगामी दस वर्ष में विश्व शान्ति को भंग करने में समर्थ हो जयेगा;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या चीन के बढ़ते हुए खतरे के विरुद्ध विश्व-मत बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने एक वक्तव्य की रिपोर्ट देखी है जो ब्रिटेन के निरस्त्रीकरण मंत्री ने इस विषय पर दिया था।

(ख), (ग) और (घ) : सरकार चीन के परमाणु कार्यक्रम से चिंतित है और चीन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो खतरा पैदा हो गया है, उसके विरुद्ध मत बनाने का भी उसने प्रयत्न किया है ।

भारतीय स्थल सेना के आरक्षित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते

1207. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान ड्यूटी के लिये बुलाये गये आरक्षित सैनिक कर्मचारियों का सन्य वियोजन कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि आरक्षित सैनिक कर्मचारियों पर अभी तक ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1888 में बनाये गये नियम लागू होते हैं;

(ग) क्या मुफ्त राशन, मकान किराया और नगर प्रति कर भत्ते के बदले में उनके वेतन से 25 रूपये काटे जा रहे हैं;

(घ) क्या प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों पर भिन्न नियम लागू होते हैं और उनके वेतन से यह कटौती नहीं की जाती; और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बुलाए गए रिजर्विस्टों को 31-3-1966 तक डिस्चार्ज करने अथवा पुनः रिज़र्व में स्थानान्तरित करने के लिये निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(ख) जी हां, परन्तु इंडियन रिज़र्व फोर्सिज़ एक्ट 1888 और उसके अधीन बनाए गए इण्डियन रिज़र्व फोर्सिज़ रूल्ज़ में जहां आवश्यक हुआ 1947 में संशोधन कर दिए गए है।

(ग) अगर बुलाए असनिक सरकारी कर्मचारी वेतन के असैनिक दर प्राप्त करना चयन करें तो निश्शुल्क राशन के बदले 25 रुपये काटे जाते हैं। असैनिक सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला मकान किराया और प्रतिपूरक भत्ता सुरक्षित नहीं किए जाते। सभी स्थानीय और प्रतिपूरक भत्ते सैनिक वेतन पद्धति और नियुक्ति स्थान के अनुसार नियन्त्रित किए जाते हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रादेशिक सेना के सेविवर्ग ऐसे असैनिक होते हैं जो देश की रक्षा के लिए अपना फालतू समय देना स्वीकार करते हैं, और वह अपने असनिक व्यवसायों के भंग हो जाने के फलस्वरूप वित्तीय तथा असुविधाओं को अपनी स्वच्छा से सहन करते हैं, जबकि रिजर्विस्ट ऐसे सेविवर्ग हैं जिन्होंने सेना को अपनी जीविका बनाया है और जो व्यावसायिक तौर पर सैनिक हैं। प्रादेशिक सेना सेविवर्ग प्रादेशिक सेना नियमों द्वारा शासित हैं, जिन में प्रादेशिक सेना में सेवा के बुलाए जाने पर, सनिक अथवा असैनिक वेतन के अतिरिक्त, निश्शुल्क राशन अथवा उसके बदले किसी भत्ते के कारण किसी प्रकार की कटौती का कोई उपबंध नहीं है।

संसद् सदस्यों के शिष्टमंडल का प्रतिवेदन

1208. श्री बसुमतारी :

श्री रामपुरे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों के उस शिष्टमंडल ने, जो अफ्रीका गया था, एक प्रतिवेदन में प्रधान मंत्री को बताया है कि भारत में आने वाले छोटे देशों के प्रतिनिधियों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि बड़े तथा धनी देशों के प्रतिनिधिकों की ओर दिया जाता है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उन देशों ने ऐसी शिकायत की थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) एक प्रतिनिधिमंडल के नेता ने सुझाव दिया था कि भारत आने वाले छोटे देशों के प्रतिनिधियों पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए जितना कि बड़े और समृद्धशाली देशों के प्रतिनिधियों पर दिया जाता है।

(ख) यहां आने वाले जो विशिष्ट व्यक्ति राजकीय अतिथि होते हैं, उनका हमारी परंपरागत रीति के अनुरूप हार्दिक और मैत्रीपूर्ण स्वागत किया जाता है, चाहे उनके देश का आकार कुछ भी हो।

(ग) जी नहीं।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान शहीद हुए जवानों के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधायें

1209. **श्री बसुमतारी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान शहीद हुए जवानों और अधिकारियों के बच्चों को सरकार द्वारा एक प्रकार से आश्वासन दिया गया है कि उनको तकनीकी शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं दी जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : किसी प्रकार के आश्वासन का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को तकनीकी शिक्षा के लिए सामान्य-तौर पर प्राप्य सुविधाएं प्राप्त होंगी।

दिल्ली में जवानों के आश्रित बन्धु

1210. **श्री शिवचरण गुप्ता :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कितने जवान शहीद हुए हैं तथा अपाहिज हो गये हैं ;

(ख) सरकार द्वारा उनके परिवारों को कितनी राहत तथा सहायता दी गई है; और

(ग) क्या दिल्ली में जवानों के आश्रित बन्धुओं की देखभाल करने के लिये स्थानीय स्तर पर कोई संगठन स्थापित किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 12 मारे गये थे और निर्योग्य एक भी नहीं हुआ।

(ख) प्रभावित कुटुम्बों को दी गई राहत और सहायता इस प्रकार है :—

(1) मृतक के पद पर आधारित एक यकमुश्त उपदान।

(2) विशेष कुटुम्ब पेन्शन और बच्चा भत्ता, पहले 7 वर्षों के लिये मृतक द्वारा अन्तिम प्राप्त आधारभूत वेतन का दो तिहाई ; और उसके पश्चात् वर्तमान दरों का दुगुना जो अन्तिम प्राप्त आधारभूत वेतन के दो तिहाई से अधिक न हों, अथवा अगर अधिक लाभ कर हो वर्तमान दरों का डेढ़ गुणा परन्तु अधिकाधिक अन्तिम प्राप्त आधारभूत वेतन के बराबर।

(3) सैनिक राहत निधि से 200 रूपये तक फौरी वित्तीय सहायता।

(ग) स्थानीय एजेंसी जो दिल्ली में जवानों के आश्रितो के कल्याण का ध्यान रखती है, वह है जिला सैनिक, नाविक तथा विमान सैनिक बोर्ड।

सात सूत्री निरस्त्रीकरण कार्यक्रम

1211. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री व० वा० गांधी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने अणु अस्त्रों की होड़ को समाप्त करने के लिये एक सात सूत्री निरस्त्रीकरण कार्यक्रम प्रस्तावित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी निश्चित योजना क्या है ; और

(ग) उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। राष्ट्रपति जानसन ने 27 जनवरी 1966 को 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति के लिये अपने संदेश में, जिसका अधिवेशन 27 जनवरी 1966 को हुआ था, सात सूत्री निरस्त्रीकरण कार्यक्रम पर विचार करने का प्रस्ताव किया था। इस कार्यक्रम का विवरण देते हुए संदेश की एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5611/66**]

(ग) इस सात सूत्री कार्यक्रम के विषय पर 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति में कोई उल्लेखनीय निर्णय नहीं लिया गया। भारत सरकार ने अभी तक इस कार्यक्रम पर अपना निश्चित मत व्यक्त नहीं किया है। निरस्त्रीकरण समिति में भारत सरकार की सामान्य नीति अणु राष्ट्रों में परस्पर सम्मिलित रूप से और एक-दूसरे के बीच तथा समिति के सदस्यों में सहमति को बढ़ावा देने की है, जो कि आणविक निरस्त्रीकरण, तथा आणविक अस्त्रों का विस्तार तथा उत्पादन न करने के पक्ष में उनकी मूलभूत धारणा के अनुरूप है।

केन्द्रीय सूचना सेवा

1212. **श्री ज० ब० सि० बिष्ट :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय सूचना सेवा के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली पदोन्नति सम्बन्धी नीति के बारे में व्यक्त किये गये असन्तोष की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस असन्तोष के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) असन्तोष के तथाकथित कारण हैं (1) एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति के लिये योग्यता व-प्रवरता के आधार पर चुनाव की निर्धारित प्रक्रिया, जो प्रथम श्रेणी की सभी सेवाओं पर लागू है, और (2) सेवा में लम्बे टाईम-स्केल की जगह बहुत से ग्रेडों का होना जिस से तरक्की के लिए बार-बार चुनाव की जरूरत पडती है।

अफ्रीकी देशों में प्रचार

1213. **श्री रामपुरे :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीकी देशों में समाचार भेजने के लिये भारत को विदेशी समाचार अभिकरणों पर निर्भर करना पड़ता है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशी समाचार अभिकरणों की भारत के प्रति बहुत सहानुभूति न होने के कारण अफ्रीकी देशों में भारत के प्रचार कार्य में रुकावट पड़ रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत के विषय में समाचार, विचार और टिप्पणियां अफ्रीकी देशों को भी उन देशों में स्थित हमारे मिशनों के जरिए मिल जाती है।

(ख) यह सच है कि कुछ विदेशी समाचार एजेंसियों ने भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण का विकृत चित्र प्रस्तुत किया था। किंतु हमारी सूचना सेवा ने इन झूठी खबरों के कारण उत्पन्न ग़लत प्रभाव को ठीक करने के लिये हर तरह से प्रयत्न किया।

चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष के कारण हुई विधवाओं तथा उनके अनाथ बच्चों के लिये सहायता

1214. **श्री मं० र० कृष्ण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए तथा कुछ समय पहले चीन के साथ हुए संघर्ष के कारण कुल कितनी महिलाएं विधवा हो गई हैं और कितने बच्चे अनाथ हो गये हैं;

(ख) क्या उन लोगों की राज्यवार सूचियां तैयार की गई हैं; और

(ग) कौन-कौन सी सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाएं इन निराश्रित लोगों को सहायता कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1625 स्त्रिएं विधवाएं हुईं, और 1526 बच्चों ने अपने पिता खोए। चीनी आक्रमण में 1952 स्त्रिएं विधवाएं हुईं और 2407 बच्चों ने अपने पिता खोए।

(ख) जी हां। यह राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं कि वह कुटुम्बों को सहायता दे सकें।

(ग) सभी राज्यों और जिलों में युद्ध में मारे गए सेवि वर्ग के कुटुम्बों के कल्याण कार्य की देख रेख करने वाली सरकारी एजेंसी है सैनिक, नाविक तथा वायुसैनिक बोर्ड संगठन है। इसके अतिरिक्त एन० सी० सी० अफसरों के दलों को एकल कुटुम्बों से उन्हें आवश्यक सहायता देने के लिए सम्पर्क बनाने को कहा गया है। ऐसा कार्य संभालने वाली अन्य एजेंसियां हैं केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड तथा केन्द्रीय नागरिक परिषद्, राज्य और जिला स्तरों पर यूनिटों सहित।

प्रधान मंत्री के सचिवालय का पुनर्गठन

1215. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के सचिवालय का पुनर्गठन विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या मुख्य परिवर्तन किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस विषय में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) और (ग) : सचिवालय में कोई बड़ा परिवर्तन करने का विचार नहीं है, सिवा इस के कि जनता और प्रैस से और अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सचिवालय के इस अंग को सुदृढ़ करने का निश्चय किया गया है।

केरल में सरकारी विज्ञापन

1216. **श्री कुन्हन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में समाचार पत्रों तथा सांवधिक पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन देने वाले विभाग का नाम क्या है ;

(ख) विज्ञापनों के लिये प्रकाशन का माध्यम किस आधार पर चुना जाता है ;

(ग) क्या सरकार पत्रों की सूचि तथा उनके लेखा-परीक्षित प्रकाशन-संख्या का ब्योरा तथा वर्ष 1964–65 तथा 1965–66 में विज्ञापनों के प्रकाशन के लिय उन को वास्तव में दी गई रकम का ब्योरा सभा पटल पर रखेंगे ;

(घ) क्या प्रकाशन संख्या की कसौटी पर पूरे उतरने वाले किसी समाचार-पत्र को मान्यताप्राप्त माध्यमों की सूचि से निकाल दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादूर) : (क) अन्य पत्र पत्रिकाओं के साथ केरल में पत्रों को भी, भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों (रेलवे को छोड़ कर) की ओर से, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, आवश्यकतानुसार समय समय पर विज्ञापन देता है। राज्य सरकार के विज्ञापन उक्त निदेशालय द्वारा नहीं दिए जाते।

(ख) भारत सरकार के विज्ञापनों के लिये पत्रों को चुनने में इन बातों का ध्यान रखा जाता है :—

(क) प्रचार संख्या,

(ख) नियमित प्रकाशन,

(ग) पाठकों का वर्ग,

(घ) पत्रकारिता के नैतिक स्तर का पालन, और

(ङ) अन्य बातें जैसे छपाई की उत्तमता, भाषा और क्षेत्र।

(ग) अपेक्षित विवरण के साथ पत्र-पत्रिकाओं की सूचि सदन की मेजपर रखी जा रही है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5612/66]**

(घ) और (ङ): इसमें संदेह नहीं कि प्रचार संख्य का महत्व है, परन्तु, भारत सरकार के विज्ञापन देने के लिये यही एकमात्र कसौटी नहीं है, क्योंकि विज्ञापन ऐसे पत्र और पत्रिकाओं को नहीं दिये जाते, जो साम्प्रदायिक द्वेष और हिंसा भड़काने में निरन्तर लगे रहें, जो सार्वजनिक आचार और नैतिकता का उल्लंघन करें, जो राष्ट्र के बुनियादी हितों के प्रतिकूल चलें, और जो पत्रकारिता के प्रतिष्ठित स्तर से नीचे हों, और गन्दे या "यलो प्रेस" की कोटि में आते हों।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान की आवश्यकता

1217. **श्री शिव चरण गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962–63, 1963–64, 1964-65 और 1965–66 में प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान की अनुमानतः आवश्यकता कितनी थी;

(ख) प्रत्येक वर्ष में कितनी मांग देश में ही बने हुये प्रतिरक्षा सामान से पूरी की गई और कितनी मांग आयात किये गये सामान से पूरी की गई;

(ग) वर्ष 1966–67 में देश में ही बने हुए और आयात किए जाने वाले प्रतिरक्षा सामान की कितनी मांग होने का अनुमान है; और

(घ) प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिये देश के अंदरूनी साधनों पर ही निर्भर करने के हेतु क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) संबंधित सूचना नीचे दी गई है :—

			रक्षा सामानों पर खर्च करोड़ रुपयों में
1962–63	193.62	(विदेशी मुद्रा में खर्च	35.46
		स्थानीय उपलब्धि पर खर्च	158.16
1963–64	395.49	विदेशी मुद्रा में खर्च	82.41
		स्थानीय उपलब्धि पर खर्च	313.08
1964–65	337.65	विदेशी मुद्रा में खर्च	65.44
		स्थानीय उपलब्धि पर खर्च	272.21
1965–66 (अनुमानित)	368.99	विदेशी मुद्रा में खर्च	92.98
		स्थानीय उपलब्धि पर खर्च	276.01

ऊपर दिये गए आंकड़े खाम पदार्थों, संघटकों, फालतू अवयवो और तैयार माल की उपलब्धि पर खर्च दर्शाते हैं। खाम पदार्थ और संघटक इत्यादि रक्षा उत्पादन एजेंसियों द्वारा रक्षा प्रयोग के लिये मदों का उत्पादन करने में इस्तेमाल होते हैं।

(ग) आवश्यक सूचना 1966–67 के बजट अनुमानों के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) रक्षा सामानों की उपलब्धि के लिये विदेशी सप्लायरों पर निर्भरता यथासंभव घटाने के लिये सदा प्रयास किया जाता है। तदापि देश की वर्तमान औद्योगिक क्षमता रक्षा आवश्यकताएं पूरी तरह जुटा पाने में असमथ है। हाल ही में एक संभरण विभाग स्थापित किया गया है जिसका मुख्य काम है आयात के प्रतिबदल के लिए आयोजना बनाना।

अमरीका में स्मारक भवन

1218. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में भूतपूर्व हिन्दुस्तान गद्दर पार्टी ने भारत सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिये अपने प्राणों का बलिदान करने वाले कोमागाटा मारु जहाज़ के शहीदों की स्मृति में अमरीका में स्मारक भवन बनाने के मामले में, जिस के लिये इस पार्टी ने वहां धन इकट्ठा किया था और अमरीका सरकार ने इस पार्टी को 82,866 स्टरलिंग खर्च करने की मंजूरी दी थी, भारत सरकार हस्तक्षेप करे ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सान फ्रांसिस्कों में गदर शहीदों का स्मारक बनाने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस उद्देश्य के लिये भारत सरकार ने 82,866 डालर मंजूर किए हैं और सावजनिक अंशदान से लगभग 9,500 डालर इकट्ठा किए गए हैं। अमरीका की सरकार इसमें सम्मिलित नहीं ह। भारतीय गदर स्मारक समिति और भारतीय समुदाय के अन्य सदस्यों से जल्दी ही स्मारक बनाने के विषय में निवेदन-पत्र आए हैं।

(ख) प्रधान कोंसल की अध्यक्षता में एक समिति यह योजना तैयार करने के लिये बनाई गई है कि उस स्मारक का स्वरूप क्या हो। उसके ब्योरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत चीन सीमा

1219. **श्री प्र० चं० बरूआ :**

श्री नारायण रेड्डी :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1966 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में वाशिंगटन पोस्ट से उद्धृत किय गये इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि चीन क्रमबद्ध ढंगसे भारत-चीन सीमा पर एक नई आबादी बसा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की पुष्टि कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सरकार को मालूम है कि चीन सरकार हानमूलक लोगों को तिब्बत में बसाने के लिये ला रही है लेकिन अखबारों की इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुई है कि वे भारत-चीन सीमा के साथ 250 मील के क्षेत्र में नई आबादी को बसा रहे हैं।

बंगाली फिल्म पर प्रतिबन्ध

1220. **श्री हेम बरूआ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने महादेवी वर्मा के हिन्दी उपन्यास पर आधारित "नील आकाशेर नीचे" नामक बंगाली फिल्म पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह फिल्म कब बनाई गई थी और क्या अधिकारियों ने इस फिल्म को उस समय "य्" प्रमाणपत्र भी दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसा निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं और यह प्रतिबन्ध कितने समय के लिये लगाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क), (ख) और (ग): फिल्म 1958 में बनाई गई थी और केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने इसे "यू" प्रमाण-पत्र दिया था। फिल्म पर फिर से विचार करने के बाद, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने अगस्त, 1965 में सरकार को रिपोर्ट दी थी कि "भारत और चीन के वर्तमान सम्बन्धों के संदर्भ में फिल्म से दर्शकों पर अनुचित प्रभाव पड़ने का अन्देशा है" और उसने सलाह दी थी कि फिल्म को चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत अप्रामाणित कर दिया जाय। संबंधित विभागों से काफी सलाह मशविरे के बाद फिल्म का प्रदर्शन 2 महीने के लिये स्थगित कर दिया गया है और निर्माताओं को नोटिस दिया गया है कि वे यह बताएं कि क्यों न फिल्म पर स्थायी रूप से प्रतिबन्ध लगा दिय जाए। मामले में अंतिम निर्णय निर्माताओं को अपना पक्ष पेश करने का पूरा अवसर देने के बाद ही किया जाएगा।

लन्दन में रबड़ कारखाने में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों की हड़ताल

1221. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लन्दन के निकट साउथ हाल में वूल्फ एण्ड कम्पनी नामक एक रबड़ कारखाने में काम करने वाले लगभग 6,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ब्रिटेन की सरकार ने हड़ताल को समाप्त करवाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है, जिसके परिणामस्वरूप उन कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो हमारी सरकार ने उन भारतीय कर्मचारियों की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। बहरहाल, रिपोर्ट यह है कि कर्मचारियों की संख्या सिर्फ छः सौ के लगभग थी और उस हड़ताल के बारे में फैसला हो गया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तानी और चीनी प्रचार

1222. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने प्रतिरक्षा मंत्रालय के सहयोग से पाकिस्तानी और चीनी प्रचार के प्रभाव को रोकने तथा युद्ध के समय पर्याप्त एवं शीघ्र प्रचार कार्य करने के हेतु अपनी योजना अन्तिम रूप में तयार कर ली है; और

(ख) क्या आपात काल के समय अच्छी तरह तथा प्रभावकारी ढंग से कार्य करने के लिये कोई संयुक्त व्यवस्था की गई है, यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : इसके लिये सरकार, सन्तोषजनक तरीका निकाल रही है।

Hindi Newspapers for Indian Embassies Abroad

1223. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian Embassies abroad which are not getting Hindi newspapers; and

(b) the arrangements made or proposed to be made to help the staff of the Embassies in those countries to pursue their knowledge of Hindi and also to make available the Hindi newspapers for the information of the foreigners interested in Hindi?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Out of 104 Indian Missions abroad, 61 are not getting newspapers in Hindi.

(b) Newspapers are supplied at the request of Heads of Missions. However, Hindi books and periodicals are placed in the library/reading-rooms of our Missions abroad for the benefit of all. Hindi newspapers are also supplied to foreigners who are interested in Hindi.

Land to ex-servicemen in U. P.

1224. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Defence** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government do not allot land to ex-servicemen;

(b) whether Government have received any memoranda on the subject;

(c) if so, the steps being taken by Government to allot land to the ex-servicemen; and

(d) the number of memoranda received by the Ministry of Defence from the ex-servicemen in District Ghajipur of Uttar Pradesh during the last two years (from January, 1964 to date) in which complaints regarding the non-allotment of land to them had been made?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). No, Sir. Government of Uttar Pradesh do consider the ex-servicemen for allotment of land which may be available.

(d) No such complaints have recently been received in the Ministry. There were some applications for allotment of land which were received from individual ex-servicemen residing in Uttar Pradesh from time to time and they were passed on to the States' Soldiers', Sailors' and Airmen's Board for appropriate action.

संसद् सदस्यों के शिष्ट मण्डल

1225. श्री मुहम्मद कोया : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के आरम्भ होने से लेकर 1 दिसम्बर, 1965 तक की अवधि में कितने संसद्-सदस्य सरकारी शिष्टमंडलों में विदेशों में गये; और

(ख) इन शिष्टमण्डलों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है ?

वैदेशिक-कार्यमंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के आरंभ से 1 दिसम्बर, 1965 तक संसद् के पैंतालीस सदस्य ग्यारह विभिन्न शिष्टमंडलों पर विदेशों में गए । इन शिष्टमंडलों में राज्यों के तीन मंत्री भी सम्मिलित थे ।

(ख) विदेशी मुद्रा में अनुमानित खर्च लगभग 1,06,101.00 रु० हुआ ।

वीर सावरकर का निधन

LEMISE OF VIR SAVARKAR

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : अगली कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपका ध्यान देश के एक बड़े देशभक्त और क्रान्तिकारी के निधन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं और वीर सावरकर के प्रति मेरे हृदय में उतनी ही आदर की भावना और सहानुभुति है जितनी कि माननीय सदस्य को है परन्तु ऐसी विभूतियों के बारे में सामान्यत : हम कोई औपचारिक उल्लेख नहीं करते हैं। अत : स्वर्गीय सावरकर के प्रति हमारे हृदय में कितना ही आदर क्यों न हो हमें अपनी स्थापित परम्पराओं को भंग नहीं करना चाहिये। यदि औपचारिक उल्लेख किया जायेगा तो इस सम्बन्ध में नई परम्परा का पूर्वोदाहरण स्थापित हो जायगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मेरा विचार था कि आप के तथा प्रधान मंत्री के साथ हुई बात चीत के पश्चात यह निर्णय हो गया था कि कोई उल्लेख किया जायेगा। हम यह उल्लेख औपचारिक रूप से नहीं करना चाहते। वर्तमान निदेशों के अनुसार हम अपनी संवेदना प्रश्न काल के पूर्व किसी कार्यवाही के प्रारम्भ होने से पहले प्रकट करना चाहते है। यदि विभिन्न दलों तथा आपके द्वारा थोड़ा थोड़ा उल्लेख हो जावे तो बहुत अच्छा होगा और हम सब उसके पक्ष में हैं। यह एक आपवादिक मामला है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : वीर सावरकर के निधन पर हम इन नियमों का अपवाद भी स्थापित कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस सम्बन्ध में एक पूर्वोदाहरण है।

सभा के नेता श्री सत्य नारायण सिंह : सभा में आने से पूर्व हम लोगों ने आपस में तथा आप से भी इस सम्बन्ध में बातचीत की थी। यदि सब माननीय सदस्य सहमत है तो हमें कोई उल्लेख किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री कपूर सिंह (लूधियाना) : यदि इस समय कोई परम्परा स्थापित की जायेगी तो भविष्य में कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी और भेद करना कठिन हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूं। मुझे सावरकर जी के निधन पर बहुत दुख है परन्तु यह भी ठीक है कि यदि हम इस समय अपनी परम्परा से हटेंगे तो भविष्य में भेद करना कठिन हो जायेगा और हो सकता है कि इस सम्बन्ध में बाद में विचार किया जाय कि किसी तरह का कोई भेद भाव किया गया था। अत: मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं ने कहा है और, जिसे मैं स्वर्गीय सावरकर के परिवार को सभा की ओर से भिजवा दूंगा, माननीय सदस्य पर्याप्त मानेंगे।

श्री ही० ना० मकर्जी : यदि हम एक महापुरूष के निधन पर उन के लिये संवेदना इस नियम के कारण नहीं प्रकट कर सकते कि वह इस सभा के या इस से पहले केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य नहीं थे जिसमें किसी और ही प्रकार के सदस्य हुआ करते थे और श्री सत्य नारायण सिंह भी सदस्य थ, तो मैं इस बात को नहीं समझ सकता।

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्य नारायण सिंह का इस में कोई दोष नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आप हमारी संवेदना अपने कुछ शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं वही कर रहा हूं। मैं सभा की ओर से दु:ख और संवेदना स्वर्गीय सावरकर के संतप्त परिवार के सदस्यों को भिजवा दूंगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The occasion becomes sadder still. Whereas the national flags were flown half-mast on the occasion of the demise of the late Prime Minister Churchill, but no such honour has been shown to the late Vir Savarkar.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल में भारत प्रतिरक्षा नियम के अधीन निरोध के एक मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें :—

"उच्चतम न्यायालय का निर्णय जिस के अनुसार भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत केरल के मिट्टी के तेल के एक व्यापारी का निरोध असद्भावपूर्ण घोषित किया गया है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया।"

गृह-कार्य मंत्री : मेरे पास इस बारे में सूचना अभी हाल में ही आई है। क्या आप मुझे कुछ समय देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री नन्दा : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर सायं 3 बजे वक्तव्य दिया जायेगा।

ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में प्रक्रिया
RE : CALLING ATTENTION NOTICE (PROCEDURE)

Shri Bagri (Hissar) : I want to raise a point of order under rule 197.

Mr. Speaker : This is no point of order.

सभापटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

समाचारपत्रों का रजिस्ट्रीकरण (केन्द्रीय) संशोधन नियम

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं मुद्रण यंत्र तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 20क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत समाचार पत्रों का रजिस्ट्रीकरण (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1965, की एक प्रति, जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अ सूचना संख्या जी० एस० आर० 1872 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखती हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5603/66।]**

भारत तथा पाकिस्तान के सैनिक प्रतिनिधियों के बीच 1949 का करार

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं जम्मू तथा कश्मीर राज्य में युद्ध-विराम रेखा की स्थापना के बारे में भारत तथा पाकिस्तान के सैनिक प्रतिनिधियों के बीच 1949 में हुए करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5604/66।]**

रेलवे बजट, 1965/66 पर चर्चा के दौरान उठायी गयी बातों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: POINTS RAISED DURING DISCUSSION ON RAILWAY BUDGET, 1965-66

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : 8 दिसम्बर, 1965 को मैंने सदन में कहा था कि पिछले वर्ष के रेलवे बजट पर बहस के दौरान माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये थे उनमें से जितने प्रश्नों के उत्तर तब तक तयार हो चुके थे, उनकी प्रतियां माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद् के पुस्तकालय में रख दी गयी है। माननीय सदस्यों के सूचनार्थ मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन प्रश्नों पर कारवाई करनी बाकी रह गयी थी, उनके सम्बन्ध में भी इसी तरह के उत्तरों की तीन प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गयी है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : पिछली बार भी जब मंत्री महोदय ने अन्तरिम उत्तरों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी थीं तो मैं ने बड़े ज़ोरदार शब्दों में अनुरोध किया था कि अन्य मंत्री महोदय भी सभा के हित में ऐसा कर के उदाहरण प्रस्तुत कर सकते है। मंत्री महोदयों की आदत है कि व उन मामलों पर जो उनके मंत्रालयों की मांगों के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान उठाये जाते हैं, बाद में फिर कभी कोई ग़ौर नहीं करते। केवल रेल मंत्री ने पिछली बार और आज दो वक्तव्य दिये हैं। दूसरे मंत्रियों ने इस का अनुसरण नहीं किया है। आप दूसरे मंत्रियों को भी आदेश दें कि वे भी रेल मंत्री की भांति कुछ ना कुछ कार्यवाही किया करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर विचार करूंगा और यदि आवश्यकता हुई तो मैं अपेक्षित कार्यवाही करूंगा।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री की बर्मा यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: THE LATE PRIME MINISTER'S VISIT OF BURMA

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री, की 20 से 23 दिसंबर 1965 तक की रंगून यात्रा के दौरान उनके और बर्मा की क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष, जनरल ने विन के बीच अत्यंत सौहार्दपूर्ण और समझबूझ के वातावरण में कई बार बातचीत हुई। इस वार्ता के दौरान कई विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। दोनों राजनेताओं ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर, विशषकर दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत-बर्मा के संबंधों पर विचार-विनिमय किया। इस बातचीत से पता चला कि जिन समस्याओं पर विचार-विनिमय किया गया उनमें दोनों के विचार समान थे। इस वार्ताक्रम के अंत में जो सम्मिलित विज्ञाप्ति जारी की गई थी, वह सदन की मेज़ पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5605/66**।]

बर्मा में भारत मूलक लोगों की समस्याओं पर भी दोनों राजनेताओं ने विचार किया। वह बातचीत सामान्य ढंग की थी। दोनों नेता इसपर सहमत हुए कि विभिन्न समस्याओं का शीघ्र समाधान खोजने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जाने चाहिए। उन्होंने यह अनुभव किया कि अगर दोनों ओर से सद्भावना और समझबुझ से काम लिया जाए तो इस प्रकार की समस्याएं परस्पर संतोषजनक रूप से हल की जा सकती हैं। इस विषय पर अधिक विस्तार से बर्मा के विदेश मंत्री और मेरे बीच बातचीत हुई जिसमें दोनों सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बर्मा सरकार ने अपने इस आश्वासन को फिर दुहराया कि बर्मा में रहनेवाले जो विदेशी लोग बर्मा की नई सामाजिक व्यवस्था में लाभदायक पार्ट अदा कर सकते हैं, उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि वे, अगर चाहे तो, बर्मा में नागरिकों के रूप में रह सकते हैं और अपना काम कर सकते है। राष्ट्रीयकृत संपत्ति के मुआवजे और बर्मा से भारतीय आस्तियों

की वापसी के प्रश्न को तय करने में हमारी बातचीत के ज़रिए कुछ और प्रगति दिखाई दी और यह फ़ैसला किया गया कि दोनों पक्षों द्वारा उठायी गई बातों की और जांच कर लेने के बाद बातचीत को जारी रखा जाए।

ऐतिहासिक कारणों से बर्मा में भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं। बर्मा में, निःसंदेह, उनकी उपस्थिति से मानवीय संबंधों की नाजुक समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। इन तमाम समस्याओं का समाधान केवल समय ही कर सकता है। बहरहाल, हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री की यात्रा से ऐसी ज़रूर आबोहवा पैदा हो गई है जिसमें इन समस्याओं का जल्दी समाधान पाने की कोशिश की जा सकती है। मैत्रीपूर्ण बातचीत के ज़रिए इस प्रकार की समस्याओं को हल करने का दोनों सरकारों ने जो दृढ़ निश्चय किया है, उससे दोनों सरकारों के बीच वर्तमान सौहार्द-पूर्ण और निकट संबंध और सुदृढ़ हुए हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यदि इन समस्याओं का समाधान समय ही कर सकता है तो सरकार की क्या आवश्यकता है?

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : माननीय मंत्री का यह कहने से क्या मतलब है कि समय ही समस्या का समाधान कर सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि दावेदार मर जायेंगे?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे कहने का यह मतलब नहीं है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : इस समस्या को ईश्वर, किस्मत अथवा समय पर न छोड़ कर क्या सरकार ने राष्ट्रीयकरण की हुई जायदाद तथा बर्मा में पैदा हुये भारतीयों के स्वदेश-प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में कोई कदम उठाये हैं?

श्री स्वर्ण सिंह : बर्मा में स्थिति बदल जाने के कारण वहां रहने वाले भारतीय उदभव के लोगों का प्रत्यावर्तन करना आवश्यक था। उन्हें बर्मा से आने के लिये सुविधायें जैसे परिवहन सम्बन्धी सुविधायें दी गई थीं। मुआवज़े के सम्बन्ध में जो बातचीत हुई थी उसके परि-णामस्वरूप कुछ प्रगति हुई है। अभी बातचीत रंगून में और दिल्ली में जारी रहेगी।

श्री हेम बरुआ : उन भारतीय उद्भव के लोगों को सरकार ने सुविधायें दी थीं परन्तु ऐसे उदाहरण हुये हैं कि लोगों को हवाई अड्डे से वापस ले जाया गया था और एक व्यक्ति बर्मा से टूथ-ब्रश के अतिरिक्त और कुछ साथ न ला सका था।

श्री स्वर्ण सिंह : यदि माननीय सदस्य उस व्यक्ति के विषय में ठीक ठीक विवरण दें तो मैं मामले को जांच करूंगा।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व) : समाचार-पत्रों में यह समाचार निकला था कि बर्मा की सरकार तथा हमारे प्रधान मंत्री की बीच वियतनाम के सम्बन्ध में भी बातचीत हुई थी।

श्री स्वर्ण सिंह : दक्षिण-पूर्व एशिया में जो स्थिति थी उस पर विचार किया गया था। कोई सुझाव या हल बातचीत के विषय नहीं थे।

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : मैं यह जानना चाहता हुं कि इस सम्बन्ध में क्या ठोस क़दम उठाये गये हैं और क्या कोई अन्तरिम सहायता भी लोगों को दी गई है?

श्री स्वर्ण सिंह : बर्मा के सरकार ने अभीतक कोई सहायता प्रदान नही की है परन्तु जो लोग यहां आ गये हैं उन को पुनर्वास मंत्रालय द्वारा कुछ सहायता दी जा रही है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : बर्मा की नई समाजवादी व्यवस्था में कितने लोगों को बिना किसी रोक के अच्छे नागरिकों की तरह बने रहने की अनुमति मिली है?

श्री स्वर्ण सिंह : कितने लोग वहां रखे जायेंगे इस सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं हुई है।

परन्तु नई सामाजिक व्यवस्था में रहने के लिये जो लोग तैयार हैं और खेती करते हैं तो वे बड़ी खुशी से रह सकते हैं। व्यापार के राष्ट्रीकरण के हो जाने के कारण व्यौपारियों को वहां बने रहना व्यर्थ है यदि वे दूसरे व्यवसाय न अपनायें।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Does Government know that those people who have come over into India know nothing except that their forefathers were Indians and had migrated into Burma years back? I saw some such people in Arrah. They have not relatives there. Have they come of their own or have been forced to comeover to India against their wishes?

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : It is a fact that the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri was provided with facilities to see the Indians living in Burma but was not allowed to bring along the golden ornaments offered to him by Indian ladies there as their contribution to the National Defence Fund?

Shri Swaran Singh : The Late Prime Minister Shri Shastri did meet several Indians in Burma. He was offered some gold by one or two of them but when he was told that bringing along of gold from Burma would violate Burmese laws in that regard, the late Prime Minister declined to accept the gold. He was against doing anything which was against that country's laws.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : The Minister says that those who are cultivating land may remain in Burma but I know of people who were cultivators and not traders have also not been allowed to stay on there.

Shri Swaran Singh : I have not so far received any information that even cultivators have been forced to leave Burma. They might have come over of their own accord probably because, on account of the changed conditions they thought they were not very safe there. If there are certain such cases, they may be referred to the Rehabilitation Minister who will look into the matter.

यूगोस्लाविया से ट्रांसमिटरों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 371 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO S. Q. NO. 371 RE.TRANSMITTERS FROM YUGOSLAVIA

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : 22 नवम्बर, 1965 को सूचना और प्रसारण मंत्री ने तारांकित प्रश्न संख्या 371 के उत्तर में इस सभा को यह बताया था कि यगोस्लाविया की फ़र्म के साथ 19 नवम्बर 1965 को 1000 किलोवाट मेगावाट का ट्रान्समिटर (दो 500–500 किलोवाट मेगावाट के ट्रान्समिटर) देने तथा उसे स्थापित करने के लिये औपचारिक करार हुआ था। परन्तु उसमें दी गई तारीख में कुछ ग़लती थी। करार किये जाने की सही तिथि 17 नवम्बर, 1965 है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मंत्री महोदयों की यह आदत हो गई है कि वे वक्तव्यों में ग़लत सूचना देते है और बाद में उन्हें ठीक कराते हैं। इस आदत को दूर कराया जाना चाहिये। यह उत्तर तत्कालीन सूचना तथा प्रसारण मंत्री द्वारा जो अब प्रधान मंत्री हैं दिया गया था। उस ग़लती के लिय कौन उत्तरदायी है? क्या सचिव की ग़लती से ग़लत जानकारी दी गई थी?

श्री राज बहादुर : उसमें छोटी सी ग़लती थी।

श्री हरि विष्णु कामत : यह ग़लती किस ने की है? इसके लिये सचिवालय उत्तरदायी है अथवा मंत्री महोदया ने स्वयं ही ग़लती की थी?

अध्यक्ष महोदय : ऐसी चेष्टा होनी चाहिये कि ग़लतियां न हों और बार बार शुद्धियां न की जाय। परन्तु ग़लतियां कभी कभी हो ही जाया करती हैं इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदा कदा कोई ग़लती हो जाये तो उसमें कोई हानि नहीं है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव--जारी

MOTION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री शिवाजी श० देशमुख द्वारा 21 फरवरी, 1966 को प्रस्तुत किये गय इस प्रस्ताव पर विचार करेगी :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :--

"कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने 14 फरवरी, 1966 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी है।"

श्री मलाइछामी (पेरियाकुलम) : सरकार खाद्यान्न सम्बन्धी कठिनाइयों को समाप्त करने में सफल हुई है इस में इस ने अनाज की वसूली, राशन व्यवस्था लागू करने तथा न्यायोचित वितरण और आयात का कार्य बहुत अच्छी तरह किया है। सरकार को प्रशासन में सुधार करने के लिये और भी प्रयत्न करने चाहिये और भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिये। आजकल क्षेत्रीय व्यवस्था की बहुत आलोचना हो रही है। सरकार को वितरण और वसूली के बारे में एक देश व्यापी राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिये। बड़े बड़े नगरों में राशन व्यवस्था शुरू करनी चाहिये और छोटे नगरों तथा देहाती क्षेत्रों में उचित मूल्य वाली दुकानें खोलनी चाहिये। सरकार को इस सुझाव पर विचार करना चाहिये।

देश की सिंचाई क्षमता का पूरा पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा। केवल 40 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और 4 करोड़ 30 लाख एकड़ भूमि में खेती नहीं की जा रही है। इस बारे में आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिये और भूमि का पूरा उपयोग होना चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सिंचाई योजना को यदि स्वीकृति दे दी जाये तो 4000 एकड़ भूमि में खेती हो सकती है। वहां अब वर्षा पर निर्भर करना पड़ता है। इससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

अन्तर्राज्यीय मतभेदों के कारण कई योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार को एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करनी चाहिये और देश के जल संसाधनों का पूरा पूरा लाभ उठाया जाना चाहिये।

[**श्री प्र० के० देव पीठासीन हुए।** SHRI P. K. DEO *in the Chair*]

सरकार को नलकूप लगाने चाहियें और अधिक बिजली सिंचाई कार्य के लिये देनी चाहिये। इस बारे में सरकार मद्रास राज्य का कलपाकम अणु संयंत्र शीघ्र हाथ में लेना चाहिये। देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक ढंग अपनाये जाने चाहिये और भूमि का परीक्षण कर के उसे खेती के लिये प्रयोग में लाना चाहियें। छोटे ट्रक्टर तथा अन्य उपकरणों को देश में ही बनाने की व्यवस्था करनी चाहिये। हमें विशेषज्ञों की राय भी लेनी चाहिये और अच्छे बीजों को प्रयोग में लाना चाहिये।

[श्री मलाइछामी]

देश में किसानों को ऋण देने के लिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। आज उन लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसानों को उनके उत्पाद के लिये उचित दाम भी मिलने चाहियें। उद्योगों में कार्य करने वाले लोग लाभ न होने की स्थिति में अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर लेते है परन्तु कृषक लोग ऐसा नहीं कर सकते। सरकार को किसानों के हितों का पालन करना चाहिये। एक किसान को कई प्रकार की जोखिमों का सामना करना पड़ता है अत : सरकार ने उन्हें संरक्षण देना चाहिये।

खेती के बारे में गवेषणा कार्य में सुधार होना चाहिये। आज पौदों को कीट नाश कर देते है और इस प्रकार उत्पादन में बहुत कमी हो जाती है। सरकार को गवेषण कार्य में सुधार करना चाहिये।

आज सरकार राजधानी में प्रमुख नेताओं की मूर्तियां लगा रही है। मेरा सुझाव है कि सभी राज्यों के प्रमुख नेताओं की मूर्तियां लगायी जायें।

Shri Chandak (Chhindwara) : We have been passing through a critical period during the last few months. Pakistan invaded our country, but it is a happy thing that our armed forces gave account of themselves and repulsed the foreign attack.

The Tashkent Declaration is more than a no-war declaration. It has brought a change of heart. We have been trying for this during the last 18 years. Now Pakistan has understood the problems cannot be solved with force. Shri Shastri who was a true Gandhian, has proved that he was a great war-leader and a leader of peace. He was a fearless and humble leader. By signing the Tashkent Declaration he has shown the path of peace to the entire world. We on our part should sincerely implement the Tashkent Declaration and hope that Pakistan will do likewise. We should not bring about any relaxation in defence effort. We have to be vigilent against China.

Our foreign policy was laid down by our great leader Shri Jawaharlal Nehru. We believe non-alignment, peaceful co-existence, non-interference in other's internal affairs and adoption of neogotiations for settling disputes. This is the best policy a country can have. It is due to this policy that all countries of the world except China are our friends. I support this policy.

In regard to internal affairs I want to say that industrial development is making adequate progress and the private sector is not expanding satisfactorily. I do not like monopolistic trends as revealed by the Commission on this subject. Our aim is to establish a socialistic pattern of society. We should encourage small-scale industries. The procedure regarding issue of licences should be simplified.

It is very unfortunate that we have not been able to become self-sufficient in the matter of foodgrains. We have not derived much benefit from big dams. 65 per cent of foreign exchange is earned from the export of agricultural produce. I think we should pay greater attention to agriculture. It should be treated as basic industry.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, I want that in the three language formula Sanskrit should replace English and Central Government should conduct its business in Hindi. The Central Government is very much under the influence of Chief Ministers. The Congress party at its Jaipur Session had passed a resolution that the zonal scheme regarding foodgrains should be abolished, but this decision was reversed in New Delhi at the instance of Chief Ministers. The President has not mentioned the labour unrest which wide spread in the country at present. Many leading mills in the country are not working at present. Govern-

ment should clarify its position in these matters. I am against the import of foodgrains. There are ample foodgrains available in Punjab and Madhya Pradesh. Some States indulge in profiteering. The Central Government should pay proper care to this matter.

The ruling party is using emergency for safeguarding its own interests. This state of emergency should be ended forthwith. Our Government claims that Tashkent Declaration is in the interest of our country, but we should wait and see Pakistan's reaction.

I want that enquiry should be conducted into the circumstances that led to Shri Shastri's death. Government should send for all details from Russia and place them here before the House. If we want peace, we should remain ready for war. We should make atom bombs for our defence.

There is lot of confusion in the matter of distribution of foodgrains. It should be set right. Government should provide all facilities to the farmers. They should be given water, good seeds and fertilizer. By doing this food production can be increased. Government should take proper note of suggestions made by the hon. Members in opposition.

श्री अब्दुल गनी गोनी (जम्मू तथा काश्मीर) : राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश की प्रगति का एक चित्र हमारे समक्ष रखा है। पिछले वर्ष हमारी खाद्य स्थिति अच्छी नही थी और बाहर से पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया। हमने पहले ही से चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान गड़बड़ करेगा परन्तु खेद की बात है कि इस ओर ठीक प्रकार ध्यान नहीं दिया गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि घुसपैठियें हमारी सीमाओं में छुपकर घुस आये। इससे हमारी दोषपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का पता चलता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। अन्य देशों में यदि कोई घुसपैठिया आ जाये तो उसके विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाती है।

लड़ाई के दिनों विस्थापित हुए लोगों के लिये सरकार ने अच्छे प्रबन्ध नहीं किये थे। मैं समझ नहीं पाता कि हमने हाजी पीर दर्रे से अपने सेना क्यों हटायी है। एक ओर तो हम कहते है कि सम्पूर्ण काश्मीर हमारा है। अब हमारा एक प्रतिनिधिमंडल रावलपिंडी जा रहा है। हम शांति चाहते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते। सारा राष्ट्र पाकिस्तान की जनता की भलाई का इच्छुक है। हम उन्हें हानि पहुंचाना नहीं चाहते। परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि हम समझौते के बाद समझौता करते जायें। हमें और अधिक समझौतों की आवश्यकता नहीं है। पहले भी कई समझौते किये जा चुके है। भारत सरकार को इस बारे में एक निश्चित नीति अपनानी चाहिये। हमारा जो प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जा रहा है उसके नेता से मैं निवेदन करूंगा कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिये कि समस्त जम्मू तथा काश्मीर भारत का अंग है और इस बारे में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिये। अब समय आ गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाये और जम्मू तथा काश्मीर का शेष देश के साथ पूर्णत : विलय किया जाये।

जम्मू तथा काश्मीर देश का सब से पिछड़ा हुआ राज्य है। पिछले 18 वर्षों में केन्द्र सरकार ने काश्मीर के विकास के लिये कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। अत: काश्मीर के विकास के लिये विशेष ध्यान देना चाहिये और यह भेदभाव की नीति जो काश्मीर के साथ केन्द्र सरकार अपना रही है, उसे समाप्त किया जाना चाहिये। काश्मीर में एक भी केन्द्रीय परियोजना नहीं है। वह भी समय था जब हम काश्मीर के लिये विशेष स्थान के इच्छुक थे, विशेष संरक्षण चाहते थे, परन्तु अब हम मांग करते हैं कि अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाये और राज्य के संविधान को भी समाप्त किया जाये। हमारा विलय अन्तिम और पूर्ण होना चाहिये। साथ ही साथ काश्मीर के विकास की

[श्री अब्दुल गनी नोगी]

ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये, ताकि भारत के अन्य लोगों के साथ काश्मीर के लोग भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें।

मैं वैदेशिक कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह पाकिस्तान को अन्तिम बार स्पष्ट शब्दों में बता दें कि काश्मीर वार्ता का विषय नहीं हो सकता साथ ही साथ वह पाकिस्तान सरकार से यह भी मांग करे कि पाकिस्तान को वे सब क्षेत्र खाली कर देने चाहिये जिन पर उन्होंने 15 अगस्त, 1947 के बाद अधिकार किया था ताकि जम्मू तथा काश्मीर की प्रभुसत्ता उन सब क्षेत्रोंपर पुन : स्थापित हो सके जो 15 अगस्त, 1947 से पहले थी और जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा में उन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिये वर्षों से खाली पड़ी 25 सीटों को भरा जा सके।

काश्मीर भारत का पुष्प उद्यान है। यह भारत की सुन्दरता है। अत: ताशकन्द समझौते में, यदि कुछ गुप्त बातें हुई तो यह भारत की एकता के लिये बहुत बुरा होगा। मैं निवेदन करता हूँ कि हमें न केवल पाकिस्तान के बल्कि विश्व के सब देशों के और विशेषतया पाश्चात्य देशों के सामने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहिये। पाकिस्तान के आक्रमण के समय हमारे दृढ़ रवैया से विदेशों को हमारा पक्ष समझने में सहायता हुई है। अत : हमें अपने रवैये पर अडिग रहना चाहिये।

यह हर्ष की बात है तथा इस के लिये भारत सरकार और विशेषत : रेलवे मंत्रालय बधाई के पात्र हैं कि इस बार शेष देश के साथ जम्मू तथा काश्मीर के भावनात्मक विलय की दिशा में कुछ व्यवहारिक कदम उठाये गये हैं। रेलवे मंत्रालय की परियोजना सराहनीय है। कथवा तक जो रेलव लाइन है उसे जम्मू तक शीघ्र बढ़ाया जाना चाहिये और इस में बहुत अधिक समय अर्थात 15 वर्ष और नहीं लगना चाहिये। वर्तमान में जम्मू का केवल एक सड़क द्वारा पठानकोट से संपर्क है। अत : मैं निवेदन करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में छम्ब से लेकर बादवारा तक सड़क का निर्माण कराया जाये। इस संविधानों से जम्मू तथा काश्मीर की भावनात्मक एकता में सहायता मिलेगी और हमें प्रगति करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि यातायात की सुविधा न होने के कारण हमारे व्यापार आदि को बड़ी हानि होती है। इस संदर्भ में मैं पुन : कहूंगा कि जम्मू तथा काश्मीर में केन्द्रीय परियोजनायें नहीं है। वहां पर कुछ केन्द्रीय परियोजनायें लगाई जानी चाहियें, ताकि वहां आर्थिक प्रगति संभव हो सके।

जम्मू तथा काश्मीर में पिछले 18 वर्षों से घुसपैठियें आते रहे तथा युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन होते रहे परन्तु इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इस वर्ष घुसपैठियों के प्रवाह को रोकने के लिये जो शानदार कार्यवाही की गई, जिस में समस्त राष्ट्र ने एक हो कर पाकिस्तान के अक्रमण का मुकाबला किया तथा हमलावरों से निपटने के लिये जिस वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया, उस से राष्ट्र का गौरव बहुत बढ़ गया है। हमारे सामने छम्ब क्षेत्र में लोगों को पुन: बसाने की समस्या है, तथा इस बारे में शीघ्र उचित कार्यवाही की जानी चाहिये। राज्य में राजनैतिक स्थिरता कायम होनी चाहिये। अब युद्ध-विराम रेखा को इस प्रकार बनाना चाहिये कि भविष्य में एक भी घुसपैठिया न आ सके।

Shri Achal Singh (Agra) : Our relations with Pakistan have always been strained ever since her existence. During the last 18 years she had always been indulging in provocative activities and her designs had always been aggressive. First of all she attacked Kashmir in 1948 and since then she had been indulging in firing and other provocative activities on our western borders in Kashmir and eastern borders in Bengal. She had always been insisting for plebiscite in Jammu and Kashmir, dispite the fact that Jammu and Kashmir is an integral part of India. She had launched an attack on Rann of Kutch and the matter had since been entrusted to a tribunal. Again she sent infiltrators on 5th August and attacked us. She also attacked Chamb in September.

[श्री शामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

It was for the first time that India also took to arms to defend her sovereignty and territorial integrity. It is very gratifying that our armed forces showed unparalleled bravery and taught Pakistan a befitting lesson. Later on cease fire was declared after 23 days of fierece fighting as a result of untiring efforts on the part of U.N.O. and a change in the attitude of President Ayubkhan of Pakistan. Our late Prime Minister had told very frankly that India had no objection to cease fire, but Pakistan should give an undertaking that she will not indulge in such activities, which pose a danger to our national sovereignty and territorial integrity in future. After that Prime Minister Kosygin of Soviet Russia played a very important role in bringing about understanding and goodwill between the two countries and it is due to his ceaseless efforts that an agreement had been signed in Tashkent between the Prime Minister of India and the President of Pakistan. The Tashkent agreement is a symbol of peace and it should be followed both by India and Pakistan in better and spirit. Peace is always good.

The record of our Government during the last 18 years has been pretty well. We have progressed well in the field of industrialisation. It is encouraging that the country which used to import even needles is now manufacturing locomotives, ships and air crafts and there by saving crores of rupees which used to be spent on imports. But it is most unfortunate that despite the fact that India is an agricultural country, we have not been able to solve the problem of food shortage. We are facing difficulties regarding food. This shows that there is some defect in our food policy. India is a very big country and hence the conditions of rain or drought, surplus or deficit are bound to be different in different parts of the country. Hence what is needed is that there should be free trade of foodgrains. There should be no restriction on the movement of foodgrains from one State to another. The food zones should be abolished. It that is done, it would ease the food shortage conditions in the country, because the surplus States would be in a position to rush food to deficit States. If this would have been done earlier, the present situation in Kerala and West Bengal would not have arisen. The food shortage is not to the extent it appears to be, but the present situation is the creation of our complicated food policies. There should be no control on any commodity. The people do not want control. They want free trade. Lifting of control from cement has been welcomed and it had solved many difficulties which people were facing in getting cement. In this context I would like to make a reference to sugar. There is no shortage of sugar in the country and even then control is not being lifted from sugar. The result is that sugar cane growers are facing unnecessary trouble. There has been a decline in the prices of Gur and Khandsari to the extent of 50% in U.P. and Bihar.

India is a poor country but the taxes imposed on the public and specially on middle and lower middle classes are the highest. They are facing many difficulties, even to get both ends meet for their families. They are unable to carry the burden of this heavy taxation. So the taxes should be removed to a large extent. Specially from the poor sections of our society.

In the last I would like to say that special attention should be given to the problems of agriculturists. There should be proper irrigation facilities. In case proper irrigation facilities are provided, my State which is at present a deficit State can become a surplus State. So irrigation should not stand in the way of production. With these words I support the Motion of Thanks on the President's Address.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : यह पहला अवसर है जब कि इस सभा में और इस के बाहर सारे देश में यह मांग की जा रही है कि आपात और भारतीय प्रतिरक्षा नियमों को जारी रखने के प्रश्न पर तुरन्त विचार किया जाये और इन्हें शीघ्र समाप्त किया जाये। यद्यपि सत्ताधारी दल के मुख्य सचेतक तथा सभा नेता ने इस बात का बहुत प्रयत्न किया कि उनके दल के सदस्य इस बात का समर्थन न करे कि आपात तथा भारतीय प्रतिरक्षा नियमों को समाप्त किया जाये, तथापि यह बड़े हर्ष की बात है कि उनके दल के प्रमुख वक्ताओं ने आपात और भारतीय प्रतिरक्षा नियमों को समाप्त करने का समर्थन किया है। अत : इस से यह स्पष्ट है कि सरकार को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति इस पक्ष में नहीं है कि आपात तथा भारतीय प्रतिरक्षा नियमों को जारी रखा जाये। देश के 34 प्रमुख व्यक्तियों ने जिस में उच्चतम न्यायालय के 3 भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं यह मांग की है कि आपात और भारतीय प्रतिरक्षा नियमों को समाप्त किया जाये। आशा है कि आपातकाल समाप्त किये जाने के बारे में प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा और सभी राजनैतिक नजरबंदों को रिहा कर दिया जायेगा।

योजना मंत्री ने कहा है कि देश में कुछ लोग विदेशी सहायता के विरूद्ध हैं। अत : यह धारणा सही नहीं है। हम विदेशी सहायता के विरूद्ध नहीं है, परन्तु जब इस के साथ कुछ शर्तें लगाई जाती है, जैसाकि अमरीका अब लगाने का प्रयत्न कर रहा है, तब हमें इस के विरूद्ध खड़ा होना पड़ता है। अमरीका चाहता है कि हम अपनी रुई का उत्पादन कम करके अनाज का उत्पादन बढ़ायें तथा फिर अमरीका से रुई आयात करने की याचना करें। जब ऐसी शर्तें लगाई जाती है तो हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिये कि हमें विदेशी सहायता स्वीकार करनी चाहिये अथवा नहीं। आमतौर पर सरकार इन बातों पर विचार नहीं करती है।

केरल के बारे में मैं अपना भाषण केवल दो अथवा तीन बातों तक ही सीमित रखूंगा। मैं गृह मंत्री को बाताना चाहता हूँ कि कोट्टयम के एक जिले में कुछ अराजपत्रित अधिकारियों ने हड़ताल कर रखी है। अराजपत्रित अधिकारियों के संगठन की बलपूर्वक दबवाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये अराजपत्रित अधिकारी वेतन आयोग की रिपोर्ट में अपने वेतन क्रमों के बारे में कुछ परिवर्तन चाहते हैं। इस संगठन के पदाधिकारियों को तंग किया जा रहा है। सरकार को इस झगड़े को यथा संभव शीघ्र निपटाने का प्रयत्न करना चाहिये।

एक और अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि केरल की वर्तमान सरकार, केरल की सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये जो स्थानों को रक्षित किया जाता था उसे समाप्त करना चाहती है। सरकार ने इस बारे में एक यह निर्णय किया है कि कुछ पदों के लिये रिजर्वेशन अब नहीं है। केरल की वर्तमान सरकार जिम्मेदार सरकार नहीं है। आशा है 1967 में केरल में जिम्मेदार सरकार बन जायेगी। मैं अनुरोध करता हूं कि केरल की सरकार को वर्तमान व्यवस्था को नहीं बदलना चाहिये और एक वर्ष तक और प्रतिक्षा करनी चाहिये। यह एक नीति का मामला है और इस से प्रभावित समुदाय बहुत असंतुष्ट हैं और यदि इस निर्णय को क्रियान्वित किया गया तो वहां अव्यवस्था होने का खतरा है। सरकार को इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर): यह वर्ष देश के लिये संकट तथा परिक्षा का वर्ष है। हमारी उत्तरी सीमाओं पर चीनी आक्रमण का खतरा, कच्छ के रण, जम्मू तथा काश्मीर और राजस्थान में पाकिस्तान से हुआ सशस्त्र संघर्ष, देश की विधि तथा व्यवस्था की स्थिति, खाद्य समस्या एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण की दुर्दशा ऐसी चुनौतियां है जिन का हमें सामना करना पड़ा है और करना पड रहा है। ऐसी आपत्तियों के समय श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से देश ने भारत का एक महान एवं सच्चा सपूत खो दिया, जिस की क्षति कभी पूरी नहीं हो सकेगी। श्री शास्त्री उन गुणों का मिश्रण थे जो किसी एक व्यक्ति में पाने कठिन ही नहीं अपितु असंभव हैं। उनकी सादगी, ईमानदारी,

निर्भिकता, कार्यकुशलता एवं नम्रता ने देश के गौरव को चार चांद लगा दिये । उन्होंने शांति तथा युद्ध में देश की महान सेवायें की। उन्होंने संसार को अंधकार से ज्योति, हिंसा से अहिंसा तथा युद्ध से शांति का मार्ग दिखाया। देश को गौरव के उच्चतम शिखर पर बैठाने वाले उस महा-पुरुष की याद बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है, कि उन्होंने जो मार्ग दिखाया है हम उस पर चलते रहें।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में महान वैज्ञानिक तथा प्रशासनक डा० भाभा की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुये कहा है कि आधुनिक संसार विज्ञान से बना हुआ है। स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थाओं की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। हमारे देश में वैज्ञानिक तथा औद्यो-गिक अनुसंधान परिषद्, परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन आदि राष्ट्रीय और फोर्ड फाउनडेशन आदि अर्न्तराष्ट्रीय संस्थायें हैं, जिन में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करते हैं। परन्तु यह खेद की बात है कि सुविधायें तथा अवसर बढ़ने और भारतीय वैज्ञानिक बौद्धिक रुप से पश्चिमी वैज्ञानिक से कम न होने के बावजूद भी वैज्ञानिक कार्य समिति मात्र में ही हुआ है। निस्सन्देह युवक वैज्ञानिकों में बहुत निराशा है। उन की आयु ऐसी है कि वे बहुत अच्छा कार्य कर सकते है। पूर्ण निराशा के कारण उन में से बहुतों ने विदेशों में पद ग्रहण कर लिये हैं और वहीं बस गये हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों को इस प्रकार नहीं जाने देना चाहिये। हमें समझना चाहिये कि अनुसन्धान अच्छे भवनों, अच्छी प्रयोगशालाओं, अच्छे सामान और उपकरणों से नहीं होता, बल्कि अच्छा अनुसन्धान ऐसे वैज्ञानिक करते हैं जो उत्साही हों और परिश्रमी हों। उदाहरणार्थ डा० रमन कलकत्ते के बो बाजार में काम करते थे और श्री रामनुजम मद्रास पत्तन न्यास में लिपिक थे। अत : आवश्यकता इस बात की है कि हमारी संस्थाओं का वातावरण अनुसंधान के उपयुक्त होना चाहिये।

युवक वैज्ञानिकों में व्यापक निराशा का सब से बड़ा कारण यह है कि आम तौर पर हमारी वैज्ञानिक संस्थाओं के निदेश आदि उच्चकोटी के वैज्ञानिक नहीं है, अपितु वह निम्न श्रेणी के व्यक्ति है। क्योंकि इन पदों पर वेतन बहुत मिलता है और इन के पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा बहुत होती है, इस लिये अवसरवादी और पदलोलुप व्यक्ति अनुचित तरीकों से इन पदों पर पहुंच गये है। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपने अधीन भी निम्न श्रेणी के व्यक्ति ही रखते है और इस तरह यह चक्र निम्नतम सेवाओं तक चलता रहता है। यही एक सब से बड़ा कारण है कि हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान में आशाजनक प्रगति नहीं हुई है। अत : अनुसन्धान संस्थाओं का भार उच्च कोटि के वैज्ञानिक के हाथ में होना चाहिये, ताकि अनुसंधान कार्य में संतोषजनक प्रगति हो सके।

यह बड़े दु:ख की बात है कि बड़ी बड़ी बातें करने पर भी हमारी समस्यायें हल नहीं हो सकी हैं। सरकार को ग्रामीणों तथा ग्रामों की ओर ध्यान देना चाहिये, क्योंकि हमारी 82 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में रहती है और उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। हमें चाहिये कि ग्रामीणों के लिये स्वच्छ पीने के पानी, आवास, स्कूल तथा औषधालय आदि का प्रबन्ध करें और प्रत्येक गांव में एक गांधी कुटी स्थापित करे ताकि उन का नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षण हो सके।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरि) : हम किसी दल के हों अथवा किसी प्रदेश के देश की समस्याओं का सामना तो हमने मिल कर ही करना है। लोगों की आकांक्षाओं के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है उसका भी हमें पूरा अहसास है। अत: हमें जो भी आलोचना करनी चाहिए उसमें हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक होना चाहिये। हमें यह बात याद रखना चाहिए कि प्रगति और समृद्धि कोई अपहार के रूप में किसी को प्राप्त नहीं होते। इसे तो प्राप्त करना पड़ता है। हमें यह बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी जनता में शताब्दी से चली आ रही गरीबी और अज्ञानता के कारण हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्यायें हैं। इन समस्याओं को हमें केवल संयुक्त रूप से और रचनात्मक प्रयास करके ही हल कर सकते हैं। इस दिशा में हमें एक बात समझनी चाहिए। वह यह कि हमारे देश की 80 प्रतिशत

[श्रीमती शारदा मुकर्जी]

जनता ग्रामों में रहते हैं। यही लोग है जो कि हमारी राष्ट्रीय आय में अधिक से अधिक अंशदान देते है। इनका अंशदान 48 प्रतिशत है। ऐसा होने पर भी तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि और सिचाई पर केवल 21.2 प्रतिशत ही खर्च किया गया है। चौथी पंच वर्षीय योजना का भी अस्थायी ढांचा तैयार कर लिया गया है। इसके अन्तर्गत कृषि और सिचाई के लिए 21.8 प्रतिशत अर्थात 3,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके मुकाबले में गैर सरकारी विनियोजन 7,000 करोड़ रुपये का है। इस सम्बन्ध में कठिनाइयां है और हमें उन्हें महसूस करना है।

जो भी बड़े बड़े ऋण हमने विदेशों से लिये हैं वे अधिकतर हमने बड़े बड़े उद्योगों के निर्माण के लिए बनाये हैं। विदेशों से हमें कुल मिलाकर 3,732 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुआ है। इस सहायता से भारत के गांवों में रहने वाले 40 करोड़ लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है। बहुत कम लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि जब तक हम इस असमानता को दूर नहीं कर लेते, तब तक इस दिशा में असन्तोष बना रहेगा। और देश प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकेगा। यह भी तथ्य की ही बात है कि यदि कृषि उत्पादन में प्रगति नहीं होती तो लघु उद्योग भी आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि उसी हालत में हो सकती है यदि देहात में रहने वाले लोगों की आय बढ़ जाय। आय की वृद्धि से ही उत्पादन में वृद्धि होगी। यदि हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अच्छा संगठन बढ़ाना होगा। अच्छी प्रक्रिया की व्यवस्था करनी होगी। अपनी विक्रय प्रणाली और ऋण प्रणाली में सुधार करना होगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि यद्यपि अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्र एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, फिर भी उनमें समान रूप से विकास नहीं हो रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस का मूल क्षेत्र कृषि का ही है। अतः किसी भी हालत में इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि यदि सरकार कृषि की पूर्ण अवहेलना करके उद्योगों पर अधिक ध्यान देगी तो न केवल आर्थिक असन्तुलन हो जायेगा बल्कि सामाजिक असन्तुलन भी होगा। अभी तक हमरा देश पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाया। हमारे जन समुदाय का बड़ा भाग अभी भी सामाजिक तथा आर्थिक विकास की आरम्भिक स्थिति में है। यदि हमने इस दिशा में पश्चिमी विचार धारा से प्रेरित होकर कार्य किया तो लोगों में असन्तोष फैल जायेगा और इसका परिणाम इच्छा नहीं रहेगा।

मेरा आग्रह हमें समस्या का व्यवहारिक अंग देखना होगा। हमें केवल पुस्तकों में पढ़ने वाले सिद्धांतों को ही नहीं देखना है। पुस्तकों के सिद्धान्त इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि अमल में आने वाली बातें। जब तक हम देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के समर्थ नहीं हो जाते हम न प्रगति ही कर सकते हैं और न समृद्धि की ओर ही कदम बढ़ा सकते है। प्रत्येक अर्थशास्त्री ने इस बात पर जोर दिया है कि देश का धन उसके प्राकृतिक संसाधन ही होते है, और जनसाधनों से उनका विकास होता है। दोनो का समन्वय ही राष्ट्रीय समृद्धि को बढ़ाने का कारण बनता हैं। इतना कुछ होते हुए भी लोग अज्ञान और निराश में दबे हुए है। यदि हम अपनी जनता की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें ठीक मार्ग पर लाना चाहते हैं, तो हमें मूल समस्या कृषि की ओर ध्यान देना होगा। अपने ग्रामीण समाज के मूल ढांचे में सुधार करना होगा। यह अनिवार्य बात है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। सब से महत्वपूर्ण बात यही है कि इस देश की जनसंख्या जो इतनी विशाल और व्यापक है एक साथ कदम मिला कर कार्य करे, इस देश के 45 करोड़ लोग है। हमें लोगों का विश्वास नहीं खोना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो ये मिले, कारखाने और विश्वविद्यालय किसी काम के भी सिद्ध न होंगे। इन शब्दों से मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

Shri Tulsidas Jadav (Nanded) : It would have been better if the Address of the President had been in detail. In that case we had understood the Government policies comparatively better. Today the real problem facing the country is food. In this matter haves have to share with the have-nots. In certain States there

are surplus stocks for foodgrains, while in other States people find it very difficult to get food. It is the duty of the Government to see, to investigate and set things right. I am of the opinion that every State should resort to monopoly procurement and distribution to set things right. The surplus stocks should come into the hands of the Government. This is the duty of the Central Government to do something in this direction. Without this this problem cannot be solved satisfactorily. Our population is increasing. It is expected that by 1970 it will be 560 millions. Every year the increase is 1 crore and 20 lakhs. 1970, we will be at least in the need of 125 million tons of foodgrains. So it is very necessary that the increase in our agricultural production should keep pace with the increase in population. Government should see that it is ensured. The agriculturists should be provided with the necessary facilities. We must be guided by the principle of self-help. Together with that we must see that whatever programmes are chalked out by the Government should be effectively implemented. We must be in a position to work satisfactorily.

As far as industrialisation is concerned the mills are closed. Due to closure, the number of workers who have been rendered unemployed is 20,000 nearly. The situation in Sholapur spinning and weaving mills is very serious. Government should attend to it immediately. We must find out satisfactory solution of this problem. It is a question of several lakhs of workers, who are working in this mill. It is also very necessary that more facilities may be given to handloom workers.

It is also very sad that in this country some ardent freedom fighters are facing many difficulties. They are living in very hard conditions. It is the duty of the Government to help them. Central Government should pay attention to this problem. No freedom fighter should starve. I am of the opinion that D.I.R. should go. The situation in the country is normal and now quite satisfactory. I may also add that Tashkent declaration is a monumental work done by late Shri Shastri. He achieved what was not achieved in the last 18 years. We must all feel obliged to him for that.

There are inter-State disputes going on in this country. They are causing unnecessary bitterness. There should be no bitterness amongst the States.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

The Central Government should see that their disputes are amicably settled. Satisfactory solutions should be found to the Krishna—Godavari water dispute as well as to the Belgaum—Karwar dispute. I am not for meger of Goa and Mysore.

Corruption is rampant everywhere in the country. It is eating up the very vitals of our social and political life. Shastriji put up an ideal before the country in this connection, that was of living a simple life. Our leaders should set an example in this direction. We should try our level best to end this malady. I also want to urge that Telephone and Telegraph office should be provided in Marathwada immediately.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन निरोध के एक मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत केरल के मिट्टी के तेल के व्यापारियों की नजरबन्दी को दुर्भाविपूर्ण घोषित करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाया और निवेदन किया कि वह इसके बारे में अपना वक्तव्य दे।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : सरकार ने 1965 की लेख याचिका संख्या 136 उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखा है और कार्यपालिका द्वारा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत शक्तियों के अत्यधिक और अन्धाधुंद प्रयोग के विरुद्ध सावधान रहने की आवश्यकता के सम्बन्ध में विशेष रूप से जब आपातकाल की घोषणा के अन्तर्गत नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकार स्थापित कर दिये गये हैं, उच्चतम न्यायालय के विचारों पर उचित ध्यान दिया है। हम ने तुरन्त ही केरल सरकार के विचार मांगे हैं और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। यदि किसी विशेष सरकारी कर्मचारी ने दुर्भावनापूर्वक कार्य किया है तो निश्चय ही उसके विरुद्ध उचित कायवाही की जायेगी। उच्चतम न्यायालय ने जो चेतावनी दी है, उसका उपेक्षा नहीं की जायगी। देश के सामने अभी तक बने विदेशी खतरे की मात्रा और उसके स्वरूप के बारे में प्रर्याप्त जानकारी को देखते हुए सरकार आपातकाल और आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग के औचित्य पर निरन्तर विचार करती रहती है। जब भी भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत कार्यपालिका के विशेष कार्यों पर, उनके सार के विषय में अथवा प्रक्रिया के विषय में, न्यायालय द्वारा प्रतिकूल विचार व्यक्त किये जायेंगे तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें ऐसी आलोचना का ध्यान रखेंगी और उचित हिदायतें जारी करेंगी ताकि भविष्य में ऐसी बातें नहीं हों। हाल ही में कुछ मुख्य मंत्रियों के साथ मैंने भारत रक्षा नियमों के प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया है। अब यह निर्णय किया गया है कि निवारक निरोध की शक्तियों का प्रयोग किया जाये और नियमों के अन्तर्गत केवल राष्ट्रीय सुरक्षा अर्थात् भारत की रक्षा, सिविल रक्षा तथा सैनिक संचालन में कुशल आचरण जैसे प्रयोजनों के लिये ही अभियोग चलाय जायें।

सरकार सारे प्रश्न पर शीघ्र पूर्णतया विचार करना चाहती है और ऐसा करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के बारे में विचार करते हुए माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किय गये विचारों का उचित ध्यान रखा जायेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान करना सरकार का परम कर्त्तव्य है तथा उन सैनिक तथा राजनीतिक तत्वोंका, जिन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, सावधानीपूर्वक निर्धारण करना पड़ेगा। सरकार इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता से पूर्णतया सजग है कि संविधान द्वारा दिये दिये गये मूलभूत अधिकारों को उससे अधिक समय तक निलम्बित न रखा जाये जितने के लिये उन को निलम्बित रखा जाना सर्वथा आवश्यक है।

श्री स० मो० बनर्जी : लगभग सभी राजनीतिक दल यह मांग कर रहा है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों को हटा दिया जाना चाहिए। क्या 34 प्रमुख नागरिकों ने जो अपील राष्ट्रपति को भेजी है उसका प्रधान मंत्री महोदया को पता है।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मुझे वह पत्र श्री शीतलवाड जी से प्राप्त हुआ है। मेरे विचार सदन इस कठिनाई को महसुस करने का प्रयास करेगा कि भारत रक्षा नियमों को एकदम नहीं हटाया जा सकता। गृह कार्य मंत्री ने पहले ही बता दिया है कि दोनों सभाओं में तथा विख्यात सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये है उनको ध्यान में रखते हुए इस समस्या पर पुन: विचार किया जायेगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : भारत रक्षा नियमों को न्यायिक रूप से भी गलत कहा जा रहा है, इस लिए क्या यह आशा की जा सकती है कि सरकार इस मामलें की ओर गम्भीरता से ध्यान देगी? यदि सरकार की स्थिति ठीक है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में क्यों डाला हुआ है? उन पर क्यों मुकदमा नहीं चलाया जाता? उनमें से लोग तो ऐसे हैं जो कि संसद और विधान सभाओं के सदस्य है। किसी के विरुद्ध भी किसी प्रकार के आरोप अदालत में सिद्ध नहीं हुए हैं।

मैं सरकार से यह विशिष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वह आपात के उठाये जाने के लिये और राजनीतिक कारणों से जो लोग विना मुकदमा निरुद्ध हैं उनको रिहा करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : तुरन्त ।

श्री नन्दा : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कुछ मैं ने कहा है उसे समझ लिया है । जैसा मैं ने कहा है, उन मामलों में जहां देश की सुरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है, इन उपबन्धों का प्रयोग नहीं किया जायगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या निरुद्ध व्यक्तियों को रिहा किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या भारत प्रतिरक्षा नियमों को हटाया जाना तथा निरुद्ध लोगों को छोड़ा जाना विचाराधीन है ।

श्री नन्दा : प्रश्न यह है कि क्या इस पहलू की छान-बीन की जा रही है । उत्तर यह है कि हम बिलकुल इसी पहलू की छान-बीन करेंगे जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं ।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व) : पूर्व बंगाल में अभी तक 1,500 लोग क्यों निरुद्ध हैं ?

श्री नन्दा : निर्णय में जो कि इस ध्यानाकर्षक सूचना का विषय है यह दिया हुआ है कि यह एक ऐसा मामला है जो प्रायः नहीं होता ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : We have reached an agreement with Pakistan at Tashkent. The Chinese have taken possession of our 38,000 square miles of territory and the Government is not reclaiming it. When the Chinese force comes down the Thangla ridge, then Government says that the Chinese have attacked. We have no claim on Kailash Mansarovar. In these circumstances it passes comprehension why this state of emergency is continued. What does emergency mean now?

Shri Nanda : I don't think there is anything in it to be answered.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : गृह मंत्री ने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में कहा है और यह भी कहा है कि राज्यों को तीन मास के अन्दर ऐसे लोगों के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन करने का निदेश दिया गया है । परन्तु इस पर भी अभी हाल में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत लोगों को नज़रबन्द किया गया है जब कि यह निश्चित हो चुका है कि सामान्य कानून का ही प्रयोग किया जायगा । पंजाब और बंगाल में सैंकड़ों लोग जेल में क्यों हैं ?

सरकार के 1964 के राजनीतिक निर्णय के अनुसार उस समय अनेक साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और वे लोग नन्दा जी के उस निर्णय के आधार पर अभी तक जेल में हैं । राज्य सभा में उन्होंने कहा था कि यह लोग राष्ट्र के दुश्मन हैं । यह उनका बहुत ग़लत वक्तव्य है । राज्यों के अधिकारियों से इन लोगों के बारे में पुनर्विलोकन के लिये कहे जाने से क्या लाभ हो सकता है जब कि उच्चतर स्तर पर केन्द्रीय सरकार ने और नन्दा जी ने निर्णय किया हुआ है ? राज्यों के अधिकारी उन लोगों को किस तरह रिहा कर सकते हैं ? क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा कोई निर्णय किया जायगा और वे लोग रिहा किया जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है जो श्री ही० ना० मुकर्जी ने पूछा था ।

श्री नन्दा : "राष्ट्र के शत्रु" से मेरा मतलब यह था कि वे एक दल के विरोधी थे । मैं ने कहा था कि वे लोग राष्ट्रीय हितों के शत्रु हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यदि ऐसा है तो उनके उपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता ?

श्री नन्दा : अन्यथा वे गिरफ्तार नहीं किये जा सकते ।

एक माननीय सदस्य : वह इस पर इस प्रकार निर्णय नहीं ले सकते ।

श्री नन्दा : जो निर्णय किया गया है वह राज्यों में तीन दिन पूर्व भेज दिया गया था और अब वहां पहुंच गया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे लोग इस पर अच्छी तरह विचार करेंगे और उसका पूरा पूरा पालन करेंगे।

श्री वासुदेवन नायर : मेरा प्रश्न विशिष्ट रूप से यही था कि जब केन्द्रीय सरकार ने इन लोगों को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया था तो राज्य सरकार बिना गृह मंत्री की आज्ञा के किस प्रकार इन लोगों को रिहा कर सकती है ? क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में हिदायतें जारी कर दिये हैं ?

श्री नन्दा : किसी व्यक्ति कि गिरफ़्तारी तथा उसके हिरासत में किये जाने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया था। यह तो देश के लिये खतरे के कारण और मुख्य मंत्रियों के परामर्श के पश्चात किये गये मूल्यांकन पर आधारित था।

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : क्या केरल में निरुद्ध व्यक्तियों को निर्वाह भत्ता दिये जाने की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्या गृह मंत्री उनको तुरन्त निर्वाह भत्ता दिये जाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री नन्दा : जी, हां। निर्वाह भत्ता कुछ लोगों को दिया गया है।

श्री अ० व० राघवन : केवल 50 प्रतिशत व्यक्तियों को निर्वाह भत्ता दिया गया है।

श्री नन्दा : उस के बाद निरुद्ध किये जाने से सम्बन्धित नियमों तथा शर्तों में परिवर्तन हो गया है और इन को अब बहुत काफ़ी उदार बना दिया गया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या इसको श्री नन्दा के उत्तर का स्पष्टीकरण माना जाये कि बंगाल में अभी हाल में हुई गिरफ़्तारियां विशेष रूप से वह जिन के बारे में यहां ज़िक्र किया गया है, केन्द्रीय सरकार की मर्ज़ी के विरुद्ध थीं और इस लिये अब उन लोगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने पर छोड़ा जा रहा है ?

श्री नन्दा : यह इस बात पर निर्भर करता है कि जुर्म किस तरह का है।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं इस उत्तर का और स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह हिदायतें दे दी हैं कि वे सिवाय ऐसे व्यक्तियों के जो राज्य की सुरक्षा के सम्बन्ध में निरुद्ध हैं, शेष लोगों के विरुद्ध दिये गये निरोध के लिये आदेश हटा लें ?

श्री नन्दा : मैं ने सरकार के इरादे के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को पत्र लिख दिया है।

श्री स० मो० बनर्जी : गृह मंत्री ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर तथा उसके सम्बन्ध में दूसरे मामलों पर विचार किया जायेगा। कई उच्च न्यायालयों द्वारा यह निर्णय दिये जाने पर कि अनेक लोग जो असद्भाव से तथा ग़ैर कानूनी ढंग से नज़रबन्द हैं उन्हे रिहा कर दिया जाये; वह लोग एक बार दिसम्बर में रिहा कर दिये गये थे परन्तु फ़रवरी में वे दुबारा नज़रबन्द कर दिये गये हैं। अतः गृह मंत्री के इस कथन में क्या सार है कि इस तरह की गिरफ़्तारीयां प्रायः नहीं की जाती।

अध्यक्ष महोदय : इस पर सरकार को निर्णय लेना है। मैं मंत्री महोदय से उत्तर के लिये कैसे कह सकता हूं ?

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : संयुक्त राष्ट्र अमरीका के भूत-पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री केनेडी ने एक बार कहा था कि समस्याओं को निपटाने का एक मात्र उपाय उनके समाधान के लिये कार्यवाही करना है। हमारी केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में मामलों को टालमटोल करने की बहुत बुरी आदत है। अतः स्वर्गीय केनेडी के यह शब्द यदि सरकारों के समक्ष रहे तो अच्छा है। स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके विप्रीत ही कहा था कि यदि समस्याओं को कुछ समय के लिये जियों का त्यों छोड़ दिया जाय तो वे स्वयं सुलझ जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ध्यानाकर्षक की सूचना के विषय पर प्रश्न न कर के राष्ट्रपति के अभिभाषण अणि पर चर्चा में बोलने लगे हैं।

श्री शिंकरे : दस वर्षों से मैसूर और महाराष्ट्र के मध्य में कारवार और बेलगाम जिलों के सीमावर्ती लोग यह कहते आये हैं कि वे अपनी इस वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट हैं परन्तु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं यह नहीं चाहता कि सरकार तुरन्त ही यह कहे कि कारवार और बेलगाम महाराष्ट्र में मिल जायें। परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट रूप से अवश्य कहा जाना चाहिये। परन्तु प्रायः ऐसा होता है कि सरकार मामले को समय पर छोड़ देती है और फिर जब समस्या गम्भीर हो जाती है तो कोई मंत्री महोदय, विशेष रूप से श्री नन्दा यह वक्तव्य दे कर कि वे इसको सुलझायेंगे, मामले को टाल देते हैं। और इसी प्रकार आश्वासन के बाद आश्वासन चलते रहते हैं। जैसे श्री नन्दा ने दो वर्ष में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का आश्वासन दिया था और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उसी प्रकार इस मामले पर भी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है।

सरकार ने गोआ के भविष्य के बारे में भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। गोआ में पिछले और प्रथम आम चुनाव के पश्चात लोगों ने यही इच्छा प्रकट की है कि गोआ को महाराष्ट्र के साथ मिला दिया जाये। इस बात का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। सरकार इस सम्बन्ध में अपना निर्णय क्यों टाल रही है ?

इसी प्रकार नशाबंदी के सम्बन्ध में कई बैठकों और निर्णयों के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

पंजाबी सूबा के प्रश्न पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। आज के समाचार पत्रों में यह समाचार है कि संत फतेह सिंह अब एक महीना भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सरकार हर मामले को टालती रहती है और सुलझाने की उस समय तक कोशिश नहीं करती जब तक कि खून-खराबा न हो जाये।

वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में इस समय बचत करने की अत्याधिक आवश्यकता है ताकि सरकार की विकास सम्बन्धी योजनायें प्रगति से चलती रहे। परन्तु सरकार का राजस्व 8-10 गुना अधिक बढ़ गया है और आय उस दर से नहीं बढ़ी है। अतः ऐसी अवस्था में क्या बचत हो सकती है। सरकार को स्वयं ही इस सम्बन्ध में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। सरकार को अधिक बचत कर के दिखाना चाहिये सरकार का प्रशासनिक खर्चा बहुत बढ़ा हुआ है। सरकार की करों से सम्बन्धित नीति सीमा पर पहुंच चुकी है। सरकार को अब केवल यही करना चाहिये कि वह अब अपने खर्चे और न बढ़ाये।

इस समय रुपये के अवमूल्यन की बहुत अधिक आवश्यकता है। सरकार कहती है कि रुपये के इस नक़ली मूल्य से निर्यात से देश को बहुत लाभ हो रहा है परन्तु विदेशी खरीदार हमें वहीं मूल्य चुकाते हैं जो वे उचित समझते हैं। हमारे यहां से निर्यात करने वाले भी निर्यात के प्रति उदासीन हो जाते हैं क्योंकि उन्हे रुपये के इस नक़ली मूल्य के कारण पूरा लाभ नहीं होता। यदि वह 100 डालर के मूल्य का माल निर्यात करते हैं तो केवल 500 रुपये मिलते हैं परन्तु यदि रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया होता तो 800 या 900 रुपये मिलते। स्थानीय व्यापारी इस बात को देखता है कि उसे क्या लाभ होगा ताकि इस बात को कि सरकार को विदेशी मुद्रा के रूप में क्या मिलेगा। अतः रुपये का यह नक़दी मूल्य हमारे निर्यात का कुछ भला नहीं कर सकता। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि रुपये का अवमूल्यन करे। यह आग्रह मैं ने अनेक व्यापारियों से जो निर्यात करते हैं बात चीत कर के किया है।

[श्री शिंकरे]

प्रशासनिक सुधार आयोग के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि उसके सदस्य बहुत ही योग्य हैं और उनको सभा के सभी सदस्यों द्वारा ही नहीं बल्कि सारे देश की जनता द्वारा सम्मान और विश्वास प्राप्त है परन्तु मेरी समझ में इस आयोग में एक ही पक्ष के लोग हैं। इस में हर पक्ष के सदस्य होना चाहिये थे। इस आयोग में कम से कम एक ऐसे सदस्य का होना आवश्यक था जो हर प्रकार के प्रशासनिक ढांचे का अनुभव रखता हो। कई पश्चिमी देशों में बहुत ही अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था है। डेनमार्क जैसे छोटे देश में ही उच्च श्रेणी की प्रशासनिक व्यवस्था है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हम उनकी नक़ल करें। मेरा मतलब यह है कि कम से एक सदस्य ऐसा होना चाहिये जो दूसरे देशों की प्रशासनिक व्यवस्था से परिचित हो ताकि आयोग की रिपोर्ट हमारी व्यवस्था से भिन्न व्यवस्थाओं के अध्ययन के बाद हर प्रकार से पूर्ण हो और हम अपने प्रशासन में कमियों को दूर कर सकें।

प्रधान मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: PRIME MINISTER'S, VISIT TO USA

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर अमरीका जाना स्वीकार कर लिया है। वे 27 मार्च से चार दिनों के लिये अमरीका जा रही हैं। मैं ने यह सूचना सभा को इस लिये भी दी है क्योंकि इस बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : जब राष्ट्रपति जॉनसन ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री का श्री शास्त्री का अमरीका जाना स्थगित किया था तो यह कारण दिया था कि कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और वह इस कारण हमारे प्रधान मंत्री से नहीं मिल सकते थे। अब हमारे संसद् के सत्र के दौरान प्रधान मंत्री का अमरीका जाना भी स्थगित किया जाना चाहिये। इस सम्मान किया जाना चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं इसके लिये आभारी हूं कि सभा को प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के बारे में बता दिया गया है। प्रधान मंत्री की यह अमरीका यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। अतः हमें उनको अपनी शुभकामनाओं के साथ बिदा करना चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : अब इस मामले कों यहां ही समाप्त करना चाहिये।

श्री अ० शं० आल्वा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

MOTION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में स्वर्गीय श्री शास्त्री के प्रति जो श्रद्धांजलियां अर्पित की हैं मैं उनका समर्थन करता हूं।

[**श्री सोनावने पीठासीन हुए**
MR. SONAWANE *in the Chair*]

ताशकंद समझौता स्वर्गीय श्री शास्त्री और श्री कोसीगीन के यत्नों के ही फलस्वरूप हुआ था। समय आ गया था कि हम खून-खराबे को समाप्त कर के स्थायी शांति के लिय प्रयत्न कर सकते थे। स्वर्गीय शास्त्री द्वारा ताशकंद समझौते के किये जाने से हमारी सरकार को बहुत प्रतिष्ठा मिली है। परन्तु दुःख इसी बात का रहा कि वे मातृभूमि वापस न आ सके।

राष्ट्रपति ने खाद्य के सम्बन्ध में कठिनाइयों की चर्चा की है। यहां ऐसे बहुत से वक्तव्य हुए हैं जिन में कहा गया है कि विदेशों में जो लोग भारत के लिये सहायता के रूप में खाद्यान्न इत्यादि एकत्रित कर हैं उस से हमारी मानहानि हुई है। परन्तु मैं समझता हूं कि इस में कोई हानि नहीं है यदि एक देश दूसरे देश के लिये विपत्ति के समय सहायता का कोई कार्य करे। खाद्यान्न के आयात की आलोचना भी गलत है। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह खाद्यान्न के अधिक उत्पादन तथा सामयिक वितरण पर ध्यान दे।

क्षेत्र व्यवस्था में लाभ भी है और हानियां भी। खाद्य राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई एक नीति बिना राज्यों सरकारों की मर्ज़ी के नहीं बना सकती। जिन राज्यों में फालतू अन्न था उन्होंने भी दुर्भाग्य से यह ज़ाहिर कर दिया कि उनके पास अन्न की कमी है। हमें इस बात को समझना चाहिये क्योंकि वहां भी लोगों को खाद्यान्न के राज्य से बाहर जाने पर आपत्ति होती है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से कह देना चाहिये कि जिन राज्यों के पास फालतू अन्न है वे दूसरे राज्यों को जहां कमी है अन्न भेजें। अतः राज्यों को आपस में बातचीत करके एक समान नीति बनानी चाहिये।

सरकार के विचाराधीन उर्वरक सम्बन्धी कई योजनायें हैं। देश में अन्न की व उर्वरक की कमी को देखते हुए, सरकार को सरकारी या गैरसरकारी क्षेत्र में शीघ्र कारखाने स्थापित करने के प्रश्न पर ध्यान देना चाहिये। अभी हाल में एक जापानी दल ने देश का दौरा किया है और यह दल बंगलौर भी आया था। इस दल का विचार सरकारी अथवा गैरसरकारी क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने का है। अतः सरकार को अब सरकारी क्षेत्र अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में भेद न कर के इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेना चाहिये।

राष्ट्रपति जी ने गैर सरकारी उद्योगों को सहायता दिये जाने की सिफ़ारिश की है। जो लोग अन्न पैदा कर रहे हैं उन्हे उसका लाभकारी मूल्य दिया जाना चाहिये। पंजाब में जिन व्यापारियों ने नियंत्रित मूल्य पर अनाज खरीद लिया था। अब वह उस अनाज को राज्य से बाहर भेजे जाने के लिये अधिक मूल्य चाहते हैं। सरकार को यह देखना चाहिये कि किसानों से सस्ते मूल्य पर अनाज न खरीदा जाय। यदि ऐसा नहीं होगा तो किसान अधिक उत्पादन नही करेंगे। वे वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करेंगे ताकि अधिक मूल्य मिल सके। सरकार को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को भी निर्धारित करना चाहिये नहीं तो खाद्यान्न के मूल्य को भी निर्धारित करने में कठिनाई होगी। सरकार को गहन खती की ओर भी ध्यान देना चाहिय। जापान में एक एकड़ में हमारे यहां के मुकाबले चौगुना और चीन में दुगुना उत्पादन होता है। भूमि की जांच बड़े पैमाने पर कर के सही उर्वरक का प्रयोग किया जाना चाहिये।

सामुदायिक विकास तथा विस्तार योजनाओं में जितना कुछ करना चाहिये था नही किया है।

विस्तार अधिकारी और ग्राम सेविकायें वहां ऊंचा मिजाज़ ले कर जाते हैं और अपना भाषण देने के सिवाय कुछ नहीं करते। वे किसानों की बात नहीं सुनते और समझते हैं कि वे कुछ नहीं जानते। यदि वे किसान को आधुनिक उपकरणों और उर्वरकों की उपयोगिता के बारे में संतुष्ट कर सकें तो किसान उनकी बात सुन सकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार से किसानों को सहकारिता के आधार पर मिलने वाली सहायता के परिणामस्वरूप खाद्य समस्या अवश्य ही सुधर जायेगी और चौथी योजना में 12.50 करोड़ टन उत्पादन का हमारा लक्ष्य वास्तव में पूरा हो जायेगा।

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : First and foremost of the problems facing the country today is the food problem. Different views have been expressed here about how best this problem could be tackled. My submission is that while there are certain problems which are created by nature, so many problems are man-made. The present famine conditions are due not only because of the draught conditions but, to a certain extent, they are due to man-made scarcity. The present situation in the states of Kerala and Bengal is also due to the Zones systems. Honourable members in both the Houses have been demanding abolition of the zonal system. To-day also in the Question Hour the Government declared that they would consider how to procure and distribute the food grains like gram and wheat which are surplus in Punjab. The first remedy is to put an end to the zone system so that foodgrains may reach every part of the country and people's dissatisfaction over disparity in availability of food grains in different states will disappear.

[Shrimati Jayaben Shah]

The deficit areas of Kerala and Bengal will get rice from areas where it is in surplus now. Gujarat is a deficit area too. There only half an ounce of rice is being given which is just nominal, but we have no grievance on that account. We have first to take into account the situation obtaining in the country. It is immaterial whether the Defence of India Rules are abrogated or not but unless the zone system is dispensed with immediately the food situation cannot improve.

Efforts to solve the food problem have been made and are still being made but they have not been adequate. Planning too has been insufficient and inefficient. Agriculture is the primary industry of India but it has been the most neglected one. Provision of food, clothing and shelter to the people is the foremost duty of a Government. If Government fails in this duty, our democracy may be endangered. Next we have to form our plans in such a way that the food production goes up. Unless full attention is paid to agriculture, putting up of other industries and urbanisation will not help a lot.

As to employment opportunities in the country, I would say that in spite of Government's having created a number of employment opportunities and providing the unemployed with jobs, the problem of unemployment is none the better. The villages should be provided with small-scale and cottage industries.

As to the Tashkent declaration I would say that it is a wonder achievement for us. We were not forced into signing the Tashkent agreement. Non-violence is our policy but in times of need we can also fight back any attack and take arms against the enemy. We never want violence. This is what we want to tell the world. We are followers of non-violence and therefore as soon as opportunity offered itself, our late Prime Minister entered into an agreement for peace at Tashkent. That was a great landmark. The late Prime Minister's tireless efforts increased our prestige in the eyes of the world and made the present atmosphere possible which will bring peace and progress for us. Nothing can be said about the future. Pakistan is our neighbour and we hope both the countries will benefit if the spirit of the Tashkent agreement is sincerely followed by both.

The President's Address makes hardly any mention of the fact that while there is concentration of wealth in a few hands, the rest of the people have been hard put to it to maintain their standard up living which I do not say has gone down because of high prices of commodities. The Government should give serious thought to this matter. There is great disparity in concentration of wealth in the different people of the country. The first condition of socialism is that there should be an equitable distribution of wealth in the country.

श्री लिंग रेड्डी (चिकबल्लापूर) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का पूरा पूरा समर्थन करता हूं। इस में तीसरी योजना की सफलताओं का पूरा विवरण है।

अभिभाषण में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के सम्बन्ध में भी उल्लेख है। यह स्वर्गीय शास्त्री जी के अथवा परिश्रमों के कारण ही था कि हम युद्ध तथा शांति दोनों ही क्षेत्रों में सफ़ल हुए। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ी युगान्तकारी घटना है।

हम अपनी गुट-निरपेक्ष तथा शांति और सह-अस्तित्व की नीति में बहुत सफ़ल रहे हैं। दूसरे देश अब हमारी नीति की सराहना कर रहे हैं।

यह बड़ा दुर्भाग्य है कि अनावृष्टि के कारण करीब करीब सब राज्यों में फ़सल नहीं हो सकी है। मैसूर राज्य में 21 में से 15 जिलों में फसलों बिलकुल बरबाद हो गई हैं। वहां मवेशियों और लोगों के लिये पीने का पानी नहीं है। मवेशियों के लिये चारा भी नहीं है। वहां सरकार का राशन व्यवस्था आरंभ करने का विचार है परन्तु जो खाद्यान्न वहां भेजे जाये हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। वहां 20,000 टन चावल प्रति मास की आवश्यकता है। इस समय वहां अनौपचारिक राशन व्यवस्था चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं बहुत कम मात्रा में दिया जा रहा है। वहां और अधिक उचित मूल्यों वाली दुकानें खोली जानी चाहिये।

सरकार छोटी सिंचाई योजना की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। मैसूर में करीब 40,000 तालाब हैं। यदि इसकी मरम्मत की व्यवस्था की जाये तो सिंचाई के लिये ही लाभ नहीं होगा अपितु लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। सब स्थानों में बड़े और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनायें नहीं चल सकती। इन भूखमरी के क्षेत्रों में कुओं द्वारा सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छा कार्य कर सकती है। इस से लोगों को काम भी मिलेगा और खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में सिंचाई क्षमता के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। सरकार के खाद्य विभाग को इस पर विचार करना चाहिये। सरकार ने प्रकाशित किया था कि दुर्भिक्ष में सहायता के लिये भी केन्द्र तथा राज्यों में समितियां बनाई जा रही हैं।

केन्द्रीय स्तर पर एक "सैल" बनाई गई है परन्तु राज्यों में भी कोई दुर्भिक्ष सहायता बोर्ड अथवा समिति बनाई जानी चाहिये। इस स्तर तरह केन्द्र के सैल तथा राज्यों में एक सा सहायता कार्य चल सके।

राज्यों में खाद्य का कार्यभार मामूली मंत्रियों के न कि मुख्य मंत्रीयों के हाथ में हैं। कई बार यह सुझाव दिया गया है कि खाद्य सम्बन्धी कार्य भार केन्द्र में प्रधान मंत्री को और राज्यों में मुख्य मंत्री को सोंपा जाये परन्तु इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। राज्यों में कृषि मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय और खाद्य का कार्य मुख्य मंत्री के हाथ में होना चाहिये ताकि खाद्य उत्पादन के कार्यक्रम का समन्वय हो सके।

हौस्पेट में स्पात के संयन्त्र लगाने के बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यह भी विचार किया जा रहा है कि यह संयन्त्र कहीं और लगाया जाये परन्तु मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह संयंत्र हौस्पेट में ही लगाया जाये।

मैं यह कई बार कहता आया हूं कि बंगलौर-चिकबल्लापुर के बीच जो छोटी लाइन रेल व्यवस्था है उसको मीटर लाइन अथवा बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाये। परन्तु मेरी इस प्रार्थना पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि सरकार इस पर पूरा पूरा ध्यान दे।

मेरे मित्र श्री शिकरे ने गोआ के विलयन के सम्बन्ध में कहा है कि अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। परन्तु उस पर निर्णय हो चुका है कि 10 वर्षों तक यथापूर्व स्थिति चलती रहेगी। प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य भी दिया है।

Shri Sheo Narain (Bansi) : I am thankful for being given opportunity to speak on the Motion of Thanks on our President's Address. The President has paid tributes to the late Shri Lal Bahadur Shastri who was a great protector of the poor. We are greatly indebted to the late Prime Minister who did so much for the country and raised its prestige and honour to such heights.

[Shri Sheo Narain]

The President has not touched the Harijan problem which is still unsolved. All action is confined to paper work only.

The unnecessary departments like the Harijan Welfare Department, Social Welfare Department and the Community Development Department should be closed down. Only 20% people are employed; 80% people are being put to great hardships. The Government should look to the needs of the people and do what is required to be done.

In regard to the continuation of emergency I would say that I have gone through the pamphlet on emergency recently distributed to us. I request the Government not to show any leniency to the Communists who are conspiring to subvert the Government.

Our Home Minister Shri Nanda had promised to root out corruption in two years. He made tireless efforts to accomplish his aim but his officers did not cooperate. I praise his courage and initiative.

I request the Government to keep the emergency till the danger from China is over. Besides this danger from outside we are having a lot of trouble inside the country also.

In regard to Shrimati Renu Chakravarthy's allegation concerning incidents in Bengal, I would say that no policeman of our country can be so callous as to intentionally shoot down a 10 year old child. She very much exaggerated her narration.

Half the Bengal is Communist. Whatever rice is sent to Bengal, half of it's taken away to China. Similarly, half of the rice sent to Kerala is taken out to Pakistan.

I request the Government to dispense with the zone system so that foodgrain of Punjab may reach other parts of the country. I hail from the area which produces very good quality rice. But it is passed on to Nepal and also to China. The Police does nothing. Hence I request Government to keep vigilance on the borders.

In my district, work on the construction of a 100 mile long road has been going on for the last four years but it is still incomplete. From the Defence point of view also I want to emphasise the need for construction of good roads in our area and also maintenance of the means of communications in good order. We produce potatoes there but in the absence of good roads, it cannot be transported to the urban areas and the result is that it sells at a very low and uneconomic price in our area while at the same time the price obtaining in cities ranges around a rupee a kilogram.

I want to congratulate the Government for decontrolling cement. A bag of cement now costs Rs. 12 instead of Rs 22.

As to the food problems, I would say that we have no scarcity of food in our country; only the mismanagement on the part of Government is responsible for it. They should look to the movement of grains.

In regard to the irrigation problem I would first request Government to see to it that the evading tendency on the part of the officers is put an end to. When I asked the Collector of my district to lift restrictions in regard to rice, he

advised me to see the Chief Minister. I met the latter but he asked me to go to the Collector again. I look the Collector to task and in four days all restrictions were removed from rice. Now it sells at the rate of a kilogram for a rupee and people have not to wait in long queues.

So far as the irrigation problem is concerned, I would ask Government to advance money, so the villagers to construct wells in villages.

I also want to speak in regard to education in the country. Government has given no consideration to the service conditions and grades of pay of the teachers in our country. Unless we give full consideration to the well-being of the teachers, we cannot hope to produce great personalities like Rama and Lakshmana. Government should give full dignity to teachers. The letter which the Education Minister read out in House was a violation against U.P. He should not have read out that letter in the House.

I take this opportunity to congratulate our Jawans who have done so well. I request Government to look to the needs of the widows and children of those Jawans who died at the front. We have to provide them with all necessary facilities like pensions, protection of children and their education and allotment of land to the landless families.

The Tashkent agreement has been one of the most wonderful agreements. Even members of our opposition and men like Shri Dandekar have praised it. This was all due to our policy of non-alignment, truth, non-violence and peaceful appeasement.

अध्यक्ष महोदय : सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक-सभा 5 बजे सायं० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Five of the Clock.

लोक-सभा सायं० 5 बजे पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled at Five of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सामान्य आयव्ययक, 1966-67

GENERAL BUDGET, 1966-67

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री ।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का 1966-67 का बजट पेश कर रहा हूं । पर ऐसा करने से पहले मैं अपने स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । वे देश और जनता की सेवा के लिए जिये और उसीके लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर किये । वे अपने साथ अमर भावना लेकर आये थे और वह भावना वे राष्ट्र को भेंट करके चले गये हैं । इसी विरासत को लेकर हमें अपने प्रिय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में और अपने सम्मानित सहयोगियों के साथ जनता की सेवा करते हुए अग्रसर होना है । माननीय सदस्यों के साथ मैं इस काम में अपना हिस्सा बटाऊंगा ।

[श्री शचींद्र चौधरी]

भारत सरकार का बजट हमारी योजनाओं और नीतियों को कार्यान्वित करने का एक प्रमुख साधन है। इसलिए, इसे मौजूदा आर्थिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से और साथ ही दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर बनाना पड़ता है। अर्थ-व्यवस्था की हाल की प्रवृत्तियों की रूपरेखा 'आर्थिक समीक्षा' में दी गयी है, जो कुछ दिन पहले संसद में प्रस्तुत की जा चुकी है। इसलिए, मैं सिर्फ कुछ ही बड़ी बड़ी बातों का जिक्र करूंगा जिनका अगले वर्ष का बजट तैयार करने से सम्बन्ध है।

जो वर्ष अब समाप्त हो रहा है वह कई दृष्टियों से बहुत कठिन रहा है। कुछ कठिनाइयां, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में अपर्याप्त कार्य, पूंजी बाजार की सुस्ती, शोधन-सन्तुलन (बैलेंस आफ पेमेण्ट्स) पर दबाव और अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि वर्षों से हमारे साथ-साथ चल रही हैं; इसलिए यह आवश्यक है कि बजट सम्बन्धी और वास्तव में सभी आर्थिक नीतियां इसी दृष्टि से बनायी जायं कि इन प्रतिकूल प्रवृत्तियों का प्रतिकार किया जा सके। वर्तमान राजस्व-वर्ष में हमने आशा की था कि 1964-65 में खेती की पैदावार और राष्ट्रीय आय में जो भारी वृद्धि हुई है उसी के अनुरूप सामान्य आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकेगा। किन्तु, अनेक अप्रत्याशित प्रतिकूल घटनाओं के कारण यह आशा पूरी नहीं हुई। चालू वर्ष में, वर्षा के अभाव के अलावा, हमें अपनी सीमाओं पर युद्ध-स्थिति और विदेशी सहायता की रुकावट का सामना करना पड़ा और पड़ रहा है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि चालू वर्ष का जो बजट पिछले फरवरी महीने में पेश किया गया था उसमें थोड़े से सम्पूर्ण अधिशेष का अनुमान किया गया था। लेकिन, वर्ष के प्रारम्भिक भाग में ही यह स्पष्ट हो गया कि घाटे की वित्त-व्यवस्था से बचने के हमारे संकल्प की पूर्ति के लिए, राजस्व में वृद्धि करने के लिए अनुपूरक उपाय करने पड़ेंगे। तदनुसार, पिछले अगस्त महीने में जो अनुपूरक बजट पेश किया गया उस में चालू वित्त वर्ष के बाकी महीनों में 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति की व्यवस्था की गयी। उस के बाद से बजट सम्बन्धी सम्भावना बिगड़ गयी है। मौजूदा लक्षणों से यही जान पड़ता है कि चालू वर्ष में लगभग 165 करोड़ रुपये का भारी घाटा रहेगा। अनुपूरक बजट के प्रभाव को मिलाकर, मूल बजट के अनुमानों की तुलना में, राजस्व खाते में अब 53 करोड़ रुपये की कमी रहने की सम्भावना है। लेकिन, लगभग 112 करोड़ रुपये की भारी कमी सम्भवतः पूंजी खाते में रहेगी। हमारे पहले के अनुमानों के मुकाबले, राजस्व और पूंजी खाते में जो परिवर्तन होंगे, उनका ब्यौरा देकर मैं माननीय सदस्यों पर बोझ डालना नहीं चाहता। इसलिए, मैं केवल उन्हीं परिवर्तनों का जिक्र करूंगा जिनका भविष्य से कुछ सम्बन्ध है।

राजस्व के अन्तर्गत, आय कर और निगम (कारपोरेशन) कर की प्राप्तियों में अब 73 करोड़ रुपये की कमी रहने का अनुमान है। दूसरी ओर, सीमा शुल्क की प्राप्तियों में 31 करोड़ रुपये की वृद्धि और उत्पादन शुल्कों में 16 करोड़ रुपये की वृद्धि की सम्भावना है; इसलिए करों से होने वाली कुल प्राप्तियों में 26 करोड़ रुपये की कमी रहेगी।

जहां तक राजस्व खाते के व्यय का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि पिछले अगस्त महीने में हमारी सीमाओं पर जो लड़ाई छेड़ी गयी थी उस के कारण प्रतिरक्षा (बचाव) और सीमा-सुरक्षा का खर्च बढ़ाना आवश्यक हो गया है। राजस्व खाते के रक्षा सम्बन्धी व्यय में, पहले के अनुमानों की अपेक्षा, 20 करोड़ रुपये की वृद्धि, सीमा-सुरक्षा के लिए राज्यों को दिये जानेवाले अनुदानों में $6\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की वृद्धि और केन्द्र के लिए राज्यों द्वारा खड़े किये जाने वाले पुलिस बटालियनों के लिये की जाने वाली अदायगियों में $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है, जिस से इन तीनों मदों के कुल खर्च में 28 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी। राजस्व खाते में इन तथा अन्य परिवर्तनों का वास्तविक परिणाम यह होगा कि लगभग 335 करोड़ रुपये का राजस्व सम्बन्धी अनुमित अधिशेष (एस्टिमेटेड सरप्लस), अब घटकर 282 करोड़ रुपये रह जायगा।

पूंजी खाते की मुख्य बातें ये हैं कि विदेशी सहायता के सम्बन्ध में 43 करोड़ रुपये की कमी और राज्यों को दी जाने वाली ऋण-सहायता में 100 करोड़ रुपये की ऐसी रकम की वृद्धि होगी, जो चालू वर्ष में वसूल नहीं की जायगी। राज्यों की बजट-सम्बन्धी स्थिति सामान्यत: कमजोर होने के कारण और यह भी आवश्यक होने के कारण कि राज्य संकटकालीन आधार पर विशेष कृषि-कार्यक्रमों को हाथ में ले सकें, राज्यों को उनकी आयोजनाओं के लिए ऋणों के रूप में दी जानेवाली केन्द्रीय सहायता में 40 करोड़ रुपये की वृद्धि करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त, अनुमान है कि कुछ राज्यों की बजट-सम्बन्धी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष के दौरान उन्हें और भी 45 करोड़ रुपये के ऋण देने की आवश्यकता होगी। राज्यों को ऋणों के रूप में 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम रासायनिक खादों की खरीद और बंटवारे के लिए दी गयी। छोटी बचतों के सम्बन्ध में राज्यों को दिये जानेवाले ऋणों में 5 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इस बात की भी सम्भावना है कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों विशेषत: हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारतीय तेल निगम, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और नेवेली लिग-नाइट (भूरा कोयला) की आवश्यकताएं भी बढ़ जायं। दूसरी ओर, कई शीर्षकों के सम्बन्ध में पूंजीगत व्यय में कुछ बचत का अनुमान करने के लिए आधार है।

माननीय सदस्य देखेंगे कि पूंजी खाते की 112 करोड़ रुपये की वास्तविक कमी का असली कारण दो मुख्य बातें हैं, अर्थात् राज्यों को दी गयी अतिरिक्त ऋण-सहायता और विदेशी सहायता में कमी। संक्षेप में, केन्द्रीय कर-प्राप्तियों में हुई 26 करोड़ रुपये की कमी कुल कर-प्राप्तियों के $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत भाग से कम है। इसके अलावा, रक्षा और सीमा-सुरक्षा सम्बन्धी राजस्व-व्यय की वृद्धि भी उस स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए अधिक नहीं है जिसका सामना हमें करना पड़ा था। विदेशी सहायता में होनेवाली कमी स्पष्टत: एक ऐसी बात है जो प्राय: हमारे नियंत्रण से बाहर है। यदि राज्यों को दी जानेवाली ऋण-सहायता में 100 करोड़ रुपये की ऐसी रकम की वृद्धि न हुई होती, जो इस वर्ष वसूल नहीं की जा सकती, तो केन्द्रीय बजट में इस वर्ष कुल 65 करोड़ रुपये की कमी रहती। इतने पर भी, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात में मुझसे सहमत होंगे कि चालू वर्ष की घटनाएं चिन्ता का विषय हैं और उनके कारण यह आवश्यक हो जाता है कि बजट बनाने में और भी अधिक मात्रा में यथार्थता का सहारा लिया जाय और सभी प्रकार के व्यय को नियंत्रित रखने का और भी पक्का निश्चय किया जाय, चाहे वह व्यय राजस्व खाते का हो या पूंजी खाते का, आयोजना सम्बन्धी हो या आयोजना से पृथक्, केन्द्र द्वारा किया जाने वाला हो या राज्यों द्वारा।

मैं इस बात पर जितना भी जोर दूं वह कम ही होगा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति की कमजोरी और कुछ राज्यों की, रिजर्व बैंक से, अनधिकृत रूप से अपनी जमा से अधिक रकमें निकालने की प्रवृत्ति ऐसी बात हैं जिनका निवारण होना ही चाहिए। इन अधिक रकमों के शोधन का जो दायित्व हमने अब तक अपने ऊपर लिया है, उसके कारण केन्द्र की बजट-सम्बन्धी स्थिति पर दबाव पड़ता है। और इस दबाव का प्रभाव राज्यों की आयोजनाओं के सम्बन्ध में उनकी सहायता करने की, केन्द्र की क्षमता पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता। कुछ राज्यों द्वारा अनधिकृत रूप से अपनी जमा से अधिक रकमें निकाली जाने तथा घाटे के बजट बनाये जाने का असर अनिवार्य रूप से अन्य राज्यों पर भी पड़ता है, जो अधिक यथार्थता के आधार पर अपने कार्यों की व्यवस्था करने में अधिक समर्थ या उसके लिए अधिक इच्छुक होते हैं। अत: केन्द्र और सभी राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी बांट लें कि भविष्य में अनुशासन के सामान्य सिद्धान्तों का पालन किया जायगा और इस प्रकार घाटे के बजट बनाने जैसे बजट-सम्बन्धी असन्तोष-जनक कार्य करने और रिजर्व बैंक से अपनी जमा से अनधिकृत रूप से अधिक रकमें निकालने से बचा जायगा। योजना आयोग और राज्य सरकारों के परामर्श से इस समस्या की ओर तुरन्त ध्यान देने का हमारा विचार है, ताकि कुछ राज्यों के वित्तीय प्रबन्ध की वर्तमान असन्तोषजनक स्थिति का अन्त हो जाय।

भारत सरकार का, 1966-67 का बजट चालू वर्ष की बजट-सम्बन्धी उन बातों का विचार करके बनाना पड़ेगा जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। जैसा कि प्रारम्भ में बताया गया है, इसमें

[श्री शचींद्र चौधरी]

अर्थव्यवस्था की हाल की प्रवृत्तियों और रक्षा तथा विकास की जारी रहनेवाली आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ेगा। 1966-67 का वर्ष चौथी पंचवर्षीय आयोजना का पहला वर्ष है। इसलिए यह आवश्यक है कि 1966-67 का बजट चौथी पंच-वर्षीय आयोजना का समारम्भ इतना अच्छा कर जितना मुद्रा सम्बन्धी तथा मूल्य-सम्बन्धी अधिक स्थिरता लाने की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए किया जा सके। माननीय सदस्य इस बात को भी समझेंगे की यद्यपि हमारी नीति हमेशा यही रही है कि रक्षा-सम्बन्धी व्यय यथासम्भव कम से कम रखा जाय, ताकि जनता की भलाई के कामों के लिए अधिक से अधिक साधन सुरक्षित रहें, तो भी, शांति के उपासक होते हुए भी, राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में हम किसी तरह की असावधानी नहीं दिखा सकते।

माननीय सदस्यों को देश की आर्थिक स्थिति की बड़ी बड़ी बातें पहले ही से मालूम हैं। 1964-65 में कृषि उत्पादन में जो काफी वृद्धि हुई थी वह चालू वर्ष में खराब मौसम के कारण जारी न रह सकी। यद्यपि चालू वर्ष के कृषि-उत्पादन का ठीक-ठीक अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो भी यह स्पष्ट है कि अन्न की उपज में काफी कमी होगी और जूट, मेस्ता, तेलहनों, तम्बाकू, चाय और कपास जैसी वाणिज्यिक फसलों की उपज में भिन्न-भिन्न मात्राओं में कमी होगी। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि मैं इस अवसर पर मित्र देशों और अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाओं तथा विशेषत: संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और जनता के प्रति इस बात के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं कि वे हमें आवश्यकता के समय बड़े परिमाण में अन्न देने को सहमत हो गये हैं। पर यह सहायता मिलने पर भी, अगले वर्ष आवश्यक अन्न और खेती के कच्चे माल की उपलब्धि बहुत सीमित रहेगी। इस लिए सरकारी व्यय के मुद्राबाहुल्यकारी (इन्फ्लेशनरी) परिणाम को सीमित रखना इस समय जितना आवश्यक है उतना पहले कभी नहीं था।

चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि भी धीमी पड़ गयी है। 1965-66 की पहली छमाही में औद्योगिक उत्पादन में 1964-65 की इसी अवधि के मुकाबले 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पर अनुमान है कि चालू राजस्व-वर्ष की दूसरी छमाही में औद्योगिक उत्पादन में केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस प्रकार समूचे वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है। हम विकास के लिए लगातार जो प्रयत्न कर रहे हैं वे सफल हो रहे हैं। बहुत से उद्योगों में जैसे तैयार इस्पात, ऐल्यूमीनियम, इंजीनियरी-सम्बन्धी सामान और रासायनिक पदार्थों का उत्पादन करनेवाले उद्योगों की क्षमता बराबर बढ़ती जा रही है और आशा की जा सकती है कि अगले वर्ष उसमें और भी वृद्धि होगी। दूसरी ओर, देश में कच्चे माल की कमी होने और इस कमी को अधिक आयात करके पूरा करने में हमारे असमर्थ होने के कारण हाल के महीनों में औद्योगिक उत्पादन में बहुत सुस्ती आ गयी है।

सतही तौर पर देखने से ऐसा लग सकता है कि हमारी शोधन-सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति में चालू राजस्व वर्ष में कुछ सुधार हुआ है। उदाहरणार्थ, 1964-65 में हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में 72 करोड़ रुपये की कमी हुई। इसके विपरीत, हमारे लिए यह सम्भव हो सकता है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से 11.9 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम निकाल कर 1965-66 में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में कोई कमी न होने दें। पर आयात-नीति को बहुत अधिक प्रतिबन्ध-मूलक बनाकर हम अपनी प्रारक्षित निधि में, जो पहले ही कम हो गयी है, चालू वष में और अधिक कमी को रोक सके हैं। चालू वर्ष में, अर्थ-व्यवस्था को संभाले रखने के लिए किये जाने वाले आयात के लिए नये लाइसेंस बहुत सीमित आधार पर दिये गये हैं; और औद्योगिक उत्पादन पर इसका असर, इस बात के बावजूद पड़ने लगा है कि देश में उपलब्ध आयातित माल और पुर्जों में बहुत कमी हो रही है।

अगले महीनों में अन्न और खेती के कच्चे माल के अनिवार्य आयात की हमारी आवश्यकताएं सूखा पड़ने के कारण बढ़ जायेगी। कृषि-उत्पादन में कमी होने के कारण कुछ कृषि-पदार्थों के निर्यात

को बनाये रखना भी पहले से अधिक कठिन होगा। यद्यपि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति कि न रही है और आने वाले महीनों में भी सम्भवतः ऐसी ही रहेगी, तो भी मैं समझता हूं कि हमारे आयात पर लगे हुए प्रतिबन्धों को और अधिक कड़ा करने से या उनकी वर्तमान तीव्रता को बनाये रखने से भी हमारे उद्देश्य की पूर्ति में बाधा पड़ेगी। हमें वास्तव में जिस बात की आवश्यकता है वह यही कि अगले महीनों में अर्थव्यवस्था को संभाले रखने के लिए काफी अधिक परिमाण में आयात किया जाय, ताकि देश में उपलब्ध सामान की मात्रा को बढ़ाकर उसे सामान्य स्तर तक पहुंचाया जा सके और जो उत्पादन-क्षमता प्राप्त कर ली गयी है उसका यथासम्भव पूरा पूरा उपयोग किया जाय। अधिक उदार आयात-नीति के आधार पर ही हम निकट भविष्य में औद्योगिक उत्पादन को अधिक गतिशील बना सकते हैं और व्यापक कार्यकुशलता की ओर अधिक ध्यान दे सकते हैं। इस समय हमारी जो स्थिति है उसमें हमारे लिए यह सम्भव नहीं कि हम पर्याप्त विदेशी सहायता प्राप्त किये बिना कच्चे माल और पुर्जों के आवश्यक आयात के लिए अधिक उदारतापूर्वक लाइसेंस दें। पर माननीय सदस्य विश्वास रखें कि सरकार अपने वर्तमान आयात-प्रतिबन्धों की तीव्रता कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और मित्र देशों की सरकारों का सहयोग प्राप्त करने का निरन्तर प्रयत्न करेगी।

फिर भी, लम्बी अवधि में, आयात को सन्तोषजनक स्तरों पर बनाये रखने और ऋण-परिशोध सम्बन्धी देनदारियों जैसी विदेशी देनदारियों को पूरा करने की हमारी क्षमता आवश्यक रूप से हमारे उन प्रयत्नों पर ही अधिकाधिक निर्भर रहेगी जो हम अपना निर्यात बढ़ाकर ही नहीं, बल्कि पर्यटन, प्रषणाओं (रेमिटेंसेज), जहाजरानी और इस प्रकार के अन्य स्रोतों से होनेवाली अदृश्य (इनविजिबुल) प्राप्तियों को भी बढ़ाकर अपनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति बढ़ाने के लिए करेंगे। तीसरी आयोजना की अवधि के पहले तीन वर्षों में हमारे निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई, जो इस कारण अधिक सन्तोषजनक रही कि वह, देश में उत्पादन की वृद्धि आशा के अनुरूप न होने पर भी, हुई। पर पिछले दो वर्षों में निर्यात में ऐसी वृद्धि नहीं हुई; और निकट भविष्य में हमें इस स्पष्ट सम्भावना का सामना करना है कि हमारे कुछ कृषि-पदार्थों के निर्यात पर सूखे का बुरा असर पड़ सकता है।

बुनियादी बात यह है हम सब क्षेत्रों में उत्पादन और कार्यकुशलता को बढ़ाये बिना और देश में सामान्य मुद्राबाहुल्यकारी (इन्फ्लेशनरी) दबाव को रोके बिना, निर्यात करने के अपने प्रयत्नों को लगातार जोरदार नहीं बनाये रख सकते। जहां निर्यात से होनेवाली आय की वृद्धि तथा समुचित विकास के लिए इन दिशाओं में लगातार प्रयत्न करना आवश्यक है, वहां हमने निर्यात बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन देने के लिए भी बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं। इस वर्ष लागू की गयी कर-जमा-पत्र (टक्स क्रडिट सर्टिफिकेट) योजनाएं और आयात-अधिकार (इम्पोर्ट एण्ट इ-टिलमेंट) योजनाएं, जो कुछ समय से अमल में हैं, उन प्रोत्साहन के उदाहरण हैं जो हम इस समय निर्यात बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। अभी हाल में हमने राष्ट्रीय रक्षा प्रषण (नेशनल डिफेंस रेमिटेंस) योजना जारी की है और यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस योजना का स्वागत उत्साह-वर्धक रहा है। इसे देखते हुए ही, इस योजना की अवधि और तीन महीने के लिए बढ़ा दी गयी है, यद्यपि लाभ के अनुपात को, जो योजना में निहित है, कम करने के लिए एक बार फिर विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हमने अपनी आवश्यकताओं और अनुभव के आधार पर निर्यात-प्रोत्साहन के जो उपाय किये हैं हम उनकी समीक्षा, संशोधन और विस्तार करते रहेंगे, ताकि वे जोरदार प्रयत्न के लिए प्रबल, स्थिर और व्यापक आधार प्रस्तुत करते रहें।

सर्वोत्तम इच्छाशक्ति के होते हुए और शक्तिभर अधिकतम प्रयत्न करने पर भी हम अब भी निकट भविष्य में विदेशी सहायता के बिना काम नहीं चला सकते। भारत में हमने हमेशा ही यह माना है कि विदेशी सहायता, अधिक से अधिक आन्तरिक (देशी) और बाह्य (विदेशी) साधन जटाने के, हमारे निजी प्रयत्नों को अनुपूर्ति ही कर सकती है। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र हमेशा के लिए यह नहीं मान सकता कि बाहरी सहायता उसके अपने ही उचित प्रयत्न का विकल्प

[श्री शचीन्द्र चौधरी]

[सब्स्टीच्यूट] या उसकी अर्थ-व्यवस्था की स्थायी विशेषता है : यह भी स्वाभाविक और अनिवार्य है कि हमें सहायता देने की हमारे विदेशी मित्रों की इच्छा इस विश्वास पर निर्भर होगी कि अपनी समस्याओं का सामना करने और जो सहायता हमें प्राप्त होगी उसका सर्वोत्तम उपयोग करने की क्षमता हम में है। केवल इसी तरह हम यह आशा कर सकते हैं कि असाधारण ढंग की जो विदेशी सहायता हमें मिल रही है उसके बिना, जल्दी ही, हम अपना काम चला सकेंगे। हमें आशा है कि विश्व बैंक के नेतृत्व में संगठित सहायता संघ [कंसार्शियम], उसी रचनात्मक ढंग से हमारी चौथी आयोजना के लिए भी बाहरी सहायता जुटाने का काम करेगा जिस ढंग से उसने हमारी दूसरी और खासकर तीसरी आयोजना के लिए किया था। इस के साथ ही, माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि स्वयं आयोजना और आयोजना के समर्थन में हमारी नीतियां न सिर्फ ऐसी होनी चाहिए, जो विकास के उचित लक्ष्यों के साथ मेल खाती हों, बल्कि ऐसी, जो अपनी शक्ति और साधनों पर भरोसा करने के हमारे और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ भी मेल खाती हों।

इस सम्बन्ध में, मैं खास तौर से यह कहूंगा कि अन्न और खेती की दूसरी चीजों को बाहर से मंगाने के मामले में, हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के पी० एल० 480 काय म के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता पर निर्भर रहने की आवश्यकता में कमी करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि चौथी पंच-वर्षीय आयोजना की अवधि में खेती की पैदावार में काफी वद्धि करने के लिए हम जो व्यवस्था कर रहे हैं उस पर विचार करने का माननीय सदस्यों को पूरा अवसर मिलेगा। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि हमारी बजट सम्बन्धी स्थिति भी पी०एल० 480 के अन्तर्गत, कृषि-वस्तुओं के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहने लगी है। सम्भवतः, हम पी०एल० 480 के लेन-देन के कारण बजट की विशाल साधन-वृद्धि को खेती के मोर्चे पर, अपनी कठिनाइयों के आकस्मिक प्रतिरूप के सिवा और कुछ नहीं मान सकते। इस तथ्य से कि अपने बजट साधनों की पूर्ति के लिए आज हम पी०एल० 480 के कार्यक्रम पर इतना अधिक निर्भर हैं, एक बार फिर इसी बात की पुष्टि होती है कि सरकारी खर्च के सम्बन्ध में सतर्कता से काम लेने और साथ ही देश के अन्दर और अधिक साधन जुटाने के लिए इस सम्भव उपाय करने की आवश्यकता है।

अतिरिक्त आन्तरिक साधन जुटाने की सम्भावना स्वयं भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास और गतिशीलता पर अधिक से अधिक निर्भर होगी। इसलिए, इसकी ओर हम चाहे जिस ओर से देखें, यह बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि खेती और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाकर, आर्थिक-क्षेत्र के क्रियाकलाप में सुधार करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से मैं गैर-सरकारी क्षेत्र के आत्मविश्वास को सुदृढ़ और स्थिर रखने और साथ ही सरकारी उद्योग-धन्धों के अपने बढ़ते हुए परिवार के पहले से अधिक कुशलतापूर्ण कार्य और प्रबन्ध को महत्व देता हूं। मेरे लिए, पूंजी बाजार की अस्वस्थता के सम्बन्ध में, जो पिछले तीन साल से, जारी है, विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि हमने वित्तीय संस्थाओं द्वारा पहले से अधिक सहायता दिलवाकर, गैर-सरकारी उद्योग धन्धों की निवेश सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने का यत्न किया है, फिर भी इस में तनिक भी सन्देह नहीं कि पूंजी बाजार का पुनरुद्धार और सामान्य शेयरों के रूप में उद्योग-धन्धों में व्यक्तिगत (प्राइवेट) बचतों का लगाया जाना समाज के विस्तृत हितसाधन के लिए वांछनीय है। जो लोक-तंत्रीय समाज सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में शीघ्रतापूर्ण विकास चाहता है और यह नहीं चाहता कि सम्पत्ति और आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण हो उसके लिए यह और भी अधिक उचित है कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग-धन्धों में अधिक से अधिक पूंजी लगाये। ऐसी स्थिति में गैर-सरकारी उद्योग धन्धों का विकास, समाज के विभिन्न वर्गों के अधिक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य शेयरों की खरीद पर निर्भर होना चाहिये। सामान्य शेयरों की खरीद में और भी ज्यादा हिस्सा लिये जाने से गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योग धन्धों की प्रबन्ध-व्यवस्था पर और भी कड़ा नियंत्रण रखने में सुविधा हो सकेगी।

इस बात के बावजूद कि माल और सेवाओं की उपलब्धि (सप्लाई) की तुलना में मुद्रा की उपलब्धि में कहीं अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है, मुद्रा के क्षेत्र में, अभी हाल तक भारी तंगी रही है। बजट क्षेत्र की उन बातों को देखते हुए जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मुद्रा-उपलब्धि की गति उस गति से तेज रही है जिसकी कल्पना की गयी थी। लेकिन स्पष्ट है कि एक साथ ही मद्रा की तंगी और मुद्रा उपलब्धि में तेजी से वृ।द्ध इस बात को प्रकट करती है कि वास्तविक बचतों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है और शायद इनका कुछ हिस्सा इस ढंग के निवेशों (इन्वेस्टमेंट) में चला गया है जो कम वांछनीय हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तेज गति से हमने मुद्रा-उपलब्धि को बढ़ाया है उसे आगे भी जारी रख कर हम मुद्रा की तंगी दूर नही कर सकते। ऐसा करने से देश में केवल मुद्रा-बाहुल्य की स्थिति को बढ़ावा मिलेगा। माननीय सदस्यों को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि देश के सामान्य मल्य-स्तर में जनवरी 1966 में समाप्त 12 महीनों में 7.6 प्रति शत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि रिजर्व बैंक, उत्पादन के स्तरों को और भी ऊंचा करने की दष्टि से ऋणों की उचित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मुद्रा-नीति के साधनों का प्रयोग लचीलेपन के साथ करता रहेगा, फिर भी हमें इस बात को सुनिश्चित कर लेना होगा कि वास्तविक का ों के लिए ऋण का विस्तार, ज्यादातर जमा रकमों की वृद्धि के आधार पर और कम वांछनीय सामाजिक उद्देश्यों के लिए होने वाले ऋण-विस्तार को निरुत्साहित करके किया जाय। निश्चय ही, इन बातों के अलावा भी, इस बात को सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बैंक उन्हीं उद्देश्यों के लिए पैसा उधार द, जो सामाजिक दृष्टि से वांछनीय हों, जैसे कि विभिन्न कोटि के उत्पादकों को पहले के बनिस्बत अधिक आर्थिक अवसर प्रदान करना और सम्पत्ति तथा आर्थिक प्रभाव के अनुचित केन्द्रीयकरण को रोकना।

अब मैं उन मुख्य बातों को संक्षेप में बताऊंगा जिन्हें--उन घटनाओं के प्रकाश में, जिनका उल्लेख मैं कर चुका हूं--अगले साल का बजट तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है। पहली और सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि बजट ऐसा होना चाहिए जिस से उत्पादन को बढ़ावा मिले और बचतों को और अधिक महत्व देने के लिए पहले से अच्छा मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार हो सके। दूसरी बात यह कि यद्यपि अर्थ-व्यवस्था से पहले की बनिस्बत और भी अच्छा काम लेने की दृष्टि से जारी निवेशों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता को भी पूरा किया जाना चाहिए, पर सरकारी खर्च को, खासकर उस खर्च को, जो सामान्य प्रशासन और लम्बे अरसे में फल देनेवाली विकास की नयी योजनाओं पर किया जाय, नियंत्रित करने के लिए भी, हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए। जिन प्रतिबन्धों का मैंने अभी उल्लेख किया है उनकी दृष्टि से यह कहना उचित होगा कि इस सरकार का इरादा है कि प्रगति को स्थिर आधार पर लाया जाय और सरकारी क्षेत्र में उन उद्योग-धन्धों को बढ़ावा दिया जाय जिन से देश को लाभ हो। इस प्रकार का एक उद्योग बोकारो का इस्पात कारखाना है, जो सोवियत समाज-वादी जनतंत्र संघ की सहायता से स्थापित किया जाना है। मैंने राजस्व और पूंजी खाते की प्राप्तियों का अनुमान भी यथासम्भव अधिक से अधिक वास्तविक आधार पर लगाने का यत्न किया है।

अब मैं अगले वर्ष के राजस्व खाते के खर्च के अनुमानों का जिक्र करूंगा। माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि कुछ वृद्धियां इस अर्थ में प्राय: स्वचालित होती हैं कि वे उन निर्णयों का परिणाम होती हैं जो पहले ही किये जा चुके हैं या जो संविधानी दायित्वों का परिणाम होती हैं। उदाहरण के लिए, चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्यों को किये जाने वाले अन्तरणों के कारण, संविधिक अनुदानों के अन्तर्गत व्यय में 77 करोड़ रुपये की वृद्धि और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में से राज्यों के हिस्से के अन्तर्गत 67 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। ऋण चुकाने के खर्च में 42 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और निर्यात प्रोत्साहन व्यवस्था तथा कर-जमा सम्बन्धी जो विभिन्न योजनाएं अभी ही अपनायी जा चुकी हैं उनके कारण व्यय में 24 करोड़ रुपये की और भी वृद्धि होगी। यदि इन विशेष मदों और अपने आप सन्तुलित होने वाली (सेल्फ बैलंसिंग) कुछ मदों, जैसे पी०एल० 480 के अनुदानों, संकटकालीन जोखिम बीमा योजना (इमर्जेन्सी रिस्क इंश्योरेंस स्कीम) और पूंजीगत

[श्री शचीद्र चौधरी]

अनुदानों के पुरांकन (राइट बैक) को छोड़ दिया जाय, तो अगले वर्ष राजस्व-व्यय में केवल 46 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखायी देगी। यद्यपि राजस्व खाते के आयोजना सम्बन्धी व्यय में 36 करोड़ रुपये की कमी हुई है, वद्धियों का कारण यह है कि रक्षा सेवाओं के अन्तर्गत 29 करोड़ रुपये की वृद्धि, पुलिस के अन्तर्गत, मुख्यत: सीमा-सुरक्षा की आवश्यकता ों के कारण $14\frac{1}{2}$ करोड रुपये की वृद्धि और सूखा-पीड़ितों की सहायता के अनुदानों के अन्तर्गत $11\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है तथा 6 करोड़ रुपया संघीय राज्य क्षेत्रों को उनके बजट सम्बन्धी घाटों को पूरा करने के लिए दिया जाना है। अगले वर्ष, पुलिस को छोड़ कर, खास प्रशासनिक सेवाओं पर 99 करोड़ रुपया खर्च होगा, जबकि इस वर्ष 93 करोड़ रुपया और पिछले साल 83 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। अगले वर्ष 6 करोड़ रुपये की वृद्धि में अगले वर्ष के निर्वाचन व्यय का $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया शामिल है। राजसहायता (सबसीडीज़) और सहायता (एड) के अन्तर्गत 18 करोड़ रुपये की जो कमी हुई है उसे छोड़ कर, राजस्व खाते के खर्च की शेष वृद्धि अधिकतर गैर-आयोजना के विकास सम्बन्धी शीर्षकों के अन्तर्गत हुई है और उसमें तीसरी पंच-वर्षीय आयोजना की उन योजनाओं का वचनबद्ध व्यय शामिल है, जो पूरी हो चुकी हैं। माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि जिन छोटी छोटी वृद्धियों का मैंने अभी जिक्र किया है उनके कारण मितव्ययता और संयम से काम लेने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। अधिकांश वृद्धियां अनिवार्य व्यय या रक्षा-व्यय और सीमा-सुरक्षा जसी मदों के सम्बन्ध में हैं जिन्हें उन परिस्थितियों में जिनका हमें सामना करना है, नितान्त आवश्यक समझे जाने के सिवा और कुछ नहीं समझा जा सकता।

अपने आप सन्तुलित होने वाली कुछ मदों को हिसाब में न लेने पर, चाल वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में अगले वर्ष के राजस्व में 191 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखा ी देगी। सीमा-शुल्कों से मुख्यत: इस कारण 29 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है कि शुल्कों में जो वृद्धियां की गयी हैं उनसे अब पूरे वर्ष प्राप्तियां होती रहेंगी। उत्पादन शुल्कों की प्राप्तियों में, मुख्यत: उत्पादन बढ़ने और नयी रिफाइनरियों से पेट्रोलियम की चीजों की निकासी और सीमेंट तथा लोहे और इस्पात का पहले से अधिक उत्पादन होने से, 108 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है। इस वर्ष के अनुभव और इस बात पर विचार करते हुए कि चालू वर्ष की प्राप्तियों में कर का काफी बड़ा भाग ऐसा है, जो अपनी इच्छा से घोषणा करने (वोलंटरी डिस्क्लोजर) के कारण प्राप्त हुआ है, मैंने यह मान लिया है कि निगम और आय करों में अगले वर्ष केवल 20 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

मैंने जिन बातों का उल्लेख किया है उन्हें, और कई अन्य विविध मदों को ध्यान में रखते हुए, करों के वर्तमान स्तरों के आधार पर अगले वर्ष कुल 2617 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति और राजस्व खाते से 2407 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। इस तरह, राजस्व खाते का अगले वर्ष का 210 करोड़ रुपये का अधिशेष चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 72 करोड़ रुपया कम रहेगा।

पूंजी खाते में, अगले वर्ष के लिये मैंने विदेशी ऋणों के 460 करोड़ रुपये रखे हैं, जबकि चालू वर्ष में वे 490 करोड़ रुपये थे। इस में पी०एल० 480 निधियों की नयी वृद्धि का 230 करोड़ रुपया शामिल नहीं है। बाजार ऋणों की रकम 280 करोड़ रुपया रखी गयी है जो प्राय: चालू वर्ष की रकम के बराबर ही है। पर, चूंकि अगले साल ऋणों की वापसी की रकम काफी बड़ी है, इसलिये अगले साल की बाजार ऋणों की 86 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम चालू साल की रकम से 22 करोड़ रुपया कम होगी। इसलिए मझे आशा है कि रिजर्व बैंक से पूरे साल कोई खास सहायता लिये बग़ैर, अगले साल बाजार से ऋण लेने का लक्ष्य पूरा हो जायगा। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले अक्टूबर महीने के बाद से हमने आवश्यकता होने पर प्राप्त होने वाले आपातिक (इमर्जेन्सी) बाजार ऋण जारी किये हैं। अब चूंकि अगले साल के लिए बाजार से समेकित रूप से ऋण लेने के कार्यक्रम का प्रस्ताव है, इसलिए आवश्यकता होने पर प्राप्त किये जाने वाले आपातिक ऋणों को अगले मार्च महीने की समाप्ति पर बन्द कर दिया जायगा।

छोटी बचतों और वार्षिकी जमा-पत्रों (एनुइटी डिपाजिट्स) के सम्बन्ध में भी मैंने चालू साल की प्रत्याशित प्राप्ति की तुलना में वास्तविक वृद्धि नहीं दिखलायी। ऋणों की वापसी, विविध, ऋण और जमा शीर्षकों की प्राप्तियों और 210 करोड़ रुपये के राजस्व-अधिशेष को हिसाब में लेने पर, अगले वर्ष आयोजना और गैर-आयोजना सम्बन्धी कुल पूंजी परिव्यय (केपिटल आउटले) के लिए जो कुल बजट-साधन दिखायी देते हैं उन की रकम 1835 करोड़ रुपये तक पहुंचेगी।

मैंने इस बात पर विचार किया है कि क्या अगले वर्ष के पूंजी-परिव्यय की उन्हीं सीमाओं के अन्दर नहीं रखा जा सकता, जो दृष्टिगत साधनों द्वारा, जिनका जिक्र मैंने अभी ही किया है, निर्दिष्ट कर दी गयी हैं। दुर्भाग्य से, यद्यपि अगले वर्ष के कुल पूंजी परिव्यय में—जिसमें पी०एल० 480 के ऋणों और ऋण सम्बन्धी वितरणों का सांकेतिक समायोजन (नेशनल एडजस्टमेण्ट) शामिल नहीं है—चालू वर्ष के स्तर की अपेक्षा काफी कमी दिखायी देगी, फिर भी परिव्ययों को दृष्टिगत साधनों द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अन्दर ही रखना सम्भव नहीं होगा। यहां भी, ऐसी कई मदें हैं, जैसे कि ऋणों की अदायगियां, जहां परिव्यय की वृद्धि से बचा नहीं जा सकता। अगले वर्ष 314 करोड़ रुपये के ऋणों की वापसी की जायगी, यह रकम चालू वर्ष की रकम से 45 करोड़ रुपया अधिक है। यद्यपि अगले वर्ष के रक्षा-सम्बन्धी पूंजी-परिव्यय में प्रायः कोई वृद्धि नहीं होगी, फिर भी रासायनिक खादों, बीजों और हानिकर जीवों को नष्ट करने की दवाएं खरीदने और बांटने के लिए ऋण देने के लिए 20 करोड़ रुपये की और सूखा-पीड़ितों की सहायता के लिए 12 करोड़ रुपये के ऋण देने की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। वित्तीय संस्थाओं का अंशदान देने की व्यवस्था में भी $7\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

आयोजना सम्बन्धी उन योजनाओं को शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए भी जिन पर काम हो रहा है, खर्च की व्यवस्था करनी पड़गी, खासकर उस स्थिति में जब उनकी आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की जा चुकी है। अगले वर्ष के लिए जिन महत्वपूर्ण वृद्धियों का प्रस्ताव है उन में से कुछ का सम्बन्ध बोकारो के इस्पात के कारखाने और परमाणु शक्ति (एटामिक इनर्जी) से है जिन के लिए क्रमशः 13 करोड़ रुपया और 18 करोड़ रुपया अधिक निर्धारित किया गया है। दूसरी ओर, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों को ऋणों के रूप में दी जाने वाली आयोजना सम्बन्धी सहायता में 135 करोड़ रुपये की कमी और रेलों के पूंजी-परिव्यय में 59 करोड़ रुपय की कमी कर दी गयी है। लेखा-जोखा मिलाने पर, और कई विविध मदों को हिसाब में लेने के बाद, अगले वर्ष ऋणों की राशि के वितरण और ऋणों की अदायगी (वापसी) को मिलाकर कुल पूंजी-परिव्यय की राशि 1952 करोड़ रुपया होगी और इस प्रकार चालू वर्ष की तुलना में अगले साल 296 करोड़ रुपये की कमी दिखायी देगी।

पूंजी-परिव्यय के रूप में केन्द्र और राज्य अगले वर्ष अनुमानतः 2081 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, अर्थात् चालू वर्ष के बजट आयोजना परिव्यय के 2225 करोड़ रुपये से 144 करोड़ रुपया कम। नागालैण्ड की आयोजना को छोड़कर, राज्यों की आयोजनाओं पर 926 करोड़ रुपया और केन्द्रीय आयोजना पर 1155 करोड़ रुपया खर्च होगा। जहां तक राज्यों के परिव्यय का प्रश्न है 505 करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता से दिया जायगा और 421 करोड़ रुपया सम्बद्ध राज्यों के साधनों से। केन्द्रीय आयोजनाओं के लिए 189 करोड़ रुपये तक की रकम रेलों के आन्तरिक साधनों, डाक और तार विभाग, हिन्दुस्तान-स्टील, भारतीय तेल निगम (इण्डियन आयल कारपोरेशन), तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (आयल ऐण्ड नेचरल गैस कमिशन) और सरकारी क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठानों के साधनों से प्राप्त होगी, जिनमें विदेशी मुद्रा साधन भी सम्मिलित हैं, जो सीधे इन्हीं के द्वारा जुटाये जायेंगे। 1471 करोड़ रुपये की बाकी रकम के लिए, जिसमें राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता का 505 करोड़ रुपया, संघीय राज्य क्षेत्रों को देने के लिए 56 करोड़ रुपया और नागालैण्ड को देने के लिए 4 करोड़ रुपया तथा राजस्व खाते से, केन्द्रीय आयोजना के लिए दिया जाने वाला 143 करोड़ रुपया शामिल है, बजट में व्यवस्था कर दी गयी है।

[श्री शचींद्र चौधरी]

विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत, आयोजना-परिव्यय के वितरण में उस उच्च प्राथमिकता का ध्यान रखा गया है, जो आजकी स्थिति में कृषि-विकास के शीघ्र फल देने वाले कार्यक्रमों और अपूर्ण प्रायोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए दी जानी चाहिए। कुछ सीमा तक, अगले वर्ष के आयोजना-परिव्यय से चालू वर्ष की आयोजना-व्यवस्था (प्रावीजन) की तुलना करना इस अर्थ में भ्रामक है कि किसी भी आयोजना अवधि में, आयोजना में सम्मिलित किये गये परिव्यय का एक भाग वचनबद्ध हो जाता है और अगली आयोजना-अवधि के प्रारंभ से वह गैर-आयोजना परिव्यय समझा जाने लगता है। ऐसा होते हुए भी, इस बात से इंन्कार नहीं किया जा सकता कि बजट सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण यह आवश्यक हो गया है कि अगले वर्ष आयोजना और गैर-आयोजना दोनों के खर्च के सम्बन्ध में बहुत अधिक सावधानी से काम लिया जाय। दिखायी देनेवाले साधनों और केन्द्र के बजट में व्यय के लिए की गयी उस कुल व्यवस्था के बीच, जिसका मैं अभी उल्लेख करूंगा, जो अन्तर है उस पर इसी दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए।

प्रचलित शब्दावली में, अगले वर्ष की सम्पूर्ण बजट-स्थिति का सारांश यह है : राजस्व खाते में 210 करोड़ रुपये का अधिशेष रहेगा। पूंजी खाते से, पी०एल० 480 के ऋणों के सांकेतिक समायोजन को छोड़ कर, कुल 1952 करोड़ रुपये का वितरण किया जायगा। इसे, राजस्व-अधिशेष के अलावा, 744 करोड़ रुपये के देशी और विदेशी ऋणों, छोटी बचतों के 135 करोड़ रुपये के संग्रह पी०एल० 480 की निधि में 230 करोड़ रुपये की नयी जमा रकमों, 44 करोड़ रुपये की वार्षिक (एनुइटी) जमा-पत्रों की रकमों, 370 करोड़ रुपये की ऋणों की वापसी और "विविध ऋण और जमा" शीर्षकों के अन्तर्गत 102 करोड़ रुपये की प्राप्तियों से पूरा किया जायगा, जिससे बजट में कुल 117 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा।

जो कुछ मैंने पहले कहा है उसे देखते हुए माननीय सदस्य समझ गये होंगे कि मेरी उत्कट इच्छा रही है कि राजस्व खाते के व्यय और पूंजी खाते के परिव्यय (आउटले) को उपलब्ध साधनों की सीमा में रखने की सरल प्रणाली द्वारा घाटे से बचा जाय। मैंने इस सम्भावना की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया है। राजस्व खाते के व्यय को कम रखा गया है। लेकिन, जहां तक आयोजना सम्बन्धी खर्चों का सम्बन्ध है, अत्यावश्यक और उत्पादनकारी विकास के लिए जो भी आवश्यक है उसके लिए व्यवस्था करना जरूरी है, खासकर खेती और उन योजनाओं के लिए जो चल रही हैं। इस उद्देश्य के साथ संगति बिठाने के लिए आयोजना के खर्चों को भी कम से कम रखा गया है। और अधिक कमी करने से खेती की पैदावार में रुकावट आयेगी और अर्थव्यवस्था का विकास खतरे में पड़ जायगा।

इस लिए, मेरे लिए आवश्यक है कि अतिरिक्त साधन जुटाकर घाटे को पूरा करूं। यह काम मैंने ऐसे तरीकों से करने का यत्न किया है जिनसे कम से कम गड़बड़ी और कठिनाई पैदा होती है और अधिक से अधिक सरलता सुनिश्चित हो जाती है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछला बजट पेश करते हुए मेरे पुर्ववर्ती वित्त मंत्री ने, व्यवस्थित विकास के लिए आशाओं का उपयुक्त वातावरण तैयार करने की दृष्टि से, करों के ढांचे में स्थायित्व और सरलता लाने के महत्व पर जोर दिया था। पिछले अगस्त महीने में जो अनुपूरक बजट पेश किया गया उस के द्वारा इस प्रक्रिया को एक कदम आगे बढ़ाया गया, खासकर आयात शुल्कों को युक्तिसंगत आधार पर लाने के लिए। अतिरिक्त साधन जुटाने के उपायों का प्रस्ताव करते हुए मैंने इन बुनियादी उद्देश्यों का बहुत ध्यान रखा है। ऐसा करते हुए भी, मैंने कई परिवर्तनों और राहतों का प्रस्ताव रख कर, सरलीकरण की इस प्रक्रिया को एक कदम और आगे ले जाने का यत्न किया है। अब मैं अपने प्रस्तावों को विस्तार से स्पष्ट करूंगा।

मैं पहले अप्रत्यक्ष करों को ले रहा हूं और मेरा प्रस्ताव है कि सीमा-शुल्क (कस्टम्स ड्यूटीज) को यों ही छोड़ दिया जाय, क्योंकि उन्हें कुछ महीने पहले ही युक्तिसंगत आधार पर लाकर बढ़ाया गया था। फिर भी, मेरा प्रस्ताव है कि कुछ चीजों पर लगने वाले उत्पादन शुल्कों में वृद्धि की जाय,

और यह सिर्फ राजस्व में वृद्धि करने के खयाल से ही नहीं, बल्कि उन मामलों में खपत को नियंत्रित करने के लिए भी, जहां कठिनाइयों को बहुत ज्यादा बढ़ाये बगैर ऐसा किया जा सकता है और निर्यात योग्य वस्तुओं के अधिशेष (सर्प्लस) को बढ़ाने के लिए भी। दो नयी चीजों, अर्थात् प्रकाशकीय विरंजक पदार्थों (आप्टिकल ब्लीचिंग एजेण्ट्स) और कृत्रिम प्रक्षालकों (सिंथेटिक डिटजण्ट्स) पर पहली बार शुल्क लगाया जायगा।

दानेदार चीनी का उत्पादन शुल्क प्रति क्विंटल 28.65 से बढ़ाकर 37 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया जायगा। इसी हिसाब से खांडसारी के शुल्क में भी वृद्धि कर दी जायगी। दोनों से 21.93 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति होगी। यह ठीक है कि इस शुल्क का सारा बोझ उपभोक्ता (कंज्यूमर) पर पड़गा, तो भी दानेदार चीनी के सम्बन्ध में यह भार प्रति किलोग्राम 8 से 9 पैसे ही होगा। चूंकि आशा है कि मांग पूरी करने के लिए चीनी काफी परिमाण में मिल सकेगी, इसलिए कुछ ऐसी सम्भावना भी है कि शुल्क का सारा बोझ शायद उपभोक्ता पर न पड़े।

सिगार और सिगारटों के शुल्क में और साथ ही सिगरट व पाइप का मिलावां (मिक्श्चर) तम्बाकू तयार करने के काम आने वाले अनिर्मित तम्बाकू के शुल्क में भी लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी जायगी। इन वृद्धियों से 9.01 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है। इस वृद्धि का भार कीमती सिगरटों के हर पकेट पर लगभग 5 पैसे और इनकी बनिस्बत सस्ते सिगरटों के हर पैकेट पर 1 से 2 पैसे होगा।

उस डीजल आइल (तेल) के उत्पादन शुल्क में, जिसका और तरह से उल्लेख न हो, जैसे कि हलका डीजल, 60 रुपये प्रति किलो लिटर की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, ताकि यह भी उन शुल्कों के स्तर पर आ जाय, जो पेट्रोलियम की दूसरी चीजों पर लगे हुए ह ताकि अवांछनीय मिलावटों से बचा जा सके। अनुमान है कि इससे 5.35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

कपड़े की उन बारीक किस्मों की खपत कम करने के लिए, जिन के लिए विदेशी रूई की जरूरत पड़ती है, मैं सूती धागे और सूती कपड़े के शुल्कों में, छंटाई के आधार पर, वृद्धि करना चाहता हूं। मोटे काउंट (सूत्रांक) के धागे के शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। जहां तक कपड़े का सम्बन्ध है, यह वृद्धि केवल परिष्कृत (प्रोसेस्ड) कपड़े के सम्बन्ध में की जायगी, जैसे कि रेशम सी चिकनी (मर्सराइज्ड), न सिकुड़नेवाली और अरगण्डी जैसी किस्मों के कपड़े के सम्बन्ध में। अनुमान है कि धागे के शुल्क में वृद्धि होने से 7.23 करोड़ रुपये और कपड़े के शुल्क में वृद्धि होने से 6.3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसी तरह रेयन और कृत्रिम धागे के शुल्कों में भी थोड़ी वृद्धि की जा रही है जिससे 50 लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

कुछ दूसरी मदों, जैसे कि सोडियम सिलिकेट और कार्बन डाइ-आक्साइड के उत्पादन शुल्कों में भी वृद्धि की जा रही है और कागज के गत्तों के सम्बन्ध में खण्ड प्रणाली के आधार पर दी जानेवाली रियायतों में कमी की जा रही है। अनुमान है कि इन तीनों मदों से 1.46 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। प्रकाशकीय विरंजक पदार्थों (आप्टिकल ब्लीचिंग एजेण्ट्स) और कृत्रिम प्रक्षालकों (सिंथेटिक डिटर्जेण्ट्स) के नये शुल्कों से 58 लाख रुपये की प्राप्ति का अनुमान है। जो छोटे-छोटे कारखाने मोटर गाड़ियों के ठेले (ट्रेलर) बनाते हैं उन्हें कुछ राहत देने के लिए उन ठेलों पर लगने वाला 5 प्रतिशत का मूल्यानुसार (एड वेलोरम) शुल्क समाप्त कर दिया जायगा, जो ऐसे कारखानों में बनाये जाते हैं जहां पांच से ज्यादा मजदूर काम नहीं करते। सब मिलाकर, उत्पादन शुल्कों के प्रस्तावित परिवर्तनों से और साथ ही प्रतिसन्तुलनकारी (काउण्टरवेलिंग) शुल्कों में तदनुरूप वृद्धि होने से, 52.86 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी, जिसमें से राज्यों का हिस्सा 10.07 करोड़ रुपया होगा। इस तरह केन्द्रीय साधनों में 42.79 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी।

[श्री शचीन्द्र चौधरी]

अब मैं प्रत्यक्ष करों को लेता हूं। व्यक्तिगत करों के क्षेत्र में, जिन कुल आमदनियों पर कर नहीं लगता मैं उनकी वर्तमान सीमा में 500 रुपये की वृद्धि करना चाहता हूं। इसी तरह, मैं उन मौजूदा व्यक्तिकृत छूटों में भी 500 रुपये की वृद्धि करना चाहता हूं जिन पर निवासी (रेजीडण्ड) व्यक्तियों और अविभक्त (अनडिवाइडड) हिन्दु परिवारों को कर सम्बन्धी राहत दी जाती है। इस तरह, व्यक्तियों के सम्बन्ध में छूट की सीमा 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये, अविवाहित व्यक्ति को मिलने वाली व्यक्तिगत छूट की सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये और एक से अधिक आश्रित बच्चे वाले विवाहित व्यक्ति को मिलने वाली व्यक्तिगत छूट की सीमा 4,300 रुपये से बढ़ाकर 4,800 रुपय कर दी जायगी। इन परिवर्तनों का परिणाम यह होगा कि राजस्व में 3.5 करोड़ रुपये की कमी हो जायगी। ऐसा करने का मुख्य कारण करदाताओं के ऐसे वर्ग को कुछ राहत देना है जो इसे पाने का हकदार है। लेकिन इस व्यवस्था से कर विभाग के अधिकारियों के काम में भी तेजी आ जायगी, क्योंकि इस से कर-निर्धारण के बहुत से छोट-छोटे मामलों के समाप्त हो जाने से वे अपेक्षाकृत बड़ी-बड़ी आमदानियों से कर वसूल करने की ओर ज्यादा और तेजी से ध्यान दे सकेंगे।

इन्हीं कारणों से, "वार्षिकी जमा" (एनुइटी डिपाजिट) की छट की सीमा को भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर देने का मेरा प्रस्ताव है। इस व्यवस्था से, जिन व्यक्तियों को वार्षिक जमा योजना के अनुसार रकम जमा करानी पड़ती है उनकी संख्या 1,76,000 से घटकर सिर्फ 80,000 रह जायगी, जबकि प्राप्तियों में कमी, आयकर में होने वाली 2.42 करोड़ रुपये की तुल्य वृद्धि को हिसाब में लेने के बाद, सिर्फ 7 करोड़ रुपये की होगी। लेकिन, मैंने यह व्यवस्था कर दी है कि 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की आमदनी वाले लोग भी, यदि वार्षिकी जमा के अन्तर्गत पया जमा कराना चाहेंगे तो ऐसा कर सकेंगे और इस तरह जमा की हुई रकमों पर कर की छूट ले सकेंगे। जो एक और छोटा सा परिवर्तन मैं करना चाहता हूं वह यह है कि आगे से, 70 साल की उम्र में पहुंचने वाले व्यक्तियों को वार्षिकी जमा योजना से निकलने की छूट दी जाय और इस बात का खयाल न किया जाय कि वे पहले वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत रुपया जमा कराने को कानूनी तौर पर बाध्य थे या नहीं।

ये राहतें देने के बाद, सभी अ-निगमी (नान-कारपोरेट) करदाताओं द्वारा कमायी और बगैर कमायी हुई आमदनियों के सम्बन्ध में दी जानेवाली, आय कर और अधिभार (सरचार्ज) की रकम के 10 प्रतिशत की समान (फ्लैट) दर से विशेष अधिभार (फ्लट स्पेशल सरचार्ज) लगाने का मेरा प्रस्ताव है। इस विशेष अधिभार से 25.6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

जहां तक दूसरे व्यक्तिगत करों का सम्बन्ध है, व्यय कर (एक्सपेंडीचर टैक्स) को हटा लेने का मेरा प्रस्ताव है। यह मैं प्रशासनिक कारणों से कर रहा हूं। इस कर से बहुत थोड़ी सी प्राप्ति होती है, यानी सिर्फ 60 लाख रुपये की या इसी के आस-पास, पर इसके मुकाबले प्रशासन पर जो बोझ पड़ता है और करदाताओं को जो असुविधा होती है वह कहीं ज्यादा होती है। मैं मानता हूं कि बचत को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए, आयकर के स्थान पर व्यय-कर को अधिक से अधिक लाना, विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से बहुत ही स्वस्थ सिद्धान्त है। आयकर से हमारे राजस्व में जो प्राप्ति होती है और व्यय का निर्धारण करने में जो प्रशासनिक कठिनाइयां होती है और करदाताओं को जो असुविधा होती है उसे देखते हुए इस विकल्प, अर्थात आयकर के स्थान पर व्यय-कर को अभी किसी बड़े पैमाने पर लागू करना सम्भव नहीं है।

दान कर (गिफ्ट टैक्स) की दरों में परिवर्तन करने का भी मेरा प्रस्ताव है, ताकि वे और भी ज्यादा, मृत सम्पत्ति शुल्क (इस्टेट ड्यूटी) की दरों के स्तर पर आ जायें। इस प्रक्रिया में, दान के मूल्य के विभिन्न खण्डों पर लागू होने वाली दरों में भी कमी की जा रही है। इस तरह छूट की

सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जा रही है, 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक के खण्ड की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जा रही है और 15,00,000 रुपये तक, बाद के खण्डों की दरें विभिन्न प्रतिशतों के हिसाब से घटायी जा रही हैं। लेकिन 50 प्रति शत की मौजूदा अधिकतम सीमान्त (मार्जिनल) दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा पर यह 15 लाख रुपये से ऊपर के खण्ड पर लागू होगी। कई वर्ष तक एक ही आदाता यानी दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दिये गये दानों के राशीकरण (एग्रिगेशन) के उपबन्ध को हटा देने का भी मेरा प्रस्ताव है। इस उपबन्ध का उद्देश्य अपेक्षाकृत ऊंची दरों पर मृत सम्पत्ति शुल्क और दान कर देने से बचने को रोकना था। लेकिन यह ऐसी व्यवस्था है जिसकी व्यावहारिक उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई, खासकर उस स्थिति में जब प्रशासन और करदाताओं के समय और असुविधा का हिसाब लगाया जाय। लेकिन कुछ सीमा तक इस व्यवस्था की कमी पूरी करने के लिए, मृत सम्पत्ति शुल्क अधिनियम में संशोधन करके, मैं यह व्यवस्था करना चाहता हूं कि जो दान मृत्यु से दो वर्ष के अन्दर दिये गये होंगे उन्हें सम्पत्ति का अंश समझा जायगा। अभी यह अवधि एक वर्ष है। मैंने इस अवसर पर मृत सम्पत्ति शुल्क के कुछ मध्यवर्त्ती खण्डों की दरों में भी वृद्धि की है, जैसे कि 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत, $3\frac{1}{2}$ लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत और 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक 25 प्रति शत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी है। दान कर में परिवर्तन होने से राजस्व में 1.71 करोड़ रुपये की कमी होगी, जब कि मृत सम्पत्ति शुल्क में, जो राज्यों को प्राप्त होगा, परिवर्तनों से लगभग 70 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

मृत सम्पत्ति शुल्क में एक और परिवर्तन करने का मेरा विचार है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि मेरे पूर्ववर्ती वित्त मंत्री ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि देश की सीमाओं की रक्षा का काम करते हुए मारे जाने वाले पुलिस दल के सिपाहियों की सम्पत्ति को भी उसी प्रकार छूट दी जायगी, जिस प्रकार सशस्त्र सेना के व्यक्तियों के सम्बन्ध में दी जाती है। मैंने इस बारे में व्यवस्था कर दी है। मेरा खयाल है कि देश-रक्षा के कार्य में पुलिस दल के कर्मचारियों ने जिस साहस और संकल्प का परिचय दिया है, यह उसकी स्वीकृति है, यद्यपि थोड़ी ही।

अन्त में, मैं व्यक्तिगत करों में किये जाने वाले एक परिवर्तन का उल्लेख करना चाहूंगा, जो निगम करों के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों के विषय-प्रवेश के रूप में होगा। माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस समय जब सामान्य शेयर के किसी मालिक को बोनस शेयर दिया जाता है, तो उसे होने वाले सांकेतिक पूंजीगत लाभ (नेशनल केपिटल गेन) पर आयकर लग सकता है। इस व्यवस्था को समाप्त करने और इस की जगह यह व्यवस्था करने का मेरा विचार है कि कर सम्बन्धी देनदारी तभी पैदा होगी जब पूंजीगत लाभ वास्तव में प्राप्त होगा। इस व्यवस्था से राजस्व में केवल, 7 लाख रुपये की कमी होने का अनुमान है।

अब मैं निगम करों (कारपोरेट टेक्सेशन) को लेता हूं। व्यक्तिगत करों की तरह यहां भी, कुछ राहतें देने का मेरा विचार है, जिन्हें मैं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण के लिए जरूरी समझता हूं। इसके साथ ही, निगम (कारपोरेट) आमदनियों पर लगने वाले करों की सामान्य दरों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का मेरा प्रस्ताव है। अब मैं इन प्रस्तावों का कुछ विस्तार से स्पष्टीकरण करूंगा।

देशी (डोमेस्टिक) कम्पनियों पर, उनके द्वारा जारी किये गये बोनस शेयरों की रकम के आधार पर 12.5 प्रतिशत की दर से लगने वाले मौजूदा कर को समाप्त कर दिया जायगा। इससे राजस्व में केवल 9 लाख रुपये की कमी होगी।

इस समय, उन कम्पनियों पर लगने वाला 7.5 प्रतिशत का लाभांश (डिविडेंड) कर, जिन पर यह लग सकता है, आम तौर पर पिछले वर्ष घोषित किये गये या बांटे गये लाभांश की

[श्री शचीन्द्र चौधरी]

पूरी रकम पर लग सकता है। अब यह व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है कि यह कर, सामान्य पूंजी पर घोषित किये गये या बांटे गये लाभांश के केवल उस भाग पर लग सकेगा, जो चुकता सामान्य पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक हो। इससे राजस्व में 4.8 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है।

कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 में दी गयी अधिकर की 40 प्रतिशत की मौजूदा दर को घटा कर 35 प्रतिशत करने का भी मेरा प्रस्ताव है। अनुमान है कि इससे राजस्व में 2.5 करोड़ रुपये की कमी होगी।

जैसाकि पहले बताया जा चुका है, इसी के साथ ही, कम्पनियों पर लगने वाले बुनियादी निगम कर की प्रभावी (इफेक्टिव) दरों को बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है। इस प्रकार, जीवन-बीमा सम्बन्धी कारबार से होने वाले लाभ पर लगने वाले कर की दर को 47.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 52.5 प्रतिशत किया जायगा। ऐसी देशी (डोमेस्टिक) कम्पनियों के सम्बन्ध में, जिनमें जनता के काफी शयर हों और जिनकी कुल आमदनी 25,000 रुपये से अधिक न हो, कर की दर 42.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 45 प्रतिशत और इनमें से जिनकी आमदनी और अधिक होगी उनके कर की दर 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 55 प्रतिशत की जा रही है। अधि-नियंत्रित (क्लोज़ली-हेल्ड) कम्पनियों के सम्बन्ध में भी, मौजूदा सामान्य दर को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत, और औद्योगिक कम्पनियों की पहले दस लाख रुपये की आमदनी पर लगने वाले कर की रियायती दर को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 55 प्रतिशत किया जा रहा है। विदेशी कम्पनियों के बारे में, कुछ स्वीकृत करारों के अन्तर्गत, स्वत्व-शुल्क (रायल्टी) और तकनीकी सेवा शुल्क (फीस) पर लगने वाले कर की प्रभावी दर वही रहेगी जो अब है, अर्थात् 50 प्रतिशत, लेकिन उनकी दूसरी आमदनियों पर 70 प्रतिशत की दर से कर लगेगा, जबकि इस समय 65 प्रतिशत की दर से लगता है। इसी तरह, हमारे उद्योगों को राजस्व सम्बन्धी कुछ प्रोत्साहन देने की जरुरत है, ताकि वे नव-विकासशील देशों को तकनीकी जानकारी और तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करने के लिए उत्साहित हों। इस लिए किसी भारतीय कम्पनी को, उसके द्वारा उपलब्ध की गयी तकनीकी जानकारी या तकनीकी सेवा के बदले, दिये गये शेयरों पर किसी विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश के सम्बन्ध में कर की रियायती दर की व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है। यह रियायती दर 25 प्रतिशत होगी। इसी प्रकार तकनीकी जानकारी और तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करने पर किसी भारतीय कम्पनी को किसी विदेशी कम्पनी से प्राप्त रायल्टी, कमीशन, शुल्कों आदि के सम्बन्ध में भी 25 प्रतिशत की रियायती दर से कर लगेगा। निगम करों की बुनियादी दरों में परिवर्तन करने से राजस्व में, अधिकर (सर टैक्स) के अन्तर्गत होने वाली 5.6 करोड़ रुपये की कमी को हिसाब में लेते हुए, 43.46 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस समय हमारे पास प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की अलग-अलग अनुसूचियां हैं; एक वह जिसमें शामिल उद्योगों को 35 प्रतिशत की अपेक्षाकृत ऊंची दर से विकास छूट प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है और दूसरी वह जिसके अनुसार बुनियादी निगम करों के सम्बन्ध में रियायत मिलती है। विकास छूट के प्रयोजन के लिए, प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की सूची में चाय, अखबारी कागज और छपाई की मशीनों के इन तीन और उद्योगों को शामिल करके, इस सूची को बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है। कर की दर में रियायत के प्रयोजन के लिए भी वही सूची लागू होंगी। लेकिन सरलता लाने के उद्देश्य से, रियायत के स्वरूप में परिवर्तन करने का मेरा प्रस्ताव है। इस समय कम्पनियों को, प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों से होने वाली उनकी आमदनी के सम्बन्ध में आयकर और अधिकर में विशेष छूट दी जाती है। इसके स्थान पर, सम्बद्ध कम्पनियों की कुल करयोग्य आमदनी का हिसाब लगाते समय, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से हुए लाभ में सीधे 8 प्रतिशत की कमी कर देने का मेरा प्रस्ताव है। छूट देने के इस सीधे तरीके से, कर सम्बन्धी देनदारी का हिसाब लगाने का काम काफी सरल हो जाना चाहिये।

इस समय जो वास्तविक विकास छूट दी जाती है उसके 75 प्रतिशत भाग का प्रारक्षित निधि (रिजर्व्स) में डाला जाना जरूरी है। जहाजरानी (शिपिंग) उद्योग के सम्बन्ध में, इस भाग को घटा कर 50 प्रतिशत कर देने का मेरा प्रस्ताव है, ताकि इस उद्योग में, जहां लाभ का स्तर अपेक्षाकृत नीचा है, नयी पूंजी लगाये जाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके।

हमारे चाय बागानों के विस्तार और नवीकरण के लिए और भी प्रोत्साहन देने के लिए, विकास छूट (डेवलपमेंट अलाउंस) देने के बारे में कानून के मौजूदा उपबन्धों को उदार बनाने का मेरा प्रस्ताव है। सबसे पहले, नये पौधे लगाने के लिए विकास छूट की मौजूदा दर को, जो पौधे लगाने की वास्तविक लागत का 40 प्रतिशत है, बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया जायगा और फिर से रोपने (रीप्लांटिंग) के सम्बन्ध में उसे 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जायगा। दूसरे, मेरा प्रस्ताव है कि छूट दो दौरों में दी जाय; पहले, उस वर्ष के बाद के वर्ष के लिए, जब पौधे लगाने या उन्हें फिर से रोपने के लिए जमीन तैयार की गयी हो, उस वर्ष तक किये गये खर्च के आधार पर दी जाय और बाकी चौथे वर्ष के लिए। यह व्यवस्था मौजूदा व्यवस्था का स्थान ले लेगी जिसके अन्तर्गत सारी छूट केवल चौथे वर्ष के लिए दी जाती है।

इमारतों, फर्नीचर, संयंत्र और मशीनों आदि के सम्बन्ध में दिये जा सकने वाले मूल्यह्रास (डेप्रीसिएशन) की दर-सूची बहुत ही पेचीदा बन गयी है। हाल की घटनाओं को देखते हुए, स्थिति की समीक्षा करना और उपयुक्त परिवर्तन करना जरूरी हो गया है, ताकि यह सूची युक्ति-संगत हो जाये और सरल भी। इस लिए अगले कुछ महीनों में इस सम्बन्ध में पूरी छानबीन शुरू कर देने का मेरा विचार है। इस समीक्षा के समय, बागान श्रमिक आवासन सम्बन्धी कार्यकारी दल (वर्किंग ग्रुप आन प्लांटेशन लेबर हाउसिंग) की सिफारिशों का भी ध्यान रखा जायगा। इसी बीच, यह व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है कि संयंत्र और मशीनों की छोटी-छोटी मदों की, जिनकी कीमत 750 रुपया प्रति एकक से अधिक न हो, पूरी लागत का मूल्यह्रास एक वर्ष में घटाने की अनुमति दी जाये। नियोजकों द्वारा बनायी गयी नयी इमारतों के सम्बन्ध में, जिनमें 7,500 रुपये तक वार्षिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारी रहते हों या उनका उपयोग करते हों, 20 प्रतिशत का प्रारम्भिक मूल्यह्रास घटाने की अनुमति देने का भी मेरा प्रस्ताव है। इस समय केवल उन इमारतों के सम्बन्ध में इसकी अनुमति है, जिनमें 200 रुपये मासिक तक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारी रहते हों या उनका उपयोग करते हों।

इस समय जब विकास छूट दी जाती है, तो यह जरूरी होता है कि सम्बद्ध संयंत्र और मशीनें, आठ वर्ष की अवधि के लिए करदाता के अधिकार में रहें; ऐसा न होने पर, दी गयी छूट वापस ली जा सकती है। लेकिन यदि इस प्रकार के संयंत्र का अन्तरण, कम्पनियों के एकीकरण के दौरान किया जाता है, जिसमें सहायक कम्पनी का मूल (पेरेन्ट) कम्पनी में विलय होना शामिल है, तो विकास छूट वापस नहीं ली जाती। लेकिन, इसके साथ शर्त यह है कि विलय होने वाली सहायक कम्पनी भारतीय कम्पनी हो। मुझे विदेशी सहायक कम्पनियों को यह रियायत न देने का कोई औचित्य दिखायी नहीं देता, क्योंकि इससे इन कम्पनियों के मूल कम्पनियों में विलय होने के रास्ते में रुकावट पड़ती है। इसलिए, इस आयोग्यता को समाप्त कर देने का मेरा प्रस्ताव है।

इस समय, उन स्वीकृत वित्तीय निगमों को, जो भारत में औद्योगिक विकास के लिए लम्बी अवधि के लिए धन की व्यवस्था करने का काम करती हैं, अपने लाभ का हिसाब लगाते समय, अपनी कुल आमदनी के 10 प्रतिशत भाग के बराबर की कटौती करने का अधिकार है जिसे विशेष प्रारक्षित निधि खाते में डाला जाता है। इस उद्देश्य से कि अपेक्षाकृत छोटे वित्तीय निगम अपने वित्तीय साधनों का निर्माण तेजी से कर सकें, उन निगमों के सम्बन्ध में, जिनकी चुकता पूंजी 3 करोड़ रुपये से अधिक न हो, कटौती की दर को कुल पूंजी के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का मेरा प्रस्ताव है। इससे मुख्यतः उन वित्तीय निगमों को लाभ होगा, जो प्रादेशिक आधार पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

[श्री शचिन्द्र चौधरी]

अधि-नियंत्रित (क्लोज़ली हेल्ड) कम्पनियों के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन करने का मेरा प्रस्ताव है। पहले, यह निर्धारित करने के लिए कि किस कम्पनी को अधि-नियंत्रित समझा जाय, मेरा प्रस्ताव है कि इनमें से उन कम्पनियों के सम्बन्ध में, जो मुख्यत: कुछ खास वस्तुओं के निर्माण या जहाज बनाने के काम में लगी हैं, इस शर्त को, कि उनमें जनता के पर्याप्त शेअर हैं, पूर्ण समझ लिया जाय, यदि उनके 50 प्रतिशत सामान्य शेयरों की जगह, जैसा कि अभी होता है, 40 प्रतिशत ऐसे शेयर सरकार, पब्लिक कारपोरेशनों और जनता के पास हैं। दूसरे, उन कम्पनियों को, मुख्यत: जो जहाज बनाने के काम में लगी हुई हैं, इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जायगा कि वे सांविधिक प्रतिशत तक अपने लाभ का वितरण कर दें। उन कम्पनियों के लिए भी, जो आंशिक रूप से वस्तुओं के निर्माण में लगी हुई हैं, यह जरूरी नहीं होगा कि वे इन कार्यों से होने वाले अपने लाभ का अनिवार्य वितरण करें। अन्त में, इस समय किसी अधि-नियंत्रित कम्पनी द्वारा किये गये कुछ किस्मों के खर्चों के सम्बन्ध में, कर सम्बन्धी देनदारियों को निर्धारित करने के प्रयोजन से, छूट नहीं दी जाती। लेकिन मुझे ऐसा कोई कारण दिखायी नहीं देता कि इस प्रकार की कम्पनी की बांटी जा सकने वाली आमदनी का हिसाब लगाते समय इस प्रकार के व्यय को घटाया क्यों नहीं जाना चाहिए। इसके लिए व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना के सम्बन्ध में राजस्व सम्बन्धी कुछ रियायतें पहले ही दी जा चुकी हैं। इस प्रकार, इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त बैंक पत्रों (सर्टिफिकेट) की खरीद से होने वाले पूंजीगत लाभ पर उसी रियायती दर से कर लग सकेगा जो लम्बी अवधि के पूंजीगत लाभों पर लागू होती है, भले ही धारक (होल्डर) द्वारा इन शेयरों को, उनके प्राप्त करने की तारीख से लेकर 12 महीने तक की अवधि के अन्दर-अन्दर अन्तरित कर दिया गया हो। यदि कोई अनिवासी (नान-रेजीडेण्ट) इस योजना के अधीन प्रेषण (रेमिटेंस) करके भारत में किसी निवासी को विदेशी मुद्रा का दान दे, तो उस पर दान-कर (गिफ्ट टैक्स) नहीं लगेगा। मैंने सम्बद्ध अधिनियमों में इन रियायतों के लिए व्यवस्था कर दी है।

छोटी बचतों को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों में लगायी जानेवाली थोड़ी पूंजी के सम्बन्ध में, उदगम स्थान पर ही कर की कटौती करने की आवश्यकता को, कुछ शर्तों के साथ, समाप्त कर दिया जायगा। इसी प्रकार, भारतीय राज्य बैंक की मार्फत जारी किये जाने वाले राष्ट्रीय बचत पत्रों की नयी श्रृन्खलाओं (सीरीज़) पर मिलने वाले ब्याज के सम्बन्ध में भी वही रियायत दी जायगी, जो राष्ट्रीय बचतपत्रों की मौजूदा श्रृन्खलाओं के सम्बन्ध में दी जाती है। यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिटों से होने वाली आमदनी के सम्बन्ध में, 1,000 रुपये तक की आमदनी को, सभी करदाताओं के मामले में, चाहे उनकी दूसरी आमदनी की रकम कुछ भी हो, कर-निर्धारण के प्रयोजन के लिए कुल आमदनी में शामिल नहीं किया जायगा। इससे, सरलता होने के साथ-साथ, यूनिट ट्रस्ट में पूंजी लगाने के लिए भी पहले से अधिक बढ़ावा मिलेगा।

अन्त में, मैं कुछ और परिवर्तनों का उल्लेख करना चाहूंगा, जो मैंने सरलता लाने या पहले से अच्छे प्रशासन के लिए प्रस्तावित किये हैं। मेरा प्रस्ताव है कि करदाताओं की कुल आमदनी को उसके सबसे निकट के दस रुपये के गुणित तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए और कर, जुर्माने और वापसी आदि की रकम को उसके निकटतम एक रुपये के गुणित तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए। आडम्बरपूर्ण उपभोग पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से, मेरा प्रस्ताव है कि व्यापार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए ली गयी मोटरकारों के मूल्यह्रास का हिसाब लगाते समय 25,000 रुपये से अधिक के क्रय-मूल्य को हिसाब में नहीं लिया जायगा।

कानून के अनुसार जिन लोगों पर उद्गम स्थान पर ही कर की रकम काट लेने की जिम्मेदारी है, उनसे, इन जिम्मेदारियों की पूर्ति में चूक हो जाने पर, चूक की अवधि के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक की सामान्य दर से ब्याज लिया जायगा। एक अन्य संशोधन का सम्बन्ध, धर्मार्थ न्यासों (चेरिटबल ट्रस्ट) और संस्थाओं की आय की आयकर से मुक्त करने से है। यह व्यवस्था की जा रही है कि यदि किसी धर्मार्थ न्यास या प्रतिष्ठान की आमदनी या सम्पत्ति के किसी भाग का उपयोग या विनियोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों, जिनका उस न्यास या प्रतिष्ठान (फाउंडेशन) के साथ, उसके निर्माता (आथर) या महत्वपूर्ण अंशदान के रूप में निकट का सम्बन्ध हो, या उनके सम्बन्धियों के लाभ के लिये किया जायगा, तो वह न्यास या संस्था छूट का अधिकार खो बैठेगी।

अब तक मैंने जिन कर-प्रस्तावों का उल्लेख किया है उनके प्रभाव का सारांश बताने से पहले मैं दो प्रस्ताव रखना चाहूंगा जिनका उद्देश राज्यों के लाभ के लिए साधन जुटाना है। पहला प्रस्ताव, अन्तर्राज्यीय बिक्री पर लगने वाले केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने के सम्बन्ध में है। यह 1 जुलाई, 1966 से लागू होगा। इस वृद्धि से राज्यों को पूरे वर्ष में 19 करोड़ रुपये की और 1966–67 में 9.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति होगी। चूंकि नयी दरें 1 जुलाई, 1966 से लागू होंगी और चूंकि एक तिमाही में वसुल की जाने वाली रकमें, अगली तिमाही में वसुल की जाती हैं, इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में केवल दो तिमाहियों में अतिरिक्त प्राप्तियां होंगी इसी प्रकार, संघीय राज्य क्षेत्रों में होने वाली वसूलियों में भी, जो भारत की समेकित निधि का अंग होती हैं, पूरे वर्ष में 1 करोड़ रुपये की और 1966-67 में 50 लाख रुपये की वृद्धि होगी।

दूसरा प्रस्ताव यह है कि जिन वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की दृष्टि से विशेष महत्व की वस्तुएं घोषित किया गया है उनके बिक्रि कर की निर्धारित उच्चतम सीमा को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया जाय। यह एक अनुज्ञात्मक (पर्मिसिव) संशोधन है और इससे राज्यों को, यदि वे चाहें तो, कोयले, रूई, सूती धागे, चमड़े और खालों, लोहे और इस्पात, जूट और तेलहनों पर स्थानीय बिक्री कर की दरों को 3 प्रतिशत तक की उच्चतम सीमा के अन्दर फिर से निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। यदि सभी राज्य अपने स्थानीय बिक्री कर की दर को 1 जुलाई, 1966 की उल्लिखित तारीख से 3 प्रतिशत की अनुज्ञात्मक उच्चतम सीमा तक निर्धारित कर दें, तो इससे उनको अगले वित्त वर्ष में 7.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन पूरे वर्ष में इससे अतिरिक्त राजस्व के रूप में 15 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

अब मैं अपने बजट प्रस्तावों के प्रभाव का सारांश बताऊंगा। उत्पादन शुल्कों के प्रस्तावित परिवर्तनों से 52.86 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी, जिसमें से राज्यों के हिस्से की रकम 10.07 करोड़ रुपया होगी। इस तरह, केन्द्रीय बजट में 42.79 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। व्यक्तिगत करों में किये गये परिवर्तनों के वास्तविक प्रभाव के रूप में राजस्व में 22.14 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। निगम करों (कारपोरेट टैक्सेशन) से, लाभांश (डिवीडेण्ट) कर और अधिकर (सर टैक्स) के सम्बन्ध में दीं गयी रियायतों और बोनस शेयरों पर लगने वाले कर की समाप्ति को हिसाब में लेने के बाद, राजस्व में 36.07 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। अन्तर्राज्यीय बिक्री करों के जिन परिवर्तनों का मैंने जिक्र किया है, उनसे केन्द्र को 50 लाख रुपये की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति होगी। इस तरह, कर सम्बन्धी मेरे प्रस्तावों से, राजस्व के रूप में, कुल 101.51 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। पूंजी खाते में, वार्षिकी जमा पत्रों से होने वाली प्राप्ति में 9.39 करोड़ रुपये की कमी होगी। इस तरह, 117 करोड़ रुपये के घाटे को कम करने के लिए, 92 करोड़ के कुल अतिरिक्त साधन प्राप्त होंगे, जिससे सब मिलाकर 25 करोड़ रुपये की कमी रह जायगी।

[श्री शचीन्द्र चौधरी]

लेकिन, माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर जाएगा कि जिन परिवर्तनों के लिए मैंने प्रस्ताव किये हैं उनसे राज्यों के साधनों में भी काफी हद तक वृद्धि होगी। केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में से उनके हिस्से के 10.07 करोड़ रुपये और मृत सम्पत्ति शुल्क के सम्बन्ध में 69 लाख रुपय की अतिरिक्त प्राप्ति के अलावा, बिक्रि कर के सम्बन्ध में मैंने जिन दो परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है उनसे उन्हें पूरे एक वर्ष में 34 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि परिस्थितियों से बाध्य होकर मुझे बड़े पैमाने पर अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रस्ताव करने पड़े हैं। बजट सम्बन्धी जिस आधारभूत स्थिति के साथ चालू वित्त-वर्ष का अन्त हो रहा है, वह स्वयं बहुत सन्तोषजनक नहीं है। केवल इसी बात से आयोजना और गैर-आयोजना दोनों के खर्च पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता हुई है। इसके साथ ही रक्षा, विकास और सूखापीड़ितों की सहायता के सम्बन्ध में भी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिनकी उपेक्षा करना खतरे से खाली न होगा। फिर भी, अतिरिक्त भार को बांटने में मैंने इस बात का यत्न किया है कि इसका प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर न्यायोचित रूप से पड़े और ज्यादा बोझ वहां पड़े जहां उसे अच्छी तरह से उठाया जा सकता है। मैंने बहुत सी राहतों और परिवर्तनों का भी प्रस्ताव किया है, जिनका उद्देश्य कर के ढांचे को काफी सरल बनाना है और जिससे, मुझे आशा है, व्यवस्थित विकास के लिए पहले से अच्छा वातावरण तैयार हो सकेगा। माननीय सदस्य इस बात को भी समझेंगे कि अपने बजट प्रस्ताव पेश करते हुए मैंने अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता लाने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे चाहिए तो यह था कि घाटे की वित्त-व्यवस्था से बिल्कुल बचता और बजट में कुछ अधिशेष की व्यवस्था करता। पर, यदि मैंने 25 करोड़ रुपये के घाटे को यों ही छोड़ दिया है, तो इसका कारण मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि और अधिक मात्रा में साधन जुटाने से उद्देश्य ही विफल हो जायगा, क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि करने और आत्मविश्वास को फिर से जगाने में, जिनकी इस समय बहुत अधिक आवश्यकता है, बाधा पड़ेगी। महोदय, मैं बजट पेश करने का अपना यह कार्य आप और इस सम्मानित सभा के साथ, आशा की इस भावना में सम्मिलित हुए बिना पूरा नहीं कर सकता कि हम सब एक साथ हैं और अपने राजस्व सम्बन्धी वातावरण को पहले से अच्छा बनाने के लिए दृढ़संकल्प हैं। महोदय, मैं अपने देश के प्रत्येक नागरिक को—वह जीवन के चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे खेत में या खलिहान में, कारखाने में या कर्मशाला में, दफ्तर में या संसद में—गम्भीरतापूर्वक आमंत्रित करता हूं कि वह इस सभा के हम सब लोगों के साथ, ऐसे भारत का निर्माण करने में मिलजुल कर हाथ बटाये, जो पहले से अधिक समृद्ध और सुखी हो और वास्तविक रूप में भय और अभाव से मुक्त हो।

वित्त विधेयक, 1966

FINANCE BILL, 1966

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1966-67 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को क्रियान्वित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1966-67 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को क्रियान्वित करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

श्री शचीन्द्र चौधरी : श्रीमान्, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 1 मार्च, 1966/10 फाल्गुन, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 1, 1966/ *Phalguna* 10, 1887 (*Saka*).

०ना०-वि 1-26 लोक सभा/66-15-6-67-600.